खण्ड-267, अंक-5
शुक्रवार, 31 आषाढ़, शक संवत् 1888
(22 जुलाई, 1966 ई0)

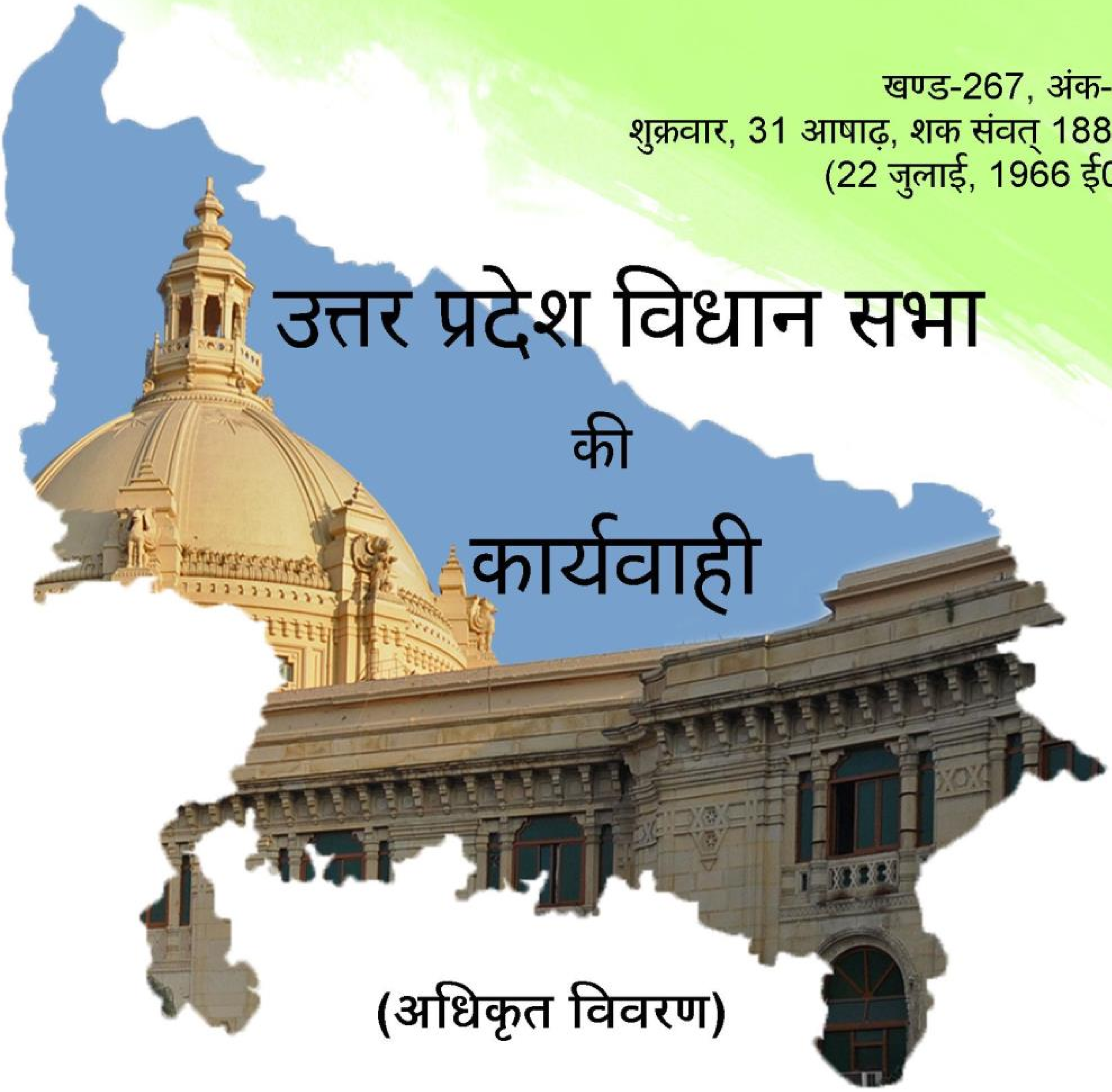

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २२ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---३४८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री
उपनाम (छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्ण, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा-अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्र सिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवतीसूद, श्री

प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
वंकटासिंह,श्री (टून्नूसिंह)
बंशीधर पांण्डेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य , श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी , श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीमाप्रसाद,श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह , श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह , श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह , श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह ,श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी,श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंड्ड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद , श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुबीरराम, श्री
रघुबीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण , श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामप्रधार कनौजिया, श्री

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामांकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती श्रीमती
रामलखन बर्कील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रियासत हुसैन श्री
रुकमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर,
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
ब्रजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री

सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम श्री
सोहललाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराजसिंह, श्री

नोट—माल मंत्री, श्री हुकुमसिंह, शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २२ जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

भवनापुर ब्लाक में लेंबड़ ताल का नीलाम

*१—श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील डुमरियागंज, ब्लाक भवनापुर में स्थित लेंबड़ ताल जब से कटरिया बाबू ग्राम सभा में सम्मिलित किया गया है तब से ताल के नीलाम के फलस्वरूप कितना-कितना रुपया ग्राम सभा कोष में जमा हुआ है तथा वह धन कहां जमा है ? यदि धन ग्राम सभा के पास बुक में नहीं जमा है, तो वह धन कहां गया है और अब तक उसमें क्यों नहीं जमा किया गया ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

कुल २१,१३६ रुपया वसूल हुआ जिसमें से ६,७३२ रु० सीधे गांव सभा में और १४,४०४ रु० तहसील कोषागार में जमा हुआ । तहसील से ९,२०६ रु० १ पैसा जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से गांव सभा को दे दिया गया तथा १,३०३ रु० ५० पैसा कनसोलिडेटेड गांव फन्ड में जमा हुआ । शेष ३,८९४ रु० ४९ पैसा कनसोलिडेटेड गांव फन्ड का हिसाब करने के बाद गांव सभा को हस्तान्तरित होगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मंत्री जी बतालाने की कृपा करेंगे कि इस तालाब की नीलामी कितने रुपये में दी गयी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

२८ हजार रुपये से कुछ ज्यादा में ही की गयी है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उसके बाद सिर्फ २० हजार रुपया ही क्यों जमा किया गया और बाकी रुपया कहां गया ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

बाकी रुपया बाकी है और उसमें से कुछ रुपया अभी करेंट ऐसा है जिसको इन्तजाम करके हम वसूल कर रहे हैं। गांव समाज से हमें मुनासिब वक्त पर सूचना नहीं मिली इसी वजह से ७ हजार रुपये की वसूली नहीं हुई। अब हम इन्तमजाम करके ७ हजार रुपये की वसूली करने जा रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगावार---

८ हजार रुपया ,जो मालिक थे तालाब के, उन पर बाकी है या गांव समाज के प्रधान के ऊपर बाकी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

प्रधान पर बाकी नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा है कि हम वसूल कर रहे हैं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

मैं जानना चाहता हूं कि बाकी रहने की क्या वजह है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

सूचना नहीं दी गई थी।

[२२ जुलाई, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में फदगदिया ग्राम के निकट साइफन बनाने की प्रार्थना

*१---श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २१ दिसम्बर, १९६५ को प्रश्नकर्त्ता के एक पत्र द्वारा लखनऊ-बलिया रोड के १४३ मील के पहले फर्लांग में आजमगढ़ जिला के अन्तर्गत फदगदिया ग्राम के सामने किसानों की सैकड़ों बीघे खेत की सिंचाई के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क पर एक साइफन बनाने के लिये मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया था? यदि हां, तो उक्त साइफन के कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

जी हां। मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सदस्य महोदय को अप्रैल, ६६ में सूचित किया था कि यदि सम्बन्धित काश्तकार वांछित साइफन की अनुमानित लागत देने को तैयार हों तथा साइफन की लागत जमा कर दें तो साइफन विभाग द्वारा बनवा दिया जायगा।

श्री दौलतलाल----

क्या मंत्री जी अन्न के महत्व की समस्या को देखते हुये सड़क के उत्तर की तरफ छोटा साइफन बनाने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

इस संबंध में विभाग के पास धन का कोई प्रबंध नहीं है। यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विभाग तथा सामुदायिक विकास में विचार करते समय कुछ हो सके तो ठीक है। सामुदायिक विकास विभाग में इस पर विचार हो रहा है। उसका निर्णय अभी हमारे पास आया नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने किया है एक बड़े महत्व का है। लेकिन यह समस्या वहां ही नहीं है बल्कि और भी जगहों पर है जहां पर साइफन न बनने की वजह से फसल को नुकसान हो रहा है। इस लिये जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि सिंचाई विभाग या सामुदायिक विकास विभाग इस संबंध में योजना बना सकते हैं। मैं सरकार से और

मंत्रि-परिषद से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है और ऐसे साइफन बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

श्रीमन्, मैंने तो जहां तक इस विभाग का संबंध है और सार्वजनिक निर्माण विभाग का संबंध है उसके संबंध में निवेदन किया है। हमें तो आप बजट में जो रुपया देते हैं उस के अनुसार कुछ कर सकते हैं। इसक बाद हम असमर्थ हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी इस समस्या के महत्व को समझते हुये दूसरे विभागों से परामर्श करके इसको बनवाने की कृपा करेंगे ताकि यह काम हो सके ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

श्रीमन्, सामुदायिक विकास विभाग में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। निर्णय अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस साइफन के बनवाने मे कितना रुपया व्यय होगा और उससे कितनी सिंचाई हो सकेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

यह तो अलग अलग जैसा जहां होता है, उसका वैसा हो जाता है। यह कोई एक नियम नहीं है, जहां जितनी भूमि होगी, जितनी लम्बी भूमि होगी, जितना बड़ा साइफन होगा, यह इस सब पर निर्भर करता है।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)--

जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा और जगदम्बाप्रसाद जी ने कहा, आज प्रदेश में बड़ी भीषण स्थिति है। जहां-जहां पर सड़क बनती है, वहां पर वाटर लागिंग होती है और यहां पर प्रश्न आता है तो विकास मंत्री जी कहते हैं कि यह हमारे डिपार्टमेन्ट का काम नहीं है और पी० डब्लू० डी० वाले कहते हैं कि इसके लिये हमारे पास बजट नहीं है। ऐसी विषम स्थिति में सरकार क्या कदम उठा सकती है और कौन सा डिपार्टमेन्ट इसे करेगा, क्या यह मैं जान सकता हूं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

जो विषय प्रश्नोत्तर में चल रहा है, उसको शायद मिश्रा जी ने समझा नहीं है। जहां पर वाटर लागिंग होती है, वहां पर तो हम पुलिया बनाते हैं और इतना ही नहीं, सड़क बनाने के पहले जहां कोई गूल होती है, जहां किसी कुयें का, ट्यूब वेल का पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, वहां पर भी साइफन बनाने की बात पी० डब्लू० डी० सोचता है। किन्तु जहां जहां पर ऐसा नहीं होता है और नये सिरे से बनाने की बात होती है वहां पर ही ऐसा होता है, जैसा अभी मैंने कहा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

मंत्री जी, आप तो आवश्यकतानुसार अपनी पूरी नजर रखते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह पी० डब्लू० डी० का जो विभाग है, इतना सुस्त हो गया है, इतना सो गया है कि इसकी नींद उतरती ही नहीं है। मैं आप से बताता हूं कि बरसाना-कुर्सी रोड पर पी० डब्लू० डी० विभाग ने किसानों की बिलकुल बात नहीं सुनी। वहां पर हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो जाती है। क्या इस पर आप पुल बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो लखनऊ-बलिया रोड का सवाल है।

श्री लखीसिंह—

यह तो सारे प्रदेश का मसला है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

यह सब निर्माण विभाग के मंत्री महोदय, सिंचाई विभाग के और प्लानिंग विभाग के मंत्री यह सब खानदान तो एक ही है। यदि सदस्य ने कहा है तो पी० डब्लू डी० प्लानिंग या सिंचाई जहां से भी साइफन बन सकता हो, क्या मंत्री जी पूछ कर स्वयं बनवा देंगे ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

मैंने निवेदन किया कि सामुदायिक विकास विभाग इस सम्बन्ध में विचार कर रहा है और उसका निर्णय अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है।

मथुरा-वृन्दावन मार्ग पर श्री हासानन्दन गोचर भूमि ट्रस्ट

*२—श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि मथुरा-वृन्दावन मार्ग पर लगभग ६०० एकड़ कृषि योग्य भूमि श्री हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट के नाम से हाल ही में एक्वायर की गई और ट्रस्ट ने उसका उस कार्य में उपयोग नहीं किया जिसके लिये ली गई थी वरन् कुछ ठेकेदारों को उठवाकर अनुचित लाभ उठाया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमी को ट्रस्ट से ले कर भूमि हीन कृषकों को अथवा भूमिहीन कृषकों की कृषि सहकारी समिति को देने पर विचार करेगी ?

माल मन्त्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

जिला मथुरा में ६६०.८५ एकड़ गांव सभा में निहित भूमि १९६२ ई० में पुनर्ग्रहण करके गायों के चारे की आवश्यकता की पूर्ति के लिये श्री हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई थी भूमि का उपयोग उपर्युक्त कार्य के लिये स्वयं ट्रस्ट द्वारा ही किया जा रहा है अतः उस ट्रस्ट से लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कन्हैयालाल—

क्या मंत्री जी बता सकेंगे कि जिस ट्रस्ट के पास यह भूमि है और जिसकी गायों के चारे के लिये यह भूमि ली गई है, उस ट्रस्ट के पास कितनी गाय हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

काफी हैं।

श्री कन्हैयालाल—

श्री हासानन्द गोचर भूमि ट्रस्ट जिसके पास यह जमीन है, उनके पास कुल कितनी गायें हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

संख्या काफी है, एक नंबर कितने हमारे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह कहते हैं कि हमारे पास सूचना नहीं हैं लेकिन पर्याप्त संख्या में हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उनके पास सूचना नहीं है तो किस आधार पर उन्होंने कहा कि वहां पर काफी संख्या में गायें हैं ? क्या दौरा करके उन्होंने गायों को देखा है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

मथुरा में तो गायें बहुत हैं और गोशाला में तो गायें होती ही हैं।

श्री कन्हैयालाल---

यह मेरी सूचना है कि ट्रस्ट में सौ, सवा सौ गायें हैं और उनके लिये ४० एकड़ भूमि है जो साल भर के चारे के लिये काफी है। इस भूमि में मेरी निश्चित सूचना है कि ट्रस्ट १५० रुपये फी एकड़ उसे बेचकर अनुचित लाभ उठाता है। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच कराकर, अगर यह तथ्य सही है तो, उसके पट्टे को खारिज करके भूमिहीन किसानों को भूमि देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

अगर हमको स्पेसिफिक केस दिया जायगा तो हम जरूर जांच करावेंगे।

श्री लखीसिंह---

अध्यक्ष महोदय जी, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है। मंत्री जी ने ऐसे कह दिया है कि गायें मथुरा में बहुत हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि यह ट्रस्टी खांडवालों व्यापारी हैं और उसने ७० एकड़ भूमि दे रखी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

यह ज्ञान नहीं है।

श्री लखीसिंह---

ज्ञान कराइयेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री राजनारायण मिश्र---

माननीय मंत्री जी का उत्तर है कि मथुरा में पूर्व में श्रीकृष्ण गोचर गोशाला है और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहां पर गायें रखवाने का इंतजाम किया था और वहां गायों को भेजा गया। तो क्या वजह है कि श्री कृष्ण गोशाला गोचर होने के बाद कौन सा ऐसा कारण है कि जिसके आधार पर यह जमीन ऐक्वायर की गयी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

चूंकि जरूरत महसूस हुई इसलिये कर लिया गया।

श्री राजनारायण मिश्र---

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने कहा जरूरत थी, तो क्या जरूरत पर इस प्रकार का फैसला दिया गया और इसके अलावा कौन से कारण थे, अगर जनहित में न हो तो न बतावें और अगर जनहित में हों, तो बता दें ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

टर्म्स आफ लीज हमारे सामने नहीं हैं वरना बताने में क्या बात है ?

श्री अध्यक्ष---

एक आपत्ति केवल यह है जैसा माननीय कन्हैयालाल ने कहा कि जिस गोशाला के या जिस ट्रस्ट के लाभ के लिये यह ६०० एकड़ भूमि प्राप्त कराई गई है वहां केवल १०० गायें हैं। वह केवल यह चाहते हैं कि इस संबंध में जांच की जानी चाहिये ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

जांच हो जायगी ।

जिला परिषद् लखनऊ, को प्राइमरी शिक्षा के लिये अनुदान

*३---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने जिला परिषद्, लखनऊ को १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में कितना रुपया प्राइमरी शिक्षा के लिये अनुदान दिया था और इस मद में कितना रुपया व्यय हुआ और कितना शेष रहा ? शेष रहने का क्या कारण है ?

*४---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त काल में प्राइमरी अनुदान का जो धन शेष रहा उसे किस मद में व्यय किया गया ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

तालिका संलग्न है ।

साज सज्जा, उपकरणों एवं भवनों पर व्यय किया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४४ पर)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, संलग्न तालिका की जानकारी सब माननीय सदस्यों को होनी चाहिये ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

(तालिका पढ़ी गई ।)

ग्राम बक्सीपार से चकबन्दी के खिलाफ शिकायतें

*५---श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३ नवम्बर, १९६५ को ग्राम बक्सीपार उर्फ ऐलई, जिला इलाहाबाद के निवासियों ने निम्नलिखित शिकायतें संचालक, चकबन्दी, उत्तर प्रदेश को भेजी हैं :

(क) यह कि उक्त ग्राम में खलिहान, खाद के गड्ढे तथा सार्वजनिक उपयोग के स्थानों को भी चकों में सम्मिलित कर दिया है ?

(ख) यह कि कुछ काश्तकारों से पैसे लेकर अनुचित लाभ पहुंचाया ?

(ग) यह कि सहायक चकबन्दी अधिकारी ने उक्त क्षेत्र में चक काटते समय नियमों का पालन नहीं किया ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

जी नहीं ।

श्री नाथूराम शिक्षक---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि जिला अधिकारियों के पास बड़ी मात्रा में शिकायतें मौजूद हैं तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था वह कराने की कृपा करेंगे कि उस की जांच पूरी तरह से हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जांच की गयी है और तारीखवार हमने पता लगाया तो पता लगा कि उन तारीखों में कोई शिकायत नहीं है। अगर हमें और सूचना आप दे देंगे तो पता लगा कर मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री नाथूराम शिक्षक--

यह दरख्वास्तें जो भेजी गयी हैं उनकी प्रतिलिपि मौजूद है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करा दें कि उस क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है और उस की शिकायतें चकबन्दी के बारे में दूर नहीं हुईं। सरकार उनकी उचित व्यवस्था करायें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमें लिख कर दे दीजिये।

विद्यान्त डिग्री कालेज, लखनऊ के अध्यापकों का बकाया वेतन

*६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार इस भयंकर महंगाई के समय में यह बताने की कृपा करेगी कि इस सत्र में विद्यान्त डिग्री कालेज, लखनऊ के अध्यापकों की वेतन-वृद्धि बिना किसी अपराध के क्यों रोक दी गई है? क्या सरकार के किसी आदेश द्वारा ऐसा किया गया है, तो उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो १५ मई, १९६६ से पूर्व उक्त भुगतान शीघ्र ही कराने की व्यवस्था करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

नियमानुसार देय जो वेतन वृद्धि थी, वह नहीं रोकी गई है। प्रबंध समिति ने अनियमित रूप से जो वेतन-वृद्धि तथा उच्च वेतन दिया था उसकी स्वीकृति शासन ने नहीं दी। शासकीय आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४५ पर)

*७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा विश्वविद्यालय की भांति पी० एच० डी० करने के बाद स्पेशल इन्क्रीमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित डिग्री कालेजों के अध्यापकों को पी० एच० डी० का स्पेशल इन्क्रीमेंट देने की व्यवस्था है? यदि हां, तो विद्यान्त कालेज, लखनऊ के अध्यापकों को पी० एच० डी० का स्पेशल इन्क्रीमेंट क्यों रोक दिया गया है तथा अन्य प्रकार के स्पेशल इन्क्रीमेंट जो अध्यापकों को मिलते रहे हैं रोक कर अन्याय क्यों किया गया है? तथा नगर के अन्य डिग्री विद्यालय भी उक्त इन्क्रीमेंट देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, सन् १९६६-६७ से। चूंकि विद्यान्त कालेज के अध्यापकों को स्पेशल इंक्रीमेंट उक्त तिथि के पहले दी गई थी अतएव अनियमित थी। नगर के अन्य डिग्री कालेज भी इसे नहीं देते थे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो वेतन वृद्धि का रुपया बकाया था वह उन्हें दे दिया गया है? यदि हां, तो कब?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वेतन वृद्धि नियमित रूप से शिक्षकों को दी गयी है और उस की शासन से सम्मति नहीं दी गयी थी। जब वेतन वृद्धि की जांच कराने के बाद ज्ञात हुआ कि इस प्रकार वेतन वृद्धि की गयी है तो उन को रोक दिया गया और वहां की प्रबंध समिति ने यह कहा है कि वह जो वेतन वृद्धि दी जा चुकी है उस स्तर तक सामान्य रूप से वेतन वृद्धि नहीं पहुंच जायगी तब तक इंक्रीमेंट नहीं देंगे।

मुरादाबाद जिले में चकबन्दी कार्य

*८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद में कितने ग्रामों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है और जो गांव बचे हुये हैं उनमें कब से चकबन्दी का कार्य शुरू करने का इरादा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

जिला मुरादाबाद की तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद में क्रमशः २०९ तथा ७९ गांवों में चकबन्दी का कार्य हो रहा है। इन तहसीलों में क्रमशः १०४ व १९७ गांव चकबन्दी के लिये अयोग्य हैं। शेष क्रमशः २६ तथा ८० गांवों में नहरों के बन जाने के बाद चकबन्दी का कार्य प्रारम्भ करने पर विचार किया जायगा।

*९—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद में कितने ग्रामों में नहरें निकालने का प्रस्ताव है और जिनकी वजह से चकबन्दी स्थगित की गई थी उनमें अब चकबन्दी कब से शुरू करने का इरादा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

तहसील ठाकुरद्वारा के २६ तथा तहसील मुरादाबाद के ८० ऐसे गांवों में नहरों के बन जाने के बाद चकबन्दी कार्य प्रारम्भ करने पर विचार किया जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिन गांव में नहरें खुदने की वजह से काम बंद कर दिया गया था चकबन्दी का, वहां नहरों का काम मुल्तवी कर दिया गया है ? तो क्या मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश जारी करेंगे कि उन गांवों में चकबन्दी का काम शुरू कर दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कैनाल डिपार्टमेंट से हमारे पास कोई सूचना नहीं है। दरियाफ्त किया जायगा। अगर वह नहीं करते हैं और हम कर सकते हैं तो हम करा लेंगे।

स्याना—बुगरासी मार्ग

*१०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर में स्थित स्याना-बुगरासी मार्ग, जो कि सन् १९५४ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में है और जिसको कि पक्का करने की मांग २५ या ३० वर्ष से बराबर चली आ रही है, जो कि एक अत्यधिक कृषि विकसित क्षेत्र से गुजरता है, का क्या सरकार एकोनामिक सर्वे करायेगी और उक्त मार्ग को एडवान्स ऐक्शन की सूची में सम्मिलित करने की ओर ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

जी नहीं। अग्रिम कार्यवाही की सूची में केवल वह सड़कें सम्मिलित की गई हैं जो अभी तक विभाग के अधिकार में नहीं हैं। सड़कों का एकनोमिक सर्वे कराने की इस समय कोई योजना नहीं है।

पथरी जंगल की भूमि का एलाटमेंट

*११---श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि १९५६-५७ में मीरपुर कलां, खुर्द, नाबलपुर, धारीवाल, टिकौला व हरसी वाला, जिला मुजफ्फरनगर के बाढ़पीड़ितों के लिये पथरी जंगल, जिला सहारनपुर में २,४७२ एकड़ भूमि जमीन उसी जमाने में एलाट की गई थी? यदि हां, तो उक्त बाढ़पीड़ितों में से कितनों को कब्जा दिया जा चुका है और कितनों को अभी तक नहीं दिया गया है?

*१२---क्या यह सही है कि उपरोक्त एलाटेड भूमि पर सहारनपुर व मुजफ्फरनगर के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है और रिपोर्ट पर उनको अभी तक बेदखल नहीं किया गया है? यदि हां, तो उन्हें हटाने के लिये अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

*१३---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो भूमि मुजफ्फरनगर के बाढ़पीड़ितों को सहारनपुर में एलाट की गयी उनके वितरण करने का आधार क्या था?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बांछनीय सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री सईद अहमद---

अध्यक्ष महोदय, एक महीना हो गया हमको यह प्रश्न किये हुये और आज कहा जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है। १५-१६ वर्षों से लोग गासिबाना कब्जा किये हुये हैं। इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त है कि इस सेशन में जल्द से जल्द जवाब आ जाना चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना जैसे ही आ जायेगी फौरन रखूंगा।

श्री बांकेलाल---

श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी कोई जवाब सही नहीं देते।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जिस ढंग से आप जवाब चाहते हैं, मैं नहीं दे पाता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न कुछ ऐसा है जिसके लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि शीघ्र इसका उत्तर मंगा लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां, मंगा लूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी की ओर से निश्चयात्मक उत्तर आना चाहिये, गोलमोल उत्तर नहीं आना चाहिये ।

*१४-१५---श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)---

[स्थगित किये गये ।]

बस्ती जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों मे कार्य की अधिकता

*१६---श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्रेशन विभाग के अन्तर्गत आने वाले बस्ती के सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों में कितने दिनों से दस्तावेज जनता को न लिखे जाने के कारण वापिस नहीं किये गये, उनमें कितने दस्तावेज १९६५ के वापस नहीं किये ? उनका कारण क्या है ?

*१७----क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनता द्वारा रजिस्ट्री को फीस के साथ प्रतिलिपि की फीस भी देने के बावजूद भी उन बस्ती के सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में बकाया काम को खत्म करने हेतु सितम्बर, १९६५ से स्टाफ को सैंक्शन क्यों नहीं किया जबकि उनकी तनख्वाह के पैसे से अधिक सरकार को उसी फीस से उपलब्ध हो जाता है ?

*१८----क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बांसी, डुमरियागंज, नौगढ़ (बस्ती) के सब-रजिस्ट्रार के दफ्तरों में पिछले कई सालों से कार्य काफी बढ़ गया है और रजिस्ट्रेशन नियम के अन्तर्गत इन दफ्तरों में तीन-तीन लिपिक होना चाहिये फिर भी एक ही लिपिक से क्यों कार्य लिया जा रहा है जिससे कि किसान तथा कार्मचारी दोनों को परेशानी है ?

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१९-२१---श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

[स्थगित किये गये ।]

*२२---श्री नाथूराम शिक्षक---

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना

*२३---श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा पुर्नव्यवस्था योजना के स्थायीकरण संबंधी राजकीय आदेश सितम्बर, १९६५ में हो चुका है फिर भी इस योजना के अन्तर्गत पदों को किन कारणों से अभी तक स्थायी नहीं किया गया है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

*२४---क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रसार अध्यापकों की पदोन्नति की श्रंखला क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल---

मैं जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्र हो जायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इसमें थोड़ा-सा विलम्ब हो गया है। जिलों से सूची मंगानी है।

श्री अध्यक्ष--

इसी सेशन में आप मंगाने का प्रयत्न करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

भरसक प्रयत्न करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मान्यवर, शिक्षा संचालक के कार्यालय में पूरी सूची है, जिलों से मंगाने की जरूरत नहीं है।

ऐंग्लो संस्कृत डिग्री कालेज, फतेहपुर का अनुदान

*२५--श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के एक मात्र डिग्री कालेज (ऐंग्लो संस्कृत डिग्री कालेज), फतेहपुर को वर्ष १९६५-६६ व १९६६-६७ में कोई सहायता दी गई अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

यह फतेहपुर जिले के एकमात्र डिग्री कालेज का प्रश्न है। यह रजिस्टर देखकर एक मिनट में बता सकते हैं और उसका जवाब दे रहे हैं कि एकत्रित की जा रही है। उसको कोई सहायता नहीं दी गई है। यह तो दफ्तर से ही अभी बता सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपत्ति कुछ ठीक मालूम देती है शिक्षा मंत्री जी।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

कठिनाई यह थी कि पूरी सूचना नहीं आ सकी थी, इसलिये नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष--

अब शायद मुझे यह कहना पड़े कि जो अधूरी सूचना आया करे वही दे दी जाय।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ठीक है, दे दी जायेगी।

मोहम्मदी तहसील में अग्निपीड़ितों को सहायता

*२६--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मोहम्मदी तहसील, जिला खीरी में १ अप्रैल, १९६६ से ८ अप्रैल, १९६६ तक आग लगने की कितनी घटनायें घटीं, प्रत्येक में कितनी-कितनी हानि हुई तथा सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

तहसील मोहम्मदी में १ अप्रैल, १९६६ से ८ मई, १९६६ की अवधि में २४ अग्निकांड हुये। फलस्वरूप घरेलू सामान तथा ५०७ मकानों को पूर्ण या आंशिक क्षति हुई। दो व्यक्ति तथा ८४ पशुओं की मृत्यु हुई। पीड़ितों की सहायता हेतु १,१८० रुपया अहेतुक सहायता वितरित की गई। ग्राम वार वितरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३४६ पर)

श्री मन्नालाल---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस ग्राम में तीन लाख की हानि हुई, दो व्यक्ति मर गये, दो भैंसे और एक बकरी मर गई उस गांव में केवल एक सौ रुपया सहायता दी गई? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसकी जांच करने के लिये कौन-कौन अधिकारी गये थे?

श्री रामकुमार शास्त्री---

जिन लोगों ने अहेतुक सहायता की इच्छा प्रकट की उन लोगों को दिया गया और जिन लोगों ने सहायता की इच्छा प्रकट नहीं की उन लोगों को जबरदस्ती कैसे दिया जा सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आमतौर से यह रिवाज है कि जहां जहां आग लग जाती है वहां सहायता दी जाती है। लेकिन वह दस, बीस, पचास या सौ रुपये की होती है। इससे कुछ लाभ नहीं होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिनके यहां आग लग जाय उनको कुछ तो ऐसी क्षतिपूर्ति की सहायता दी जाय जिससे उनको राहत मिल सके?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

जो कायदा है हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी कि आग लगने के बाद जब दरख्वास्त संबंधित अधिकारी के पास भेजी जाय तो निर्धारित अवधि के अन्दर फैसला लेकर उनको सहायता दे दी जाय?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

यह स्टैन्डिंग आर्डर्स हैं कि जितनी जल्दी मदद कर सकें, करें।

श्री मन्नालाल---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहिले प्रश्न किया था कि इस गांव की जांच करने के लिये कौन-कौन गये थे। इसका माननीय मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया। अब इसका उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजस्व मंत्री जी, प्रश्न यह है कि इस संबंध में किसने जांच की थी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---

ये डिटेल्स तो पता नहीं है। तहसीलदार ने जांच पड़ताल की थी।

श्री मन्नालाल—

२४ गांवों में जहां अग्निकांड हुआ है और करीब ७०–८० लोगों को हानि हुई है और वहां के लोगों के खाने तथा पहिनने के लिये कोई कपड़ा नहीं रह गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी गांव में लगान माफ करने को कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लगान से कोई वास्ता नहीं है।

श्री बांकेलाल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिनके गांव में आग लगी, खलिहानों में फसल जल गई, क्या उन गांव में लगान माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विचार किया जाता है लगान के संबंध में भी। मकान के जलने के संबंध में कम्पेन्शेसन नहीं दिया जाता है, सहायता देते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब पांच सौ मकानों की क्षति हुई हो, और एक ग्राम में दो व्यक्ति मर गये, बो भैंसे मर गई, बैल मर गये, बकरियां मर गई तो वहां अधिकारी जांच करने के लिये गये या नहीं गये ? और ५०७ मकानों की क्षति के लिये जिला अधिकारियों की ओर से कितनी हाउस सबसिडी दी गई ?

श्री अध्यक्ष—

आप योग बतला दें।

श्री रामकुमार शास्त्री—

१,१८० पशु मरे और २१ नंबर पर जो सरेली गांव है वहां कुछ मनुष्यों की मृत्यु हो गयी . . .

श्री अध्यक्ष—

वह जानना चाहते हैं कि उनको कितनी कुल सहायता दी गयी।

श्री रामकुमार शास्त्री—

यह तो ब्योरेवार दिया हुआ है, उसका योग नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं तो जेल में था। श्रीमन्, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जहां तक हमारे सेक्रेटेरियट का ताल्लुक है उसके जरिये सारे उत्तर प्रदेश का शासन चलता है। उस सेक्रेटेरियट के सारे कर्मचारी हड़ताल पर थे। विधान सभा के रिपोर्टर भी नहीं हैं। क्या ऐसी हालत में आप स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं और यहां बैठकर क्वेश्चन होते रहें और उनके जवाब दिये जाते रहें, यह कहां तक उचित ? सारे जिलों में शासन ठप है, हर जिले में काम नहीं हो रहा है। ऐसी हालत में विधान सभा का चलते रहना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल इसके पूर्व भी यहां बीसियों मर्तबा उठाया जा चुका है। नियमों में यह है कि जो प्रसंग चल रहा हो उसके ही विषय में प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि औरंगाबादा गांवमें जहां २ आदमी मर गये तथा बहुत सी भैंसे और बकरियां आदि जल गयीं, उसको इतना कम महत्व दिया गया कि कोई जिला अधिकारी वहां नहीं गया और व्यापक रूप से जांच नहीं की ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

मैं पता लगा लूंगा। अगर नहीं गये होंगे, तो मैं ताकीद करूंगा।

श्री मन्नालाल—

जिन २४ गांवों में आग लगी है, मैं हर गांव में गया और प्रत्येक गांव के २—२ और ४—४ आदमी तहसीलदार, सी० एम०, और जिलाधीश के पास गये और प्रार्थना की कि आप जांच कीजिये लेकिन कोई नहीं गया। सिर्फ पटवारी गया और लिख लाया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन २४ गांव के आदमियों को केवल १,३८० रु० दिया, जो माननीय मंत्री जी द्वारा छिपाया गया है। एक एक गांव में १००—१०० एफेक्टेड आदमी हैं। इससे आप अन्दाजा कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना पड़ा होगा ? तो क्या माननीय मंत्री जी इस धन को कुछ और सहायता के रूप में बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि जो सहायता दी गयी है, उसमें कुछ वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

गवर्नमेंट कम्पेनसेट नहीं करती है लास को। जो इसके बारे में नियम हैं, उनके हिसाब से मदद करती है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी उन किसानों का, जिनकी फसल खलियानों में जल गयी थी, लगान माफ करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

मैंने जवाब दे दिया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि स्टैन्डिंग आर्डर है कि जहां पर आग लगे वहां पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाय। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्टैन्डिंग आर्डर होते हुये जिन आदमियों ने डिले की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

मुआविजे के बारे में जो कायदे में होता है वह किया गया है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

अगर उन्होंने डिले की है तो उन पर आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

उनसे जवाब तलब किया जायगा।

श्री मन्नालाल—

अगर आप लगान माफ नहीं करते हैं तो क्या लगान स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो कायदे में होगा वह तो करना ही पड़ेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जब किसी गांव में आग लगती है तो मंत्री जी १०, ५० रु० तक तिड़ी में देते हैं, उस रुपये को सूद में मुजरा कर के उतनी ही रकम बिना सूद कर्जे में देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह तो बड़ा पेचीदा सवाल है इस पर विचार करके जवाब दिया जा सकता है ।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन काश्तकारों के घर जल गये हैं उनको बजाय २० रु० सहायता न दे कर लकड़ी आदि देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब रुपया दे देते हैं तो उससे वह इन्तजाम कर लेंगे ।

*२७—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[स्थगित किया गया ।]

*२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[स्थगित किया गया ।]

*२९—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

[स्थगित किया गया ।]

पर्वतीय जिलों के नक्शों के निरीक्षण पर प्रतिबन्ध

*३०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अल्मोड़ा तथा अन्य पर्वतीय जिलों में जो सर्वे की कार्यवाही हुई तथा जो उसके नक्शे बने या उनकी छपी प्रतिलिपियां बनाई गयीं क्या उनके निरीक्षण करने पर जोकि पब्लिक डाक्यूमेंट है प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और जो गांव किसी विदेशी मुल्क से सीमा नहीं बनाते उनके कागजात के मुआयने तथा उनकी प्रतिलिपियां शुल्क पर देने में प्रतिबन्ध लगाने का क्या औचित्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पर्वतीय जिले के नक्शों के निरीक्षण तथा उसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध है । प्रतिबन्ध के कारण बताना जन हित में न होगा ।

भुजरिया-बिल्सी रोड से प्लेटों की चोरी

*३१—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के भुजरिया-बिल्सी रोड (सरकारी) पर जो लोहे की प्लेट सन् १९६३-६४ में डाली गई थीं क्या यह सत्य है कि उसमें से बहुत सी प्लेटें चोरी चली गई हैं ? यदि हां, तो कितनी प्लेटें डाली गईं, कितनी चोरी गयीं तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

१७६ प्लेटों की चोरी हुई। पुलिस चोरी का पता नहीं लगा सकी। विभागीय जांच के आधार पर संबंधित कर्मचारियों की शिथिलता के लिये उन्हें उचित दंड दिया जा चुका है।

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कर्मचारियों को क्या क्या दंड दिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसमें एक वर्क एजेन्ट था उसका ८० रु० महीने का वेतन काट लिया गया है और उसे सरकारी सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया है और आगे भी सरकारी नौकरी से डिबार करने का विचार है।

दूसरा वर्क एजेन्ट है वह नौकरी छोड़ कर भाग गया है। एक मेट और गैंग के जितने कर्मचारी थे.....

(लाउड स्पीकर खराब होने की वजह से माननीय अध्यक्ष ने माननीय मंत्री से कहा यह दूसरे माइक से बोलें।)

एक राम सिंह, वर्क एजेन्ट को नौकरी से अलग किया गया तथा उसका एक मास का..... (व्यवधान)

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जायें।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आपने जो कहा इसी से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या किसी अमर्यादित मंत्री को मर्यादा के साथ विरोधी पक्ष के लोग सुन सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जिस प्रकार से आप आक्षेप कर रहे हैं वही इस बात का द्योतक है कि हम मर्यादाओं का संरक्षण नहीं करना चाहते। आपके प्रश्न से यही जाहिर है।

श्री जगनप्रसाद रावत—

विभागीय जांच द्वारा जाहिर हुआ कि रामसिंह, वर्क एजेंट का एक माह का वेतन रोक लिया गया, सरकारी सेवाओं से विमुक्त कर दिया गया और भविष्य में सरकारी नौकरी से डिबार करने का प्रश्न विचाराधीन है। दूसरा एजेंट छैलबिहारी नौकरी छोड़ कर भाग गया। गैंग के कर्मचारियों को सरकारी सेवाओं से हटा दिया गया और आई० सी० जैन की एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गयी और चेतावनी दे दी गयी है।

श्री हरिनाथतिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

यह जो प्लेट चोरी गयीं उनका कितना मूल्य होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

उनका मूल्य लगभग १० हजार रुपये है।

श्री लखपतराम शर्मा—

ये जो प्लेटें चोरी गयी हैं माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस जांच में क्या साबित हुआ ? ये प्लेटें कितने समय से चोरी हुई हैं और पुलिस के किस अधिकारी के सुपुर्द इसकी जांच की गयी और जांच रिपोर्ट का आधार क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इसकी इंक्वायरी पुलिस को दी गयी थी। पुलिस कुछ पता नहीं चला सकी। लापरवाही के कारण जो लोग इसमें उत्तरदायी हुए उनको ये सजायें दी गयीं।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन ओवरसियर उसका इंचार्ज था और क्या उनकी ही सलाह से ये प्लेटें चोरी की गयीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जितनी जानकारी मुझे थी वह तो मैंने बतला दी। यदि माननीय सदस्य इसमें हमारी सहायता करें तो हम फिर से जांच करा कर हरएक को सजा देनेको तैयार हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि एक कर्मचारी भाग गया है। तो जो कर्मचारी भाग गया है उसके खिलाफ कौन सी कार्यवाही उन्होंने की है या करने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो कर्मचारी हमारे यहां नहीं है और भाग गया है तो उसके खिलाफ हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं, पुलिस कार्य वाही कर सकती है, लेकिन अगर साबित हो जाता और जांच से पता लग जाता तो।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री अपनी यह जिम्मेदारी समझते हैं कि जो आदमी भाग गया है उसके खिलाफ भी कार्यवाही करें,? तो वे ऐसा क्यों कहते हैं कि पुलिस कार्यवाही करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

क्या कार्यवाही की जाय, यह सजेस्ट कीजिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा कायम करने जा रहे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वर्क चार्ज टैम्पोरेरी होते हैं। इसलिये जब जगह छोड़ कर भाग जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता सिवाय इसके कि हम उनको दोबारा नौकरी में न रखें और जुर्म साबित हो जाय तो उनको सजा करवा दें।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री जी से पूछा गया है कि जो ओवरसियर इंचार्ज थे उनका क्या नाम है और क्या अभी भी उसी स्थान पर वह जमे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह दो वर्ष पुरानी बात है। इसकी मेरे पास सूचना तो नहीं है कि दो वर्ष से वही हैं, इतना मैं समझता हूं कि दो वर्ष शायद न हुये हों।

*३२-३३--श्री रक्षपालसिंह--

[स्थगित किये गये ।]

श्री नगेन्द्रकुमार सक्सेना, सुपरवाइजर कानूनगो, कोसीकलां के खिलाफ घूसखोरी की जांच

*३४--श्री लखीसिंह--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हल्का कोसी कलां जिला मथुरा में २७ मई, १९६५ को श्री गिर्राज प्रसाद, ग्राम बठेन कलां से रिश्वत के १५० रुपये लेते हुए श्री नगेंद्र कुमार सक्सेना कानूनगो रंगे हाथों जिलाधीश की आज्ञा से पकड़ा गया था और उसको जेल भेजकर अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

श्री नगेंद्र कुमार सक्सेना, सुपरवाइजर कानूनगो दिनांक २७ मई, १९६५ को कोसीकलां, जिला मथुरा में श्री गिर्राज प्रसाद निवासी ग्राम बठैनकलां से १५० रु० रिश्वत लेने के आरोप में श्री एस०के० पांडे, डी० वाई०एस०पी० द्वारा पकड़े गये थे और जिला जज के आदेश से इन्हें जमानत पर छोड़ा गया । इस समय ये निलम्बित हैं और इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है।

श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि श्री पांडेय, डी०एस०पी० ने फाइनल रपट लगा कर मुल्जिम को अदालत से रिहा करवा दिया है और अब उस पर कोई जुर्म नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

रपट लगा दिया गया जिसको जज ने मंजूर कर लिया, लेकिन हम डिपार्टमेंनटल रंक्वा एक्शन कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

विभागीय जांच करा रहे हैं।

श्री लखीसिंह--

यह बात बिल्कुल निराधार है। २२ मई, १९६५ को पकड़े गये हैं और सारे अखबारों में यह छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

देखिये इसमें जवाब यह है कि रिश्वत लेने के आरोप में श्री एस०के० पांडेय फलां-फलां-द्वारा पकड़े गये थे और जिला जज के आदेश पर उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है । इस समय वे निलम्बित हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

श्री लखीसिंह--

क्या यह सुपरवाइजर कानूनगो लखनऊ के किसी वरिष्ठ अधिकारी अथवा किसी मंत्री जी के रिश्तेदार हैं जिससे यह सिफारिश गोबिन्दनारायण रिटायर्ड ने बहुत जोर दे कर के उसको मुक्त करवाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं है।

श्री लखीसिंह—

अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस घटना की जांच किसी उच्च अधिकारी के द्वारा करायेंगे और उक्त अधिकारी को जिन्होंने इसको छोड़ने का कार्य किया है, दंड दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करा रहे हैं, यदि साबित हो जायगा तो हम उनको दंड देंगे।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि सारे उत्तर प्रदेश में सुपरवाइजर कानूनगो दाखिल खारिज, अमल दरामद और कब्जे के इंदराज में अच्छी रकम किसानों से वसूल करते हैं, इस संबंध में कोई उचित आदेश जारी करने की कृपा करेंगे जिससे इन चीजों में रुकावट हो या कोई पाबन्दी लगायी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रश्न से उसका क्या संबंध है ? कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लें।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें जो दफा १६१ का मुकदमा कायम हुआ उसमें फाइनल रिपोर्ट ली गयी, तो इसकी गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय माल मंत्री जी इस पर पुनर्विचार करेंगे और इस संबंध में एक मैजिस्टीरियल इनक्वयारी इंस्टीट्यूट करायेंगे कि फाइनल रिपोर्ट इसमें सही लगी है या गलत लगी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब हमने इसको मंजूर किया है, उसका यही मतलब है कि सही लगी है।

श्री लखीसिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस गम्भीर घटना की जांच कब करायेंगे और किस अधिकारी के द्वारा करायेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जब तक खतम नहीं होगी तब तक जांच कराते रहेंगे।

*३५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

[स्थगित किया गया।]

*३६—श्री कमलासिंह यादव—

[अस्वीकार किया गया।]

विधायकों की रिहाई के संबंध में सूचना

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

पहले मैं एक सूचना दे दूं। माननीय बांकेलाल जी मौजूद हैं और सर्वश्री काशीनाथ जी मिश्र और कृष्णा जी हैं यहां।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन् हमारा एक्यूटल हुआ है। हमे सजा नहीं हो पाई है अदालत ने यह फैसला किया है कि हमारी गिरफ्तारी अवैध और गैर कानूनी थी....

श्री अध्यक्ष—

इसके लिये आपने तो लिखकर भी दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हां, विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना है। जिलाधीश के खिलाफ, जिसने हमारी गिरफ्तारी की थी।

श्री अध्यक्ष—

सर्व श्री कृष्णा, बालोजी अग्रवाल, माननीय शिवचरन और माननीय सुलतान सिंह यह भी छोड़ दिये गये हैं और बालोजी तो यहां नहीं हैं। (व्यवधान) जब आप आदेश की प्रतिलिपि दीजियेगा तो देखा जायेगा।

सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर के लाबी में न रखे जाने पर आपत्ति

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया था। मान्यवर, मुझे व्यवस्था का प्रश्न यह करना है कि आपने सदन में ऐसा कहा था कि सदन की कार्यवाही चलाना सुचारु रूप से और व्यवस्थित रूप से आपका काम है। लेकिन मान्यवर, आज जो लाबी में हस्ताक्षर हो रहे हैं, वह बड़े साधारण कागज पर हो रहे हैं। क्या आपके यहां छपे हुए कागज इस प्रकार के नहीं हैं जिस पर दस्तखत होने चाहिये। मैं समझता हूं कि इस हड़ताल के कारण सुचारु रूप से आपका काम चल नहीं रहा है। तो जो स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और बदलती जा रही है, आप उस पर अपनी व्यवस्था दें कि जो काम चल रहा है उसमें सुचारु रूप से और व्यवस्थित ढंग से कितना है। और आप कितना चला रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कल रजिस्टर था, आज नहीं है।

श्री विजयसिंह—

श्रीमन, आज तो सादे कागज पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। वहां प्रश्न यह है कि उत्तरोत्तर स्थिति बिगड़ रही है। आपके सामने शायद यह चीज नहीं आ रही है, जो मैंने जिक्र किया वह शायद अभी आपके नोटिस में नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष—

मेरे नोटिस में नहीं थी।

श्री विजयसिंह—

खैर, इसे आज मैं आपकी नोटिस में ला रहा हूं कि क्या आपका काम सुचारु रूप से चल रहा है, इसे आप मानते हैं या नहीं?

(व्यवधान)

प्रश्नों का उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ३ दिन पहले मैंने एक अल्पसूचित प्रश्न दिया था जो उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जा चुका था। पर कोई आदमी न होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि न कोई बाबू है न चपरासी और इसलिये वह अब तक नहीं आ सका है। तो मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं कि जो हमारा विधायी कार्य है जो आप भी स्वयं चला रहे हैं उसको दफ्तर में आगे चलाने वाला कोई नहीं है, मुकम्मिल स्ट्राइक चल रही है। लेकिन आप दुनिया की नजरों में यह दिखाने के लिये कि स्ट्राइक से हमारे काम पर कोई असर नहीं पड़ा है और वह सदैव की तरह चल रहा है, आप किसी तरह से असेम्बली चलाये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न उठता है और उसकी आड़ में मेरे ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। अब मैं तो आपकी सेवा हर तरह से करने के लिये तैयार हूं। (व्यवधान) इस तरह से तो बहस नहीं हो सकती। आप बैठ जाये। (व्यवधान) आपको कठिनाई है कि आपका अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हुआ और उसका जवाब नहीं आ रहा है। मैं पत्रावली देखकर बतला सकूंगा। आप आ जाइयेगा मैं देखकर बतला दूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उनका कहना यह है कि वे निर्दोष थे और निर्दोष होते हुए भी उनको गिरफ्तार किया गया और जुडीशियल आफिसर, बांसडीह बलिया, श्री इम्तियाज, मुहम्मद ने फैसला किया कि कोई भी अपराध साबित न होने के कारण उनको जेल से मुक्त कर दिया जावे। अपने फैसले में उन्होंने इनकी गिरफ्तारी को अवैध तथा गैर कानूनी ठहराया है। गत २८-६-६६ को उस समय के जिलाधीश श्री केशव प्रसाद अग्रवाल....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

नहीं, श्रीमन्, केशव दयाल अग्रवाल।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उनके भ्रष्टाचार, धांधली और अन्यायपूर्ण कार्यों का विवरण देते हुए एक छपत हुआ खुला पत्र माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ, के नाम भेजा था जिसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है। इस पर चिढ़कर श्री अग्रवाल, जो फतेहपुर के जिलाधीश हैं बदला लेना चाहते थे और ११ जुलाई को गैर कानूनी ढंग से श्री काशीनाथ मिश्र को गिरफ्तार किया। अब कठिनाई यह है कि उन्होंने जो खुला पत्र दिया था उसकी तो प्रतिलिपि की एक प्रति को इस सूचना के साथ संलग्न किया है किन्तु फैसले की कोई प्रतिलिपि दाखिल नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, फैसला तो कल ही हुआ है। मैं चाहता था कि उसकी प्रतिलिपि मिल जाय। मैंने दरख्वास्त दी थी कि प्रतिलिपि दी जाय, लेकिन कचहरी में भी हड़ताल थी इसलिये प्रतिलिपि जल्दी से नहीं मिल सका। अगर वे हड़ताज पर नहीं होते तो कल ही प्रतिलिपि मिल गयी होती।

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार का नियम है कि अगर किसी कागज के आधार पर जिसका उल्लेख करके विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जावे तो वह पत्र संलग्न होना चाहिये में बगैर उसके तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं चल सकता । आप उसको पेश करें तो विचार कर लिया जायगा

श्री काशीनाथ मिश्र--

जब मिलेगा तभी तो देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहां कहता हूं कि आज दीजिये । जब मिलेगा तब देखेंगे ।

अब एक प्रश्न माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने विशेषाधिकार की अवहेलना का उठाया है । शिक्षा मंत्री, कैलाशप्रकाश जी ने वर्तमान सत्र के ८ वें शुक्रवार, यह वर्तमान सत्र ऐसा गलती से लिख गया है. . .

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

प्रथम रात्र है श्रीमन्,

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, गलती से लिख गया है तो शुक्रवार १५-४-६६ को तारांकित प्रश्न संख्या १५ का उन्होंने गलत उत्तर दिया और गलत उत्तर दे कर सत्य पर परदा डाला था । इस आधार पर आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहे हैं । मेरा खयाल यह है कि हम लोग १२,१३ मई तक बैठे थे और माननीय रामसुन्दर पांडेय जी को यह प्रश्न विशेषाधिकार का फौरन ही उठाना चाहिये था । इतने बिलम्ब के बाद यह स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

मुझे भी सुन लें आप । आप प्रश्न के उत्तर को देखें ।

श्री अध्यक्ष---

हां, यह ठीक है, लेकिन इतने बिलम्ब से नहीं उठ सकता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

जब तक हमको मालूम न हो जाय कि यह प्रश्न का उत्तर जो दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं तो उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकता था । अब असेम्बली के बाद १० या ११ के बाद अपने यहां से हमको यह जानकारी हुई कि मंत्री जी ने गलत जवाब दिया है क्योंकि जिला परिषद के ७ सौ अध्यापकों की १६ महीने की तनख्वाह बाकी है और वह नहीं दी गयी है । अब हमको उसकी जानकारी हो गई, तो हमने यह विशेषाधिकार का सवाल उठा दिया । पहले हमको जानकारी नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष---

हमारे जो नियम और निर्णय हैं उनके अन्तर्गत हम बंधे हैं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

श्रीमन्, यह सवाल उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन बीच में उनसे नाराजगी हो गई तो उन्होंने यह हथियार भी इस्तेमाल कर दिया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राहत मौलाई के विरुद्ध भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था। उसकी कापी अब माननीय राहत मौलाई को दे दी गई है।

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी का भी एक प्रश्न है। मैंने अभी उसका अध्ययन नहीं किया है। अध्ययन करने के बाद अपना निर्णय दे दूंगा।

सदस्यों के उपस्थिति रजिस्टर के लाबी में न रखे जाने पर आपत्ति

श्री केशरी प्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, हम लोगों के हस्ताक्षर के लिये जो कागज रखा गया है लाबी में उस पर-तो आपके हस्ताक्षर हैं और न मित्थल साहब के हस्ताक्षर हैं। वह सादा कागज है जिस पर वह हस्ताक्षर चाहते हैं। मैं आपका आश्वासन चाहता हूं कि सरकार हमारे हस्ताक्षरों का गलत प्रयोग न कर ले।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर स्टाम्प लगाना चाहिये। कोई सचिव उसके ऊपर जाकर स्टाम्प लगा दे।

नियम ५२ तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास अनेक नियम ५२ की सूचनाएं आई हैं और कार्य स्थगन प्रस्ताव की भी एक सूचना प्राप्त हुई है। यह कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भेजी है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कदाचित् आपका निर्णय यह हो कि यह प्रस्ताव उसी विषय पर है जिस पर पहले इस सदन के समक्ष आया था। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली बार जो कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने रखा था वह सचिवालय के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज के संबंध में था। जो सचिवालय के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज के संबंध में था वह बार नहीं हो सकता, आज उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये जो आपके सामने उपस्थित है इसलिये कि नई परिस्थितियां घटित हो गई हैं। हाई कोर्ट बन्द हो गया। बोर्ड आफ रेवेन्यू बन्द हो गया। बस स्टेशन, बैंक बन्द हो गये हैं। सारे विद्यार्थियों ने घोषणा कर दी है कि आज से उनकी हड़ताल है। सचिवालय की यह हालत है कि जो प्रश्न देने जाते हैं उनको कोई लेने वाला नहीं है। वह हमारे पास आते नहीं हैं और न हमारे पास उत्तर आता है। सारे प्रांत में एक प्रकार से कर्फ्यू जैसा है। प्रदेश का सारा काम काज रुका हुआ है। इससे महत्वपूर्ण और क्या प्रस्ताव हो सकता है? इसलिये सारा कार्य रोककर, मेरा आपसे निवेदन है कि विचार किया जाय। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें इसलिये कि सारे प्रांत का कार्य ठप है। पहले जो हमने अपना कार्य स्थगन दिया था उससे इसमें अन्तर है। मुझे आशा है कि आप अपने विवेक से मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि जो मेरे सामने सूचना आयी है उस में राज्य सरकार की दमन नीति के विरुद्ध समस्त राजकीय प्रशासन ठप हो गया है के अतिरिक्त

[श्री अध्यक्ष]

इस में केवल एक नयी बात लिखी हुई देखता हूं कि उच्च न्यायालय तक बन्द हैं। उच्च न्यायालय के संबंध में मैंने एक सूचना स्वीकार कर ली है और उस पर बयान होगा । परिवहन विभाग के संबंध में कल माननीय परिवहन मंत्री का वक्तव्य हो चुका है। मैं एक बात और निवेदन कर दूं कि वस्तुतः एक ही घटना चक्र के विभिन्न रूप हैं। तो रोज रोज एक ही विषय पर पुनः पुनः विचार होने से मैं कोई लाभ नहीं समझता। मैं समझता हूं कि एक विशेष घटना ले कर उस पर प्रश्न कर लें या नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित कर लें तो आप के लिये सूचना भी आ जायगी और उस का उत्तर भी आ जायगा ।

श्री ब्रह्मदत्त माथर (जिला सहारनपुर)--

मेरी एक बात सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल ने कहा और जब आप सूचना दीजियेगा तो कह लीजियेगा ।

श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

श्रीमन्, उन के लिये कोई कानून और सीमा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

इसी वजह से मैंने कहा कि वह लिखा नहीं जायगा ।

जिला कारागार, आजमगढ़ में कैदियों के भोजन तथा रहन सहन की कथित अव्यवस्था के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने एक सूचना स्वीकार की है। वह इस प्रकार से है कि जिला कारागार आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश बन्द के सिलसिले में राजनीतिक बंदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें सड़े हुए आटे की रोटी, सब्जियों में कीड़े और घास की पत्तियां आदि खराब दाल, गीला कच्चा चावल दिया जा रहा है। वह भी दिन में ४ बजे शाम को और रात में १२ बजे दिया जाता है, जो नियमों के विपरीत है। टाट, कम्बल आदि के अभाव में भोजन करने, पानी पीने और शौच जाने को कठिनाई पड़ती है। बिस्तरों के अभाव में सोने की व्यवस्था नहीं है। शौचालय में खिड़कियां नहीं हैं, तारकोल नहीं लगता और बहुत सी शिकायतें हैं। वह सूचना माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय भीमा प्रसाद, माननीय मंगल देव, माननीय दीनन लाल की हैं। यह नियम ५२ में स्वीकार हुई है। माननीय कारागार मंत्री कब तक इस पर बयान दे देंगे ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)--

सूचना मंगा लें फिर जल्द से जल्द दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

कब तक ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

मंगलवार तक दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष--

तो मंगलवार को बयान दे दीजियेगा ।

"पायनियर" के सम्वाददाता के प्रति पुलिस के कथित दुर्व्यवहार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक मैंने नियम ५२ की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है। यह माननीय हरिनाथ तिवारी, रक्षपालसिंह, राजेंद्रसिंह आदि की है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि कल स्थानीय पायनियर के एक फोटोग्राफर पत्रकार जब राजकीय परिवहन के केन्द्रीय कार्यालय में थे टेढ़ीकोठी पर बसों के फोटो लेने पहुंचे तो उन्हें वहां तैनात पुलिस ने पीटा, धक्का देकर गिरा दिया और उन का मूल्यवान कैमरा नष्ट कर दिया। मंत्री जी, आप इस पर वक्तव्य कब दीजियेगा ?

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

मंगलवार को दे दूंगा।

ग्राम बछगांव, जिला मथुरा में हरिजनों की बारात पर हमले के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

(आइटम नम्बर ६ के लिये गृह मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, हमारा एक नियम ५३ का प्रस्ताव था, उसे पढ़ दें, वह बड़े महत्व का था।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

उस पर हम सब लोगों के भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह यह है "दिनांक १२ जून, १९६६ को ग्राम बछगांव, थाना मुगर्रा, जिला मथुरा के हरिजनों की एक बारात को वहां के जाटों द्वारा छुआछूत के आधार पर रोकने तथा १३-६-६६ को पुलिस अधिकारियों व परगनाधीश के समझाने पर भी न मानने व क्रुद्ध होकर हमला करने व अपने बचाव में पुलिस द्वारा कार्यवाही करने से संघर्ष हो गया और उससे वहां के जाट उक्त गांव के हरिजनों से इतने अधिक रुष्ट हो गये हैं कि जातिवाद व छुआछूत का नारा लगाकर वहां के हरिजनों का रहना दूभर किये हुए हैं और वहां के हरिजनों के जान व माल का हर समय खतरा पैदा किये हुए हैं। यद्यपि जिला अधिकारियों ने हरिजनों के संरक्षण का कतिपय प्रबन्ध किया, लेकिन जाटों के इस संगठित विरोध को देखते हुए वह नहीं के बराबर है। और आज स्थिति यह बनी हुई है कि जाट हरिजनों पर भयंकर हमला करके किसी भी समय ऐसा विस्फोट कर सकते हैं जिससे साम्प्रदायिक वैमनस्य व संघर्ष की भयावह स्थिति होकर प्रदेश की शांति को खतरा पैदा हो सकता है।

अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि ऐसे अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाय।"

मुझे खेद है कि नियम ५३ के अन्तर्गत यह स्वीकार नहीं हो सकता। इसमें स्पष्टतया तथ्यों तथा विषय का देना आवश्यक है। यद्यपि नियम ५३ में यह स्वीकार नहीं है, तो भी इसको महत्वपूर्ण समझ कर मैं इसे माननीय गृह मंत्री की सेवा में उचित और शीघ्र कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां बड़ी अव्यवस्था है और लोग मारे-मारे फिर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

श्री खेमचन्द जी, आपने सब जगह लिखा है कि संभावना है, संभावना है, तो गृह मंत्री के पास भेज रहे हैं कि संभावना को रोकें ।

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय के कर्मचारियों पर कथित लाठी चार्ज के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं श्रीमन्, एक बात कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री को बोलने के लिये कहा गया....।

श्री अध्यक्ष---

कायदे से आप प्रश्न पूछिये तो मंत्री द्वारा वक्तव्य हो सकेगा । मैं मंत्री से पूछ सकूंगा और मेरा आग्रह है विरोधी दलों के नेताओं से कि यह आठ ही में कोई प्रश्न पूछा जा सकता है । वर्तमान परिस्थितियों में मंत्री से कुछ पूछ सकते हैं वरना और तो प्रश्न....

गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)---

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल तथा दफा १४४ के लगाये जाने के कारण १९ जुलाई, १९६६....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, सदन में यह व्यवस्था है कि जिनका सवाल हो उसका उत्तर उन्हें भी जाना चाहिये । लेकिन अब मैं जानता हूं कि किसी संबंधित सदस्य को जिनका यह सवाल है कि उनको उत्तर नहीं मिला है । इसका क्या कारण है ? उत्तर न मिल सकने के कारण सप्लीमेंटरी जो सवाल उठते हैं वे हल नहीं हो पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय रामसुन्दर जी, मेरी व्यवस्था अवश्य है और मैंने अवश्य यह कहा है....

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने मंत्री जी से पूछा है ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जाइये । जैसा कि मैंने अभी कहा । यह पूछ लीजियेगा । छठी मद में दें वक्तव्य दे दें पहिले ।

श्री रामसुन्दर पण्डेय---

वक्तव्य की प्रतिलिपि हमको मिलती ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष----

गृह मंत्री जी, दोनों का उत्तर दे दीजिये ।

*श्री शिवप्रसाद गुप्त--

श्रीमन्, प्रतिलिपि का आदेश मेरे पास कोई नहीं था। मालूम नहीं प्रतिलिपि मिली है या नहीं। इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप भविष्य में इसका ध्यान रक्खें।

श्री शिवप्रसाद गुप्त--

उसका पालन हो जायेगा।....

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल तथा दफा १४४ के लगाये जाने के कारण १९ जुलाई, १९६६ को सुबह साढ़े आठ बजे महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित चीफ इंजीनियर पी०डब्ल्यू० डी० के कार्यालय के बाहर कुछ पुलिस इसलिये तैनात कर दी गई थी कि दफ्तर आने वाले लोगों को बचाया जा सके और साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो दफा १४४ के मातहत स्थिति कायम रक्खी जाय। वहां के मेन गेट पर एक सब इन्सपेक्टर, ६ कांसटेबिल और सिपाही थे। कुछ साईड गेट्स पर भी पुलिस थी। लगभग १० बजे सबेरे पी०डब्ल्यू० डी० आफिस के लगभग ४०० कर्मचारी कम्पाउन्ड के अन्दर इकट्ठा थे और १५-२० मेन गेट पर इस तरह खड़े थे जिससे कि दफ्तर जाने वालों को तथा सड़क पर यातायात में रुकावट पड़ रही थी। पुलिस पार्टी के इंचार्ज सब इन्स्पेक्टर ने गेट पर इकट्ठा हड़तालियों से हट जाने को कहा। उनके इंकार करने पर उन्होंने और दो दरवाजों पर तैनात पुलिस को भीड़ हटाने में मदद करने के लिये बुलाया। हड़तालियों ने पुलिस का प्रतिरोध किया और उन्हें गालियां दीं और उनके ऊपर ढेले फेंके। पुलिस, हड़तालियों को हटाने के इरादे से आगे मेन गेट की ओर तेजी से बढ़ी जिससे हड़तालो तितर-बितर हो गये और शरण लेने के लिये आफिस कम्पाउन्ड में भागे। इस घटना में कुछ लोगों को हल्की चोटें आ गयीं। पी०डब्ल्यू० डी० कर्मचारियों ने अन्दर से गाली देना जारी रक्खा, लेकिन पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया और पी० डब्ल्यू० डी० कम्पाउन्ड के अन्दर नहीं घुसी और न उन्होंने कोई लाठी चार्ज किया। कर्मचारियों द्वारा पथराव की वजह से एक सब इन्सपेक्टर और कुछ सिपाहियों को बहुत हल्की चोटें आयीं इस घटना की सूचना पाते ही दो मैजिस्ट्रेट और दो पुलिस अफसर कुछ और पुलिस लेकर लगभग १०.३० बजे वहां पहुंचे और शांति बनाये रखने का प्रबन्ध कर दिया। वे लोग वहां पर कुछ समय तक रहे और उसके बाद और कोई घटना नहीं हुई।

पता चला है कि पी० डब्ल्यू० डी० आफिस के तीन कर्मचारी सिविल हास्पिटल गये और उन्होंन अपना डाक्टरी मुआयना कराया। अस्पताल की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उन्हें कुछ मामूली चोटें आयीं थीं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो पुलिस की टुकड़ी वहां गयी वह क्या चीफ इंजीनियर सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग पर भेजी गयी थी या अपने आप गयी थी ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

मांग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हड़ताल हो रही थी इसलिये हर जगह मेन गेट्स पर पुलिस लगी थी ताकि वहां जो लोग जमा होते थे उनसे आने जाने वाले लोगों को तकलीफ न हो। सब जगह इसी तरह की व्यवस्था की गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उनका ध्यान इस शहर के अखबारों की ओर गया है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता श्री भटनागर का बयान निकला है कि पुलिस की टुकड़ी पी० डब्ल्यू० डी० के हाते में बिना कारण के घुसी और हाते में लाठीचार्ज किया । उन्होंने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने ?

श्री बनारसीदास---

इस प्रकार की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

जो भी फोर्स सरकार इस्तेमाल कर रही है वह बिना किसी उच्च और वरिष्ठ अधिकारी की आज्ञा के कर रही है, यहां यह नियमों का उल्लंघन क्यों किया गया ?

श्री बनारसीदास---

नियमों के उल्लंघन का सवाल पैदा नहीं होता । वहां फोर्स का इस्तेमाल ही नहीं हुआ । वहां कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ । ४०० आदमी कम्पाउन्ड के अन्दर थे, किसी से कुछ नहीं कहा गया । कुछ लोग मेन गेट पर थे । उससे आने जाने वालों को रुकावट हो रही थी । सब इन्सपेक्टर ने उनको वहां से हटने के लिये कहा जिससे रास्ता साफ हो जाय । जब वे लोग नहीं हटे तो उन्होंने कुछ और लोगों को बुलाया । इस पर वे लोग वहां से भागे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया और माननीय बनारसीदास जी ने जो बयान दिया, उन दोनों में कुछ अन्तर मालूम पड़ता है ।

उसमें आप ने बताया है कि एक जगह ४-६ आदमी थे और एक जगह २० थे और उन्होंने इसके साथ यह भी बताया कि पुलिस ने फोर्स इस्तेमाल किया और उसमें लोगों के चोटें आईं । तो दोनों में से कौन सा वक्तव्य सही है, इसका निराकरण आप करा दें ।

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

यही उत्तर में कहा गया है उसमें कोई अन्तर नहीं है, बल्कि यही कहा है उसमें भी कि १५-२० व्यक्ति मेनगेट पर इस तरह खड़े थे जिससे कि दफ्तर जाने वालों को तथा सड़क पर यातायात में रुकावट पड़ रही थी । पुलिस पार्टी के इंचार्ज सब-इंसपेक्टर ने गेट पर इकट्ठा हड़तालियों से हट जाने को कहा । उनके इंकार करने पर उन्होंने और दो दरवाजों पर तैनात पुलिस को भीड़ हटाने में मदद करने के लिये बुलाया । हड़तालियों ने पुलिस का प्रतिरोध किया और उन्हें गालियां दीं और उनके ऊपर ढेले फेंके । पुलिस हड़तालियों को हटाने के इरादे से आगे मेन गेट की ओर तेजी से बढ़ी जिस से हड़ताली तितर-बितर गये और शरण लेने के लिये आफिस कम्पाउन्ड में भागे । इस घटना में लोगों को हल्की चोटें आ गईं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को चोट आई वह किस प्रकार आई और मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री बनारसीदास---

तीन आदमियों की मेडिकल रिपोर्ट हुई, उनकी स्क्रीनिंग कराई गई, किसी के कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

हल्की चोटें किस चीज से आईं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

एक कर्मचारी के एक बटा चार इंच, एक बटा तीन सेण्ट....

श्री अध्यक्ष---

वह चोटों का ब्योरा नहीं पूछ रहे हैं, वह पूछ रहे हैं किससे आईं, कैसे आईं ?

श्री शिवप्रसाद गुप्त---

उस में लिखा है कि किसी सख्त चीज से, एबरेजन से चोटें आईं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

एबरेजन से नहीं, ब्लन्ट वेपन से आई हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी एबरेजन के माने जानते हों तो उसके माने तो खुद चोट होते हैं। एबरेजन से कैसे आईं ?

एक सदस्य---

मेडिकल रिपोर्ट वह पढ़ दें।

श्री काशीनाथ मिश्र---

एबरेजन के मायने या तो आप बतला दीजिये, या मैं बतला दूं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस हड़तालियों को हटाने के इरादे से आगे बढ़ी जिससे हड़ताली तितर-बितर हो गये। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या चीफ इंजीनियर के मना करने पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया ?

श्री बनारसीदास---

यह गलत है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी---

क्या माननीय मंत्री जी मेडिकल रिपोर्ट को पढ़ेंगे कि कारण क्या लिखा हुआ है इन चोटों का ?

श्री बनारसीदास---

रिपोर्ट के अन्दर कोई लाठी वगैरह का जिक्र नहीं है। यह लिखा है कि किसी सख्त चीज से....

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र---

अध्यक्ष महोदय, आप मेडिकल रिपोर्ट पढ़वा दीजिये।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

इसके माने हैं कि सदस्य चाहते हैं कि वह रिपोर्ट पढ़ दी जावे। आप कृपा करके पढ़ दें।

श्री बनारसीदास--

तीन आदमियों का है। एक इसके अन्दर है मुन्नालाल जिसमें लिखा है कि एब्रेसिव कंट्यूजन।

श्री काशीनाथ मिश्र--

अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री बनारसीदास--

एब्रेसिव कंट्यूजन १ १/४ × ३/४ (शोर)

Which is below the left knee joint. Abrasive contrusion 3/4×3/4 over right thigh lower and just above the right knee joint. Both injuries appear to be simple and appear to have been caused by blunt hard object. Duration of injuries appear to be within about six hours.

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बहस करने लगते हैं।

एक सदस्य--

इसका हिन्दी करा दें।

श्री अध्यक्ष--

आप चाहते हैं कि इसकी हिन्दी करा दी जाय।

श्री बनारसीदास--

हिन्दी यह है कि बायीं टांग के बिलकुल ठीक बायें घुटने के नीचे सवा इंच बाई पौन इंच लाल सा निशान जो कंट्यूजन लगता है और दूसरी चोट यह है कि जो बिलकुल लाल कंट्यूजन पौन इंच बाई पौन इंच है सीधी टांग के नीचे के हिस्से के ऊपर और सीधे घुटने पर है। उसके ऊपर दोनों चोटें साधारण हैं और ऐसा मालूम होता है कि किसी सख्त चीज से लगी हैं।

(शेम शेम)

श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या मंत्री जी को पूर्ण विश्वास है और ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)--

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि एक व्यक्ति के एक चोट बांई जांघ में और दूसरी चोट दाहिनी जांघ में आयी, लेकिन आप कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ, तो यह चोटें लाठी चार्ज की नहीं है तो किस कारण हैं ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इसका उत्तर मैं दे चुका।

श्री अध्यक्ष--

हां, उत्तर तो हो चुका, अब जो अन्दाजा लगाना चाहें लगा लें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय मंत्री जी, इन चोटों को देखने के बाद और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन सुनने के बाद मैं महसूस करता हूं कि यह चोटें लाठी से लगी हैं ?

श्री बनारसीदास--

गिर कर भी चोटें लग सकती हैं और ज्यादा सम्भावना गिरने की ही है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि यह लाठीचार्ज जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ लोग रोक रहे थे, उनको हटाने के लिये पुलिस दौड़ी, ऐसा न होकर वास्तविकता यह है कि एक दिन पहले पुलिस वहां से पी० डब्लू० डी० का एक तख्त उठा कर ले आई थी वहां सोने के लिये और वह तख्त गायब हो गया। जब वह तख्त गायब हो गया तो दूसरे दिन पुलिस वाले दूसरी बेंच उठा कर ले आए। इस पर चौकीदार ने कहा कि जो तख्त कल आप ले आए थे वह गायब हो गया और अब यह फिर गायब हो जाएगा तो अब इनका जिम्मेदार कौन होगा? इस पर पुलिस सब इंस्पेक्टर और चौकीदार से कुछ कहा सुनी हो गयी। इसके बाद पी० डब्लू० डी० का अफसर आया और जब उसने कहा कि सरकारी सामान इस तरह से गायब हो जाएगा तो क्या होगा। इस पर थानेदार साहब उस पर गर्म हो गये और यह कहा कि दफा १४४ लगी है, तुमको पकड़ कर बन्द कर देंगे। तो उसे रोकने की बात पर पुलिस ने नाराज होकर लाठीचार्ज किया, इसका ज्ञान है आपको ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इस प्रकार का न तो प्रश्न पूछा गया और न नियम ५२ के अन्तर्गत इस प्रकार की सूचना मंगवाई जा सकती है, जो हमारे पास रेकार्ड में नहीं है।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा मंत्री जी रिपोर्ट पढ़ रहे थे उस समय उन्हें ने यह भी निवेदन किया कि कर्मचारी भयभीत होकर अपनी रक्षा करने के लिये बरान्डे में भागकर चले गये। तो क्या जब पुलिस ने भयानक लाठीचार्ज किया तो उस समय वे अपने संरक्षण के लिये भगकर गये ?

श्री बनारसीदास--

यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि पुलिस अन्दर गई नहीं और जो लोग अन्दर की तरफ थे वही बरान्डे में चले गये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

जिस लाठीचार्ज के लिये माननीय मंत्री जी ने सदन में मना किया, क्या उसकी जांच के लिये माननीय मंत्री जी एक सर्वदलीय जांच कमेटी सदन की बिठाने के लिये तैयार हैं ?

श्री बनारसीदास--

नहीं, इसका कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जो ३ व्यक्ति घायल हुये और अस्पताल में पड़े हैं, इस संबंध में उन्होंने या उनके साथियों ने कोई शिकायत लिखी है या सरकार को रिपोर्ट दी है ? और उसमें उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज हुआ और उसमें हमारे चोटें आयी हैं ?

श्री बनारसीदास--

इसकी सूचना मुझे नहीं है। सिर्फ इतना मालूम है कि तीनों आदमियों ने सिविल डिस्पेंसरी में जाकर अपना मुआयना कराया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयी हैं उनकी संख्या क्या है और क्या उनका डाक्टरी मुआयना हुआ ? अगर हां, तो क्या चोटें हैं ?

श्री बनारसीदास--

पहले ही जवाब में मैंने बतला दिया कि ऐसी चोटों में मुआयना नहीं होता। (व्यवधान) रोज ऐसी चोटें लगती हैं कोई मेडिकल एक्जामिनेशन में जाता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

पुलिस पागल हो गयी है। थानेदार को इन्होंने हुक्म दे रखा है (व्यवधान) इसे बन्द कराइये। राज्य कर्मचारियों पर इस प्रकार से लाठी चार्ज नहीं होना चाहिये। इसे बन्द कराइये। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास--

ऐसा बिलकुल नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

लाठीचार्ज होगा तो ठीक नहीं होगा। पुलिस को चोटें नहीं आयीं और लाठी चार्ज हो गया। (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

माननीय बनारसीदास जी इस समय बहुत गुस्से में हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुंवर श्रीपालसिंह जी ने घटना का कारण विशद रूप से उनके सामने रखा है। क्या माननीय मंत्री जी तैयार हैं कि उनके बयान के आधार पर इस घटना की फिर से जांच करायेंगे ?

श्री बनारसीदास--

इसका कारण मैंने पहले ही बतला दिया, लेकिन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को दे दी जायगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

अभी माननीय बनारसीदास जी ने नाराज हो कर कुछ कहा। श्रीमन्, हम लोग तो दुखी हैं, मगर उन्हें अपना संतुलन नहीं खोना चाहिये। मैं जानता हूं कि उस दिन जो घटना हुई.....

श्री बनारसीदास--

अपोजीशन वाले भ्रष्ट हो गये हैं (व्यवधान)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जिसको दुख होगा उसका दिल ऐसा ही होगा। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप खामोश हो, बैठिये। मैं बता दूं कि नाराजगी का प्रश्न नहीं है। माननीय बनारसीदास जी कभी-कभी ऐसे बोलने लगते हैं (व्यवधान) नाराजगी नहीं है कृपा करके आप प्रश्न पूछिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

हां, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस दिन जो घटना हुई उसकी रिपोर्ट क्या पुलिस में लिखाई गई है। अगर हां, तो वह क्या है ?

श्री बनारसीदास--

जो घटना हुई उसके बारे में विस्तृत रूप से बयान दे दिया है। जो बयान दिया गया है वह तो पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर है ही। कर्मचारियों ने कोई रिपोर्ट लिखाई इसकी मुझे इत्तला नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चौकीदार की जिस घटना का माननीय श्रीपालसिंह जी ने उल्लेख किया है उसकी सूचना आफिस वालों ने अपने अधिकारियों को पहले दे दी थी ?

श्री बनारसीदास--

इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं।

श्री टम्बेश्वर --

यह जो चोटें आई हैं और मारे गये हैं वह हड़ताली लोग थे या पुलिस वाले थे ?

श्री बनारसीदास--

जहां तक मुझे मालूम है वह हड़ताली थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री जी इसकी सफाई करेंगे कि जब पी० डब्लू० डी० के दफ्तर पर कर्मचारियों ने रास्ता नहीं रोका था और कोई परमिशन चीफ इंजीनियर या उनके अधिकारियों द्वारा उनके पास नहीं थी तो पुलिस के कर्मचारियों ने, जिनको चोट भी नहीं आई, अहाते में घुसकर लाठी चार्ज क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष--

आप कहते हैं कि लाठी चार्ज किया। वह कहते हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

यही तो दिक्कत है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी के अनुसार स्ट्राइक चल रही थी और जो पुलिस ड्यूटी पर तैनात थी उनके पास लाठी वगैरह नहीं थी, निहत्थे थे और चीफ इंजीनियर ने अखबारों में जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वयं लाठी चार्ज को रोका और पुलिस ने नहीं माना, तो आप जो असेम्बली में बयान दे रहे हैं उसके संबंध में आपने चीफ इंजीनियर से कोई इंक्वायरी की या नहीं की, किस आधार पर आप यह बयान दे रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--

उत्तर मैं दे चुका हूं इस विषय पर पुलिस सुपरिटेंडेंट से जांच की जा सकती है, उसी के आधार पर यह बयान है।

श्री अध्यक्ष—

यह विषय समाप्त ।

राजकीय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के बारे में की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, कल मैंने बड़ी नम्रतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रार्थना की थी और उन्होंने उसका कोई उत्तर दिया। आज मैंने अखबारों में पढ़ा, मुझे पढ़ कर आश्चर्य हुआ, अखबारों के पढ़ने से जो ध्वनि निकलती थी वह यह थी कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया और कहा कि आप लोग आइये, आमंत्रित किया। यह बात बिल्कुल नितान्त गलत थी। मैंने तीन बातें माननीया मुख्य मंत्री के सामने रखी थीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न क्या है आपका ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, बड़ी मुश्किल है, आप तो बोलने नहीं देते। मैं संक्षेप में कह रहा हूं। श्रीमन्, मैंने तीन बातें उनके सम्मुख रखी थीं। उन्होंने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया। एक बात यह कह दी कि अगर विरोधी दल चाहे तो आ सकते हैं। उसमें श्रीमन्, उनकी आज्ञा की जरूरत नहीं थी। तो मैंने जो पूछा था उसमें एक तो विक्टेमाइजेशन के बारे में था। उन्होंने उसके बारे में स्पष्ट नहीं किया। दूसरी बात शान्त वातावरण पैदा करने के लिये रिक्वेस्ट की थी कि एक जांच समिति बिठा दें। अगर जुडिशियल इन्क्वायरी पर उनको आक्षेप था और वह कहती हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ तो उससे तो उनकी बात की पुष्टि भी हो जाती और हम लोगों की बात झूठी साबित हो जाती। एक जांच समिति बिठा दी जाती और दोनों पक्षों की सहमति से चैयरमैन बना दिये जाते। इन किसी बातों का जवाब नहीं दिया गया। तीनों बातों को उन्होंने ठुकरा दिया और उल्टे दोषारोपण कर दिया कि विरोधी दल को आमंत्रित किया। वह यहां मौजूद हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे आधे घंटे के लिये सदन को स्थगित करा दें, विरोधी पक्ष को आमंत्रित करें और इस बात पर विचार करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। मैंने बार बार कहा है कि अगर इस समस्या का हल नहीं किया गया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी, विरोधी दलों के लिये यह नहीं कहा जायेगा कि उन्होंने साथ नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहेंगी ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

कल जब सदन में आप लोग मौजूद थे और आपकी मौजूदगी में जो कुछ भाषण मैंने दिया, वह दिया और उस वक्त उपेक्षा से मैंने कहा और मैंने जो कुछ कहा वह अगर लोग ट्विस्ट करें तो मैं क्या जवाब दूं ? आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने नम्रता से भाषण दिया और मुझ से आशा की है कि मैं भी नम्रता से भाषण दूंगी। मैं वैलकम करती हूं कि आप लोग आईये और इसको बातचीत करके समझा जाय। जब तक वातावरण तैयार न हो जाय और जब तक बातचीत करके नतीजा न निकाला जाय, तब तक कोई हल नहीं निकल सकता है। मेरा एटीट्यूड गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के प्रति क्या है वह मैंने साफ कर दिया, मेरा एट्टीट्यूड गवर्नमेन्ट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वेन्ट्स के लिये जो कम तनख्वाह पाते हैं हमेशा सहानुभूति का रहा है। मगर हम इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो बातें आप की ओर से इस संबंध में हैं उनको आपस में हम डिस्कस करके किसी नतीजे पर पहुंचें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो मैंने उपेक्षा से बात की उसको माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बरदाश्त नहीं किया। (व्यवधान) आज बंगाल, पंजाब सब जगह आग लगी हुई है। मुख्य मंत्री को विरोधी पक्ष के नेताओं को स्वयं आमंत्रित करना चाहिये था। हम लोग बात करने के लिये अपनी ओर से कैसे आ जाते? इसीलिये मैंने कहा कि उपेक्षा की दृष्टि थी। दूसरी बात यह है कि हमारी बात का जवाब दिया जाय कि क्या हम इनडिसिप्लिन चाहते हैं? हम भी डिसिप्लिन के हामी हैं, हम भी यही चाहते हैं। अपने लड़के को मां मारती भी है और दूध भी पिलाती है। इस बात पर हमें बड़ा क्षोभ है। इन्होंने हमारी बात का जवाब नहीं दिया।

(व्यवधान)

१० मिनट के लिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अभी जो सवाल माननीय नेता विरोधी दल ने उठाया उससे ऐसा लगता था कि उत्तर प्रदेश में एक विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है .....

श्री अध्यक्ष—

एक बात मैं निवेदन कर दूं। एक बात जो इस सदन में कई बार कही जा चुकी है उसी को बार दुहराया जा रहा है। यह बिलकुल अनुचित और असंगत है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

दूसरी बात कहां, आप तो कह रहे थे कि जो माननीय नेता विरोधीदल ने कहा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं दूसरी बात यह कह रहा था कि माननीय नेता विरोधीदल और माननीया मुख्य मंत्री के कहने में कोई अन्तर नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री चाहती हैं कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल समाप्त कर दें और माननीय नेता विरोधी दल चाहते हैं कि हड़ताल खत्म होने का कोई रास्ता निकल आये। अब मैं माननीया मुख्य मंत्री से साफ तौर पर पूछना चाहता हूं कि बिना विक्टेमाइजेशन की पालिसी को खत्म किये वातावरण कैसे बनेगा, उनके पीछे पीछे जो लोग वारंट लेकर घूम रहे हैं, वे कैसे सामने आयेंगे, उनकी जो इंक्वायरी की मांग है उसके बारे में उनका क्या कहना है? सिर्फ दो, तीन मिनट में वे इन दो, तीन सवालों का जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। यह प्रश्न कल भी वहां उठाया गया था। माननीया मुख्य मंत्री को जो कुछ कहना था वे कह चुकीं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरे दो, तीन सवालों का आज उत्तर दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

कल उनको जो कुछ कहना था वह कह चुकीं और आज जो कुछ कहना था उसको भी उन्होंने कह दिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मुझे एक बात कहना है कि बांदा में पुलिस ने निर्दयता पूर्वक हजारों आदमियों पर लाठीचार्ज किया है और मंत्रिगण उससे मुकर रहे हैं । इस प्रकार इस प्रदेश का वातावरण बहुत दूषित हो रहा है ।

(व्यवधान)

आप इन्कवायरी बैठाईये ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी यह राय कितनी बार दे चुके हैं, अब आप कृपा कर के समाप्त करें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं इस के विरोध में ताकि सरकार को सद्बुद्धि आये सदन का त्याग करता हूं ।

(संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

(जाते जाते) आयेगी सद्बुद्धि आयेगी, जैसे पंजाब में सद्बुद्धि आई है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं बताये देता हूं कि अगर इस समय कोई खड़ा होता है तो मैं समझूंगा कि वह जानबूझकर कर व्यवधान कर रहा है । (श्री विजयपाल सिंह के खड़े होने पर) नहीं, आप बैठें या कृपा कर सदन छोड़ दें ।

लगान पर आपातिक अधिभार को समाप्त करने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अब श्री मन्ना लाल के उपस्थित संकल्प पर विवाद जारी होगा ।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि संकल्प पर वाद-विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री मन्नालाल के प्रस्ताव पर बहस समाप्त की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

---

†६ मई, १९६६ की कार्यवाही से ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी ने अपोजीशन की गैरहाजिरी में यह नाजायज फायदा उठाया है।]

(व्यवधान)

मैं आज के लिये बाक आउट करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन ने सदन का परित्याग किया।)

श्री कमलासिंह यादव, (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

जो लोग सदन छोड़ गये हैं उनके लिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव —

हम तो श्रीमान् आये हैं। जो छोड़ गये वे छोड़ गये। आप इस पर व्यवस्था दीजिये कि कोई भी एक संकल्प है उस पर कोई वादविवाद या किसी को बोलने की आपने आज्ञा न दी हो और न कोई बोला हो। जब तक कोई न बोले तब तक कोई उस पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आज जो कह रहे हैं ठीक नहीं है। इस पर पर्याप्त संख्या में सदस्य बोल चुके हैं।

श्री मन्नालाल—(जिला खीरी)

[टेप रिकार्डर में खराबी होने के कारण माननीय सदस्य का भाषण लिखा नहीं जा सका।]

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने विधेयक को पढ़ा नहीं। जब तक इमर्जेंसी कायम रहेगी तब तक यह लेवी लागू रहेगी और जैसे ही एमर्जेंसी खत्म हो जायगी वैसे ही यह भी समाप्त हो जायगी। चायना की वार के समय लेवी लगाई गयी था और जब समय आया तो एक बिल ला कर उसे समाप्त कर दिया गया था, वैसे ही यह भी समाप्त हो जायेगा। ये ऐसे कहते हैं किसानों के ठेकेदार वही हैं और हम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। जनताकी सुरक्षा के लिये हर तरह से तैयार है, लेकिन चारों तरफ बन्द लगे हुये हैं अशान्ति फैल रही है उसे शान्त करने की आवश्यकता है। जवान खाली फ्रन्ट पर लड़ सकता है और शान्ति कायम रखना हमारा और आपका कर्त्तव्य है और रुपये के साधन ढूंढना भी हमारा और आपका फर्ज है। इसलिये लगान उनको देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि यह सदन सिफारिश करता है कि सरकार मालगुजारी तथा लगान पर लगाये गये आपातिक अधिभार को अविलम्ब समाप्त करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक १९६६ को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा —

श्रीमन् मैं उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुर स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३४७ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बंशीधर पांडेय—

मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ३४८–३४९ पर)

नागर क्षेत्र में लगे भूमि भवन कर को समाप्त करने के संबंध में संकल्प

[टेप रिकार्डर में खराबी होने के कारण माननीय हरिनाथ तिवारी एडवोकेट के संकल्प "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के नागर क्षेत्र में लगे हुए भूमि–भवन कर को समाप्त करने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करे" पर विवाद में क्रमशः माननीय मुकन्दीलाल बैरिस्टर, माननीय राम सुन्दर शास्त्री, माननीय राम सुन्दर पाण्डेय, माननीय राजाराम मिश्र, माननीय बिपिन बिहारी तिवारी एवं माननीय हरिनाथ तिवारी एडवोकेट के स्वयं के भाषण रिकार्ड न हो सके तथा माननीय बंशीलाल की स्पीच भी रिकार्ड न हो पाई थी।]

(इस समय १ बजे उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, इस प्रसंग पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। कुछ विषयों के ऊपर एक याचिका समिति बनाई गई और उस समिति के आप अध्यक्ष थे। उसमें बहुत से पेटीशन इसी विषय को लेकर आये थे और उन पर काफी गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि जब इस याचिका समति के सामने इसी तरह के बहुत से मामले आये तो उस कांग्रेस के भाई जो उस समय इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे उन्होंने काफी विरोध किया था। जहां तक इस भूमि भवन कर टैक्स का सवाल है यह टैक्स प्रदेश के किरायेदारों के ऊपर लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले माननीय विचित्र नारायण शर्मा जी ने इस बिल को रखा था और विधान सभा से स्वीकृत कराया था। दुबारा फिर यह बिल आया और २५ परसेंट प्रदेश की जनता के ऊपर इस टैक्स का बोझा और डाला गया है। जैसा कि पास कराया जा चुका है जहां तक इस टैक्स का सवाल है, यदि सही चीज है कि जब किसी मुल्क को आजादी मिलती है और गुलामी की जंजीर उसकी टूटती है तो उस मुल्क को आर्थिक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें किसी की दो रायें नहीं हो सकती है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी मुल्क का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो उसके आर्थिक साधन हैं, जो उस मुल्क की गरीब जनता का टैक्स है उस टैक्स के रुपये का उपयोग ठीक से न किया जाय और उसका दुरुपयोग किया जाय तो मैं समझता हूं कि यह बड़ी चिन्ता और परेशानी का विषय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों के सामने अनेकानेक बार अनेक मामले आये हैं और लाखों करोड़ों रुपयों के मामले आये हैं और यह भी निश्चित है कि ऐसे मामले सरकार की जानकारी में हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन मामलों में किसी न किसी को नेता द्वारा ही बचाया गया है, बचाया जाता है और बचाया जायेगा। इस लिये हमारे प्रदेश में जो जनता के ऊपर जो टैक्स है अगर उस रुपये का ठीक तरह से सदुपयोग किया जायेगा तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जरूरतें और जनता की आवश्यकतायें अवश्य पूरी हो सकती है। लेकिन यह भी है कि कुछ हो नहीं पाता है। यह जो कानून हमारे प्रदेश में बनाया गया है, इसका श्रीमान् मंशा यही था कि दस रुपय तक के किरायेदारों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। चौधरी साहब तशरीफ ले गये हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में लाखों करोड़ों मकान जो दस रुपये से कम किराये के हैं क्या उनके लिये सरकार ऐसा करने के लिये तैयार है।

अपनी काब्लियत को दिखाने के लिये गरीबों का गरीबी में रहने वालों का खून चूसा है, जिन पर कानूनी तरीके से टैक्स आयद नहीं हो सकता है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि उनसे भी छोटे-छोटे मकानों में रहने वालों और झोपडों पर भी इसे इकट्ठा करके १० रूपया लगा दिया है। मिसाल के तौर पर ३–३ और ४–४ रुपये के जो छोटे-छोटे मकान है, लेकिन उन्हें भी ५–६ मकानों को मिलाकर १० रूपया टैक्स लगा दिया है। मैं समझता हूं कि प्रदेश और जनतन्त्र को जीवित रखने के लिये यदि कोई विधायक गलती करे, गवर्नमेंन्ट की नियत में बदनियती हो या कोई अधिकारी गैर कानूनी कार्यवाही करे तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में इस तरह की लोगों को शिकायत है, जिसके फलस्वरूप गरीब आदमी अदालतों में जाते हैं और मुकदमें दायर करते हैं,जबकि देश की हालत इतनी खराब है कि वे पैसा खर्च नहीं कर सकते। विरोधी पक्ष की जिम्मेदारी होती है और उसके कुछ विशेष फर्ज हैं और उसके कुछ उसूल होने चाहिये, और विरोधी दल में उसूल न रहने से ज्यादा अच्छा है कि वह गोमती में डूब मरे। विरोधी का मतलब यह नहीं कि वह अपनी आत्मा को दबाकर, आत्मा के खिलाफ गलत बातों का समर्थन करे।

इससे पहले, विधान सभा में आने से पहले मुझे १४ साल का अनुभव है म्युनिसिपल बोर्ड में काम करने का, उसके आधार पर मैं चौधरी साहब के लिये श्रद्धा के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि जब उनको कोई विभाग दिया जाता है, तो उनकी शक्ति चाहे जितनी हो, वे चाहते हैं कि

[श्री लखपतराम शर्मा]

उसमें सुधार हो, चाहे वह कर सकें या न कर सकें इस टैक्स की तकलीफों और परेशानियां का असर आम जनता पर पड़ सकता है। मैं भी यह अनुभव दावे के साथ कहने के लिये तैयार हूं, मैं किसी मंत्री का नाम नही लेना चाहता मैं हर एक मंत्री को अपमान की नजर से नहीं देखता हूं, लेकिन चौधरी साहब के जहां तक अनुभव का सवाल है इस प्रदेश के कई वरिष्ट मंत्रियों से उनका अनुभव अधिक है। यह दूसरी बात है कि उनको विभाग कोई दिया जाए। यह उन्होंने दिखा दिया है जैसा कि उन्होंने कुछ गलत अधिकारियों का तबादला भी किया, इससे गुटबन्दी समाप्त हो गयी और एक अच्छा और स्वच्छ वातावरण पैदा होगा। उन्होंने चेयरमैन का चुनाव पब्लिक से कराने का निश्चय किया है, वह चेयरमैन का चुनाव पब्लिक द्वारा कराने जा रहे हैं। १४ साल के अनुभव के आधार पर मैं यह कहने जा रहा हूं कि वह एक इतिहास बनाएगें। जहां २०-३० मेम्बर होते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है, जो असरदार और पैसेवाला होता है वह उनमें से बहुतों के ईमान को आसानी से खरीद लेता है और रात भर में चेयरमैन बन जाता है, लेकिन अगर जनता से चुनाव हो तो गरीब से गरीब आदमी भी उसके लिये चुनकर आ सकता है और अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन चूंकि यह विभाग चौधरी चरणसिंह के पास है इसलिये मैं कहता हूं कि यह टैक्स सिर्फ गरीबों पर लगाया गया और इस टैक्स को लगाकर कानून का दुरुपयोग किया गया। मुझे आशा है कि आप इसका सुधार करेंगे और ऐसे अधिकारियों के साथ जो कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे थे उनके साथ काफी सख्ती का इस्तेमाल करेंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है वह बहुत गरीब है और पिछड़ा है और मैं समझता हूं कि इस विषय से इसका संबंध नहीं है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि आज प्रदेश में खाने की चीजों तक के लिये कितनी परेशानी है और अगर परेशानी न होती तो मैं दावे से कहने को तैयार हूं कि आज प्रदेश के अन्दर जो स्ट्राइक चल रही है वह न चलती। सरकार चाहती है सुधार करना, लेकिन उल्टे तरीके से करना चाहती है। मैंने कल के अखबार में देखा। इसमें लिखा है कि लखनऊ के प्रमुख दुकानदारों से कहा गया है कि तुम मूल्यों की सूची टांग दो कि यह-यह सामान इस-इस कीमत पर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि जिस दुकान पर आदमी जाता है कि फलां चीज की आवश्यकता है तो वह छूटते ही कह देगा कि वह नहीं है। तो आपके सूची टांग देने से कोई लाभ नहीं हो सकता और वह दूकानदार खुलेआम चोर बाजारी कर सकता है। क्या आप उसकी तलाशी ले सकते हैं? काश आप दूकानदार को बता सकते हैं कि दुकान पर जो सूची हो उस में यह भी हो कि इतनी-इतनी वस्तुयें इस-इस दर पर उस दिन उसके दूकान में है। तो फिर दूकानदार टाल नहीं सकता और नहीं कह सकता कि उसके पास सामान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रस्ताव से संबंधित नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा--

उपाध्यक्ष जी, मेरा मतलब था कि इस तरह से बदगुमानियां न हों। एक तो आपको इस तरह के टैक्सेशन की जरूरत न पड़ती और अगर पड़ती भी तो जनता खुशी से देती। मगर हालत यह है कि आपके प्रदेश की जनता गरीब है। मिसाल के तौर पर मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख दूं। मैं पहले यह कह दूं कि आपका इस तरह से किरायेदरों से टैक्स लेने के मानी यह हैं कि गरीब लोगों पर टैक्स लगाया जाय और मकान मालिकों पर टैक्स नहीं है। मैं इस प्रदेश की गरीबी की हालत आप के सामने रखूं। सन् ५५ के अन्दर ३,२१,९७७ आदमियों ने यह प्रार्थना-पत्र दिया कि हम को नौकरी चाहिये, लेकिन आपकी तरफ से सन ५५-५६ के अन्दर १९,३९१ आदमियों को जगहें मिल सकीं। यह प्रदेश की हालत है। बेकारी की हालत यह

है। मैं बेकारी की बात आपके सामने कर रहा हूं और उन बेकार आदमियों पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है। ५६–५७ के आंकड़े तो नहीं हैं लेकिन ५७–५८ के आंकड़े आपके सामने रखूं। ४,१४,३७२ आदमियों ने प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन आप ४३,०७५ आदमियों को ही नौकरी दे सके। सन् १९६२ के फिगर्स में आपके सामने रखूं। ८,३०,३४७ आदमियों ने प्रार्थना पत्र दिये और नौकरी मिली ८५,०७७ आदमियों को। इससे मालूम होता है कि इस प्रदेश के अन्दर कितनी बेकारी है और कितने लोगों को काम मिलता है। आज जनता के ऊपर इतना टैक्स का भार पड़ रहा है कि वह इसको वहन नहीं कर सकती है।

माननीय मंत्री जी को यह अनुभव होगा कि जिस प्रकार से टैक्स का भार जनता पर लाद दिया गया है उसमें मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि भारतवर्ष में मरने वालों के लिये वह वक्त दूर नहीं है कि कफन के लिये चन्दा करना पड़ेगा तब लाश शमशान तक जा सकेगी। आप चाहे मेरी बात को न मानें लेकिन जनता इस टैक्स के भार से आज दुखी है और लोग कहते हैं जब कोई आदमी मर जाता है कि अच्छा हुआ मर गया और दुनिया की सारी मुसीबतों से छुटकारा पा गया। आज इस टैक्स के भार से और इस प्रशासन की बदइन्तजामी के भार से जनता इतनी परेशान और दुखी है कि वह मर जाना बेहतर समझती है। मगर सरकार जिस तरह से उसके मन में आता है करती है। इस प्रकार की नीति उसने बना ली है कि चाहे कितनी ही बार उससे कहा जाय वह किसी तरह से करों के बोझ को कम करने के लिये तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि याचिका समिति में हमने कई टैक्सों का सवाल रखा और कहा कि यह कर फिजूल लगाए गए हैं और इनको हटना चाहिए लेकिन उसका जवाब यह दिया गया कि सरकार जो टैक्स लगा देती है फिर उसको वापस नहीं करती है। लेकिन यह खुशी की बात है कि माननीय हुकुमसिंह जी ने बताया था कि किसानों के ऊपर जो टैक्स २५ फीसदी बढ़ाने का लगाया गया है वह लगान आपत्तिकालीन स्थिति के लिए ही बढ़ाया गया है। अगर माननीय राजस्व मन्त्री यह भी दो शब्दों में कह देते कि इमर्जन्सी के बाद इस बढ़े हुए लगान को हटा दिया जायगा तो जनता को इससे राहत मिलती। मैं इस बात का निवेदन करता हूं कि इस सदन में जब यह लगान २५ फीसदी का बढ़ाया गया था तो उस समय यह बताया गया था कि इमर्जेन्सी के समाप्त होते ही इसको वापस ले लिया जायगा भूमि और भवन-कर के विषय में भी इसी तरह की बात कही गयी थी।

अब सवाल यह है कि आपको लाभ इनसे कितना हुआ। जहां तक मेरी जानकारी है उत्तर प्रदेश की सरकार को इस टैक्स से और भवन-कर से १ करोड़ ३५ लाख रुपया मिला। हो सकता है कुछ मकानों पर एसेसमेंट किया जाय और कुछ अधिक और आमदनी हो सके लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप टैक्स लगा रहे हैं उससे गरीब जनता बहुत दिनों तक जिन्दा नहीं रह सकती है। प्रदेश की जनता को जिन्दा रखने के लिए यह जरूरी है कि आप जनता का विश्वास प्राप्त करें। आप विश्वास प्राप्त करके ही उसको जिन्दा रख सकते हैं। जनता का विश्वास प्राप्त किए बिना आपके यहां प्रजातन्त्र पनप नहीं सकता है। जनता के अनुकूल शासन में ही प्रजातन्त्र की भावना पनपती है। कांग्रेस शासन को यहां पर २० वर्ष हो रहे हैं। इस पिछले २० साल में कांग्रेस के ऊपर से जनता का विश्वास टूटता जा रहा है। आप इस तरह के कानून बनाते जा रहे हैं जिनसे जनता का विश्वास घटता जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके कर का बोझ जनता के बड़े आदमी और पूंजीपतियों के ऊपर पड़े तो मैं समझता हूं कि वह इसको बरदाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर टैक्स का सारा का सारा वजन आप गरीब जनता पर ही डाल दें तो मैं समझता हूं कि आजादी कायम रखने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए, इस जमहूरियत को जीवित रखने के लिए सब से शक्तिशाली अगर कोई है तो वह जनता ही है और जनता में भी गरीब हैं। लेकिन अगर आप इस चीज का विश्वास करें तो मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाऊं कि आप ने प्रोफेशनल टैक्स जो लगाया है वह गलत है। आप को अपनी नीति में, अपने रास्ते में परिवर्तन इस लिए करना होगा कि आप जनता की सही स्थिति को समझ सकें। जब

[श्री लखपतराम शर्मा]

आप जिलों में दौरे पर जाते हैं, माननीय मन्त्री लोग, जब हमारे उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरे पर जाते हैं तो हमें शिकायत यह है कि वे स्टेशन पर ही कुछ कांग्रेसियों के हाथों में कैद हो जाते हैं और उस हालत में खूबसूरत से खूबसूरत फूलों के हार वे उनको पहनाने लगते हैं और इस में वे अपने को भूल जाते हैं। जनता चाहे जितनी चिल्लाती रहे उस की सुनवाई उस समय नहीं हो पाती। अगर आप जनता के साथ सम्पर्क रखें, लोगों की तकलीफों को आप देखें तो आप को पता चलेगा कि इस उत्तर प्रदेश की जनता पर इस भूमि भवनकर का क्या असर हुआ है। तब आप को मालूम होगा। बहुत सी तकलीफें हो जाती हैं इसी शहर के अन्दर और माननीय मन्त्री जी को उस का अनुभव नहीं हो सकता। और इस के प्रमाण के तौर पर मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि दो, तीन दिन पहले जैसा कि प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक बयान दिया कि अभी तो महंगाई का मामूली असर हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन विशाल कोठियों में रहने वालों के लिए यह मामूली असर हो सकता है, लेकिन जिस इन्सान को आप सौ रुपया देते हैं उस के ऊपर आप ने इतना खतरनाक टैक्स लगा रखा है कि उस का जिन्दा रहना मुश्किल है। सौ रुपया पैदा करने वाला इंसान अपने बीवी और बच्चों को पालने के लिए बाजार से अपनी जरूरत की चीजें भी ले ले और आप को इस तरह के टैक्स दे यह दोनों बातें असम्भव हैं। मैं आप के सामने यह भी निवेदन करूं कि म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर पहले से काफी बड़ी मात्रा में यह टैक्स लगा रखे हैं। देश के अन्दर, प्रदेश के अन्दर कोई ऐसी नगर-पालिका नहीं जिस ने गरीब जनता से ले कर बड़े लोगों पर टैक्स न लगा रखे हों और वह हाउस टैक्स के नाम से होता है। आप भी जानते हैं और सारा सदन जानता है, लेकिन जब यह टैक्स लगा था, उस समय भूमि भवन कर नहीं था। अब यह भूमि भवन कर भी लगा दिया गया है। एक टैक्स दो प्रकार से वसूल किया जाय और उसे दो सरकारें वसूल करें, एक नगरपालिका वसूल करे और दूसरा प्रदेशीय सरकार वसूल करे, मैं समझता हूं कि यह गलत है। जनता इस से सख्त परेशान है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

कोरम नहीं है।

एक सदस्य—

अपोजीशन की यह जिम्मेदारी है कि कोरम बनाए रखे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक बात मैं याद दिलाता हूं। कितने ही अवसर आये हैं कि जिन में मैं चुप रहा हूं। अब उन को खलता है जब लोग करीं-करीं बातें सुनाते हैं।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री लखपतराम शर्मा—

दो, एक चीजें मैं सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि आप अगर अपनी नीति में थोड़ा-सा परिवर्तन कर लें, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आप जिलों और शहरों में, दोनों में जायं और गरीब जनता से सम्पर्क स्थापित करें तो सही स्थिति आप के सामने आ सकती है। और मैं समझता हूं कि इंसाफ करने में और लोगों को राहत पहुंचाने में आपके लिए आसानी हो सकती है। उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि भूमि भवन कर को सरकार ने नगरपालिकाओं द्वारा असेस कराकर इकट्ठा किया और उसका असेसमेंट किया। लेकिन मैं यह सरकार को बताना चाहता हूं कि इस तरह के असेसमेंट के अन्दर इन शहरों के अन्दर प्रदेश के कितने जिलों और शहरों में कुछ अधिकारियों ने यह कृपा की कि जो टैक्स वसूल किया तो लोगों से कुछ रुपए का सौदा किया कि अगर हमें रुपया दोगे तो हम तुम्हारा टैक्स कम कर देंगे, ऐसा करने की शिकायत थी।

श्री उपाध्यक्ष--

शर्मा जी, जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं तो दो मिनट चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--

दो मिनट से ज्यादा हो गए। समाप्त कीजिए।

श्री लखपतराम शर्मा--

इस तरीके से मैं सम्बन्धित माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि यह मकानों के ऊपर जो टैक्स वसूल किया जा रहा है उसी तरह से असेसमेंट के रजिस्टरों में गलत तरीके से असेसमेंट किया जा कर कर्मचारी इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं।

तीसरी बात मैं सरकार से बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि यह संकल्प जो आया है, इसीलिए आया है कि जनता का ध्यान, सरकार का ध्यान जन-कठिनाइयों पर आकर्षित किया जाय। हालांकि हमको उम्मीद कम है कि इसको आप वापस लेंगे। चाहे समाज का कितना भी अकल्याण हो, फिर भी आप उसको वापस नहीं लेंगे। लेकिन मैं यह कहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके जमाने में जब इस हद तक महंगाई हो चुकी है और रुपए का मूल्य घट चुका है, मेरी सम्बन्धित मन्त्रियों से प्रार्थना है कि वह ठंडे दिलों-दिमाग से इस गम्भीर मसले का हल सोचें और आश्वासन दें कि इस आदरणीय सदन के समक्ष इस चीज की घोषणा करेंगे कि जो टैक्स लगाया गया है उसको वापस ले लेंगे और जो दौलत वाले हैं प्रदेश के अन्दर उनके ऊपर कोई नया टैक्स लगा कर वसूल कीजिए, हम उसके वसूल करने में पूरे तरीके से आपको सहयोग देंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी तक माननीय बनारसीदास जी को सुना कि सुबह ऐबरेजन से चोटें आयीं तो ठीक ही हालत इस विधेयक की है कि हम भूमि भवन कर तो याद रखते हैं, लेकिन नगरपालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया में जो गरीब आदमी है, अंग्रेजी पढ़ा-लिखा नहीं है, वे इसको भयंकर नाम से कहते हैं। वे इसको भूत-भयंकर कर क्यों कहते हैं? वे इसलिए कहते हैं कि आज तक जितने भी कर हुए हैं उसकी वसूली में इतनी कठिनाइयां नहीं हैं जितनी कि इसमें हैं। इसकी वसूली के लिए यह है कि यह लैंड रेवेन्यू की तरह से वसूल होगा और किसी कर के सम्बन्ध में यह नहीं है। इसमें यह किया गया है कि नगरपालिका के अधिकारी जो इसके लिए निश्चित किए गए हैं वे एक नोटिस भेज देंगे कि फलां सन् का इतना रुपया, फलां सन् का इतना रुपया और फलां सन् का इतना रुपया जमा कर दो। इसमें यह भी है कि अगर इन्स्टालमेंट ठीक समय से जमा नहीं होगा तो पेनाल्टी भी पड़ेगी और उस पर सूद भी पड़ेगा। और वह सब भी लैंड रेवेन्यू की तरह ही वसूल होगा। जो टैक्स होगा वही जमा करना मुश्किल होगा, उसके ऊपर यह पेनाल्टी और जमा करना होगी। ऐसा कानून श्रीमन्, हमने कभी देखा नहीं। यह तो ठीक वैसा ही है जैसे पी० ए० सी० अपने डंडे के बल पर अपना कार्य करती है। १९६२ से श्रीमन्, यह लगाया गया है और उस समय यह कहा गया था कि चीन से लड़ाई शुरू हो गयी है उसके लिए जरूरत है साथ ही डेवलपमेंट की बात भी कह दी गयी थी। खाली अगर लड़ाई के लिए होता तो यह लड़ाई खत्म होने के साथ-साथ खत्म हो जाता, मगर अब तो यह स्थायी हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

अब सवाल यह उठता है कि जिस डेवलपमेंट कार्य के लिए यह लगाया गया है वह डेवलपमेंट का कार्य हो भी रहा है या नहीं ? हमारे बंशीलाल जी जो अभी तक इधर बैठते थे, आज उधर माननीय बनारसीदास जी की तरफ चले गए हैं। वहां जाकर वह दूसरी ही बात कहने लगे। वहां जाकर किसानों के हिमायती बनने लगे और कहने लगे सुधार करेंगे उनका।

(व्यवधान)

यह सरकार किसानों की बड़ी हिमायती बनती है। मैं पूछता हूं कि किसानों की जो हालत थी उससे आज क्या बेहतर हुई है ? यह सरकार बराबर यही कहती रही है कि फर्टीलाइर से उत्पादन बढ़ाना चाहिए ताकि बाहर से अन्न न मंगाना पड़े। मैं माननीय बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि जो नलकूप पहले १ रुपया का १६ हजार गैलन पानी देता था, आज वह केवल ११ हजार गैलन ही पानी क्यों देता है ? उसका कमान्ड एरिया पहले ८५० एकड़ था और वह भी जब २६ हजार डिस्चार्ज था तो ८५० एकड़ रक्खा था और अब डिस्चार्ज १२ हजार हो गया तो पांच सौ एकड़ का प्रस्ताव किया। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी नलकूप दे दीजिए जो कमान्ड एरिया रक्खा है, जितना खेत है उसकी सिंचाई कभी कर सकेंगे ? बहुत राग अलापा जाता है पूर्वी जिलों में कि यह रुपया नलकूप में बरबाद किया जा रहा है। मुझे आश्चर्य होता था, मैं पूर्वी या पश्चिमी जिलों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बनारस डिवीजन की बात कर रहा हूं। वहां एक कांफ्रेन्स हुई थी जिसमें बनारस डिवीजन के सब एम० एल० एज० थे। वहां नलकूप के बारे में मैंने पूछा तो पता चला कि ५६२ नलकूप बनने वाले थे जिसमें ६२ नहीं बने और ५०० बने हैं। उन्होंने कहा कि चार सौ नलकूप तैयार हो गए। बहुत पहले तैयार हो गए। हमने पूछा कि कितने नलकूप काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि १८०। अब आप सोचें कि ४६२ नलकूप बने हैं, लेकिन एक्चुअली वर्क १८० कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं माननीय बनारसीदास जी को बता देना चाहता हूं कि आप किसानों को धोखा देना चाहते हैं और दे रहे हैं। अगर ४०० नलकूप वर्क करते तो कितना फायदा हो सकता था। धोखा देने के लिए कहते हैं कि ४०० बने जब कि एक्चुअली १८० बने।

आप फर्टीलाइजर देख लीजिए। अमोनियम सल्फेट का दाम २५ रुपए केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया। और इस सरकार ने ३१ रुपए दाम बढ़ाए। यूरिया है, उसके चालीस रुपए केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाए। इस सरकार ने ६५ रुपए बढ़ाए। अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट ५५ रुपए केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाए और इस सरकार ने ७७ रुपए बढ़ाए। अमोनियम नाईट्रेट पर पांच रुपए बढ़ाए केन्द्रीय सरकार ने और १९ रुपए बढ़ाए इस सरकार ने। जब इस तरह की हालत है कि एक तरफ तो आप यह कह रहे हैं कि जो उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल करके किसान उत्पादन बढ़ाएं और दूसरी तरफ किसानों का खून चूसने को भी आप तैयार हो रहे हैं। हम तो यह उम्मीद कर रहे थे कि इस वक्त जब हमारे देश में अन्न उत्पादन की कमी है माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि साठ रुपए में खरीदकर किसानों को पचास रुपए में देंगे ताकि वे उत्पादन बढ़ा सकें। इतना ही नहीं मैं तो यह कहना चाहता हूं माननीय बनारसीदास जी से कि वे थोक का भी भाव सुन लें कि वे किस तरह बिक रहे हैं। जो प्रश्न का जवाब आपने दिया है वह सरकारी कागजों के अनुसार ही कह रहा हूं अगर चाहेंगे वे तो मैं दिखा भी दूंगा।

जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है उसके बारे में देखें---डेवलपमेंट जो हो रहा है वह भी आप देख लीजिए। मैं नगरपालिका पर आ रहा हूं, श्रीमन्। एक बात यह कह देना चाहता हूं कि अतिरिक्त फसल जो बोई जाती थी उसके लिए सरकार छूट देती थी सिंचाई के रेट में अब वह भी बन्द हो गई है। इसको सुनकर बड़ा अफसोस हुआ---माननीय चतुर्भुज शर्मा जी किसी से बात कर रहे थे मैं भी ओवरहियर कर गया। ग्यारह रुपया किलो ज्वार सीड के लिए बेचा गया। जब आप ११ रुपया किलो ज्वार का बीज देंगे तो भला कौन किसान उसको लेगा और बोएगा ? तो मेरा कहना आपसे यह है कि अगर आप किसानों से उन सुविधाओं

को भी वापस ले लेंगे जो आपने उनको दे रखी है तो फिर वह किस प्रकार से उत्पादन को बढ़ा सकेगा।

जहां तक भूमि-भवन कर का सम्बन्ध है, सारी नगरमहापालिकाओं ने, म्युनिसिपैल्टीज ने, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरियाओं ने सरकार को प्रस्ताव पास करके यह लिखा है कि टैक्स को न लगाया जाय। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो उन संस्थाओं की बात कह रहा हूं जिनमें कांग्रेस पार्टी और दूसरी सारी पार्टियों के लोग हैं, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं माना।

अब एक समस्या और हमारे सामने है। जिस प्रकार से राज्य सरकार के कर्मचारी केन्द्र के बराबर महंगाई भत्ता दिए जाने की बात कहते हैं, इन संस्थाओं के लोग सरकारी मुलाजिमों के, बराबर मंहगाई भत्ते की बात कहते हैं। जब उत्तरप्रदेश के मुलाजिम केन्द्र के बराबर मंहगाई मांगते हैं तो सरकार कहती है कि केन्द्रीय सरकार सहायता देगी तो करेंगे, लेकिन उन के लिए आप कहते हैं कि म्युनिसिपैलटीज अपनी अवस्थानुसार दे सकती हैं। लेकिन जब प्रापर्टी टैक्स और भूमि भवन कर आदि सब टैक्सों को आप लगा देंगे तो फिर उनकी वह अवस्था कैसे हो सकती है जिसके होने से वे अपने कर्मचारियों को डियरनेस दे सकेंगे? यह एक बड़ी कड़ी समस्या है जिस पर हमें विचार करना है।

जहां तक इन स्थानीय संस्थाओं के डेवलपमेंट का सवाल है सरकारी कानून यह बना हुआ है कि ५० फीसदी सरकार देगी और ५० फीसदी ये संस्थाएं खर्च वहन करें। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि १८ प्रतिशत तो वाटर टैक्स लगाया, भूमि-भवन कर लगाया, उसके बाद २५ प्रतिशत आपने लगा दिया, तो अब उनके पास कौन-सा स्कोप रह गया कि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे?

(व्यवधान)

मैं गाजीपुर की बात कह रहा हूं। वह माननीय बनारसीदास जी स्वयं गए हैं। गाजीपुर तो नेस्तनाबूद हो रहा है। उस जिले का बिलकुल डेवलपमेंट नहीं हुआ। बलिया जिला उसके बराबर है, वह डेवलप कर रहा है। गाजीपुर में जो १७८ प्रतिशत टैक्स लगाया गया उसमें मकानों के दरवाजे और खिड़कियों तक नीलाम हो गए और आज तो टैक्स दुगुना हो गया है, और जो बढ़ा है, उसकी वसूली भी होना है। तो उस वक्त क्या हालत होगी? हमारे शहरों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है।

इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि आप जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं हमारी म्युनिसिपैलिटी या अपने प्रदेश का, तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि गरीब से आपको उतना ही लेना चाहिए कि जितना वह आसानी से दे सके। और आपकी यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीब के पास उस टैक्स के रुपए का लाभ अधिक से अधिक पहुंच जाय। १०० रुपए अगर आपके पास जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था आपकी होनी चाहिए कि ७५ रुपए का लाभ उसके पास पहुंच जाना चाहिए। अमरीका में कायदा यह है कि अगर किसी किसान के पास १० एकड़ भूमि है और ५ आदमी उस पर निर्भर होते हैं तो होता क्या है कि उसकी खेती का खर्चा काट कर जो कुछ बचता है उसमें से उन ५ व्यक्तियों के स्टैन्डर्ड आफ लिविंग को देखकर उतना ही सरकार उसके पास छोड़ देती है और फिर बाकी पर वह टैक्स लेती है, परन्तु यहां पर उल्टा हिसाब है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो आदमी किसी डेवलपमेंट के कार्य में लगा हुआ है तो उसकी उतनी आमदनी छोड़नी चाहिए जिससे उसका स्टैन्डर्ड आफ लिविंग अच्छा हो सके। जो बड़ा आदमी हो जिसके पास अतुल सम्पत्ति हो अगर उस पर हाइएस्ट टैक्स लगे तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

[श्री कमलासिंह यादव]

माननीय मन्त्री जी भी यहां आ गए हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप भी देखें। लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में, चूंकि माननीय मन्त्री जी भी इस से परिचित हैं, शहर की भूमि जो अमीर आदमियों की है, उनकी भूमि १६,००० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है, लेकिन बाहर गांवों में एक आदमी की भूमि १०० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली जाती है। आपके टाउन एरिया के इलाके में भी यही हाल है कि १०० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि ली जाती है, लेकिन एक ट्यूबवेल के लिए शहरों में १,२०,००० रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ली गयी। तो आपकी म्युनिसिपल बोर्डों और नगर महापालिकाओं में एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है।

वन मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

एविडेन्स ऐक्ट में एक सेक्शन है जिसमें यह दिया हुआ है कि कौन-सी बात रेलेवेन्ट और कौन-सी नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह जनरल डिबेट तो नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

चूंकि माननीय मन्त्री जी जनरल ला से भी परिचित हैं, इसलिए मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है।

तो श्रीमन्, मैं कह रहा था कि एक बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है म्युनिसिपैलिटी और नगरपालिकाओं के अन्दर। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि अब जितने मकानात बनाये जायें उनमें फ्लश लैट्रीन्स का ही प्रोविजन होना चाहिये क्योंकि जब आपको एक भी व्यक्ति लैट्रीन उठाने वाला नहीं मिलेगा तब तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिये आप पहले से ही ऐसी व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष—

जब सिवेज सिस्टम होगा तभी तो फ्लश लैट्रीन हो सकती हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आपने जितना वसूल कर लिया है वह काफी है। अब जनता और बर्दाश्त करने लायक नहीं है इसलिये इसे आप न लायें तो अधिक अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री शारदाभवनसिंह (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत है उसका समर्थन करने के लिये ही मैं खड़ा हुआ हूं। इस भूमि भवन कर के विरोध में इस प्रदेश में काफी समय से जनता की ओर से और सभी दलों की ओर से आवाज उठायी जा रही है। इस का विरोध केवल हम प्रचार के लिये नहीं करना चाहते। हम हर कर का विरोध नहीं करना चाहते और यह भी हम समझते हैं कि सरकार चलाने के लिये कोई न कोई कर हमें लगाना होगा। लेकिन कर लगाने के पूर्व हमें अपनी कर नीति को निश्चय करना पड़ेगा और इस बात को देखना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है कि हम कर उस पर लगायें जिस में देने की सामर्थ्य हो और जिससे साधन-हीन वर्ग पर कम से कम प्रभाव पड़े। आज सरकारी कर्मचारियों की एक भीषण अवस्था देश के सामने, प्रदेश के सामने है, संकट बढ़ता चला जाता है। एक ओर सरकार की ओर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से यह बराबर कहा जा रहा है कि हम किसी तरह भी अनुशासन से अलग कर्मचारियों को नहीं होने देंगे और दूसरी ओर कर्मचारी समझते हैं कि जिस कदम को वह उठा रहे हैं उनकी नौकरी जा सकती है, उनकी रोजी ली जा सकती है, उनका भविष्य अन्धकारमय हो सकता है। लेकिन आज जो समस्या उनके सामने है उसको वह दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते। अनुशासन के नाम पर दिन भर काम करते हैं, लेकिन जब शाम को जाते हैं और चूल्हे की खबर आती है और जब बच्चे को दूध देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, मकान का किराया देना पड़ता है तो उनके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है। आखिर एक दिन होगा, दो दिन होगा, यह जीवन कैसे चलेगा, कब तक इस तरह से हम रहेंगे ? तो जो समस्या आज गरीबों के सामने, शहर के रहने वालों के सामने है उसमें एक कड़ी भूमि-भवन कर भी है।

भविष्य की समस्या आज कितनी गम्भीर है शहरों में वह हमें और आप दोनों को पता है। सरकार की तरफ से खास कर प्रशासन की तरफ से बराबर यह कहा जा रहा है कि शहरों में आवास की व्यवस्था होनी चाहिये, हर एक को मकान मिलना चाहिये और वह मकान साफ मथुरा हो, उनका जीवन चलाने के योग्य हो, छोटा हो, लेकिन साफ होना चाहिये और उसके साथ-साथ इस तरह के मकान न हों कि गन्दगी पैदा हो, बीमारी पैदा हो जाय, लोग सड़कों पर न लेटे। यह तो जीवन है, हमारे शहरों में फुटपाथ पर हजारों आदमी शाम को पड़े दिखाई देते हैं। यह सरकार के लिये कलंक है। जो विदेशी आता है वह हमारे ऊपर हंसता है और इस वेलफेयर सरकार, कल्याणकारी सरकार को एक ठोकर दे कर चला जाता है। यहां के हजारों नागरिक बेघरबार हो कर फुट पाथ पर सोते हैं। तो जब आवास की समस्या सरकार के सामने है, सरकार चिन्तित है, लोगों को कर्जा दिया जा रहा है कि छोटे-छोटे मकान बना कर रहें और धीरे-धीरे रुपया हमें दे दें। जहां एक ओर यह हाल है वहां दूसरी ओर कर नीति क्या है। मकानों पर भूमिभवनकर लगाया जाय। अभी एक साहब ने कहा कि बड़े बड़े लोगों की कोठियां हैं। यह तो वह लोग चिल्ला रहे हैं जिनके मकान शहरों में बहुत हैं, जिनकी आमदनी बहुत है और इसलिये उन पर कर लगाया जाता है। तो यह गरीबों की आवाज नहीं है। यह तो पूंजीपतियों और मकान मालिकों की आवाज है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि क्या आपने भूमि–भवन कर विधेयक को पढ़ा है ? उसमें क्या यह बातें नहीं लिखी हुई हैं कि अगर मकान में किरायेदार रहता है और अगर भूमि–भवन कर मालिक को देना पड़ता है, तो मालिक को यह अधिकार है कि भूमि-भवन कर को किरायेदार से वसूल कर सके। इससे मतलब क्या निकलता है ? हजारों छोटे-छोटे कर्मचारी जो लखनऊ शहर में किराये पर मकानों में रह रहे हैं उन के ऊपर यह भूमि–भवन कर के नाम पर हमने ५ परसेंट और लगा दिया।

आज मकानों की क्या हालत है ? ४०, ५०, ६०, ७० रूपये तक छोटा सा चार कमरों का मकान लोगों को मिलता है तो आधी तनख्वाह मकान में चली जाती है। कंट्रोल दफ्तर में जाते हैं और एक मकान की किसी को जरूरत है तो चार चार छः छः महीने दौड़ना पड़ता है। सिफारिश चाहिये और न जाने कितना प्रयत्न उसे करना पड़ता है तब कहीं एक मकान मिलता है, जिसका किराया २५, ३० रुपया होता है और उस पर ५ रुपये और रख दिये। अपने सरकारी कर्मचारी को आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपके दुख में भागी नहीं हो सकते और हम आपके भूखे बच्चों को रोटी नहीं दे सकते। जहां आप अय्याशी से रहते हैं, जहां सारे खर्चे चल रहे हैं, वहां जब कर लगाने का सवाल आता है तो सबसे पहले आप ने उसके आवास पर भी कर लगाया।

मैं एक बात स्वायत्त शासन मंत्री के सामने रखना चाहता हूं। मैं नगरपालिका का अध्यक्ष हूं। रोज हमसे कहा जा रहा है कि नगरपालिकाओं का बजट ठीक होना चाहिये, उनके साधन ठीक होना चाहिये, व्यवस्था ठीक होनी चाहिये। आज भमि-भूवन कर हमारे सामने एक समस्या बन कर आ गयी है। कौन सा कर लगायें जिससे ज्यादा धन एकत्रित कर सकें। हाउस टैक्स लगा हुआ है। जहां जहां वाटर टैक्स है या नहीं है नगरपालिका के स्वायत्त शासन

[श्री शारदाभक्त सिंह]

की ओर से एक आज्ञा प्रसारित की गयी है "ऐड नहीं दी जायगी वर्ना हाउस टैक्स लगाओ"। पिछले दिनों सूचना मांगी है उसमें विशेष रूप से पूछा-क्या आपने हाउस टैक्स लगाया है या आप लगाने को तैयार हैं । मैंने बातचीत की । आखिर हम और टैक्स लगा सकते हैं ? एक हाउस टैक्स पर ही क्यों जोर दे रहे हैं जब कि भूमि-भवन कर लगा हुआ है । हम समझते हैं कि उनका कहना ठीक था । नगरपालिकाओं में सुविधायें देते हैं सड़कों से, रोशनी और पानी से तो उसके लिये कोई टैक्स होना चाहिये । चुंगी टैक्स लगता है और अन्य इन्डायरेक्ट टैक्स लगते हैं और वे सब पर पड़ते हैं । हम कोई ऐसा टैक्स चाहते हैं जो केवल शहर वालों पर पड़े और उसको सोच कर हमने हाउस टैक्स लगाया । लेकिन मैं आप से पूछना चाहता हूं कि एक ओर नगरपालिका के अध्यक्षों को यह कहते है कि नगरपालिका में हाउस टैक्स ऐसा जो उन पर लग सकता है डायरेक्ट टैक्सेशन है। इसलिये हर एक नगरपालिका को अनिवार्य रूप से लगाना चाहिये और दूसरी ओर प्रान्तीय कर्मचारी को आप महंगाई देने को तैयार नहीं हैं । कितने लोग आप समझते हैं एक मकान पर ५० परसेंट टैक्स देने को तैयार हो जायेंगे ? २५ परसेन्ट आप लेंगे और २५ परसेन्ट नगरपालिका लेगी और उसके साथ इन्कम टैक्स भी बढ़ना चाहिये । आप सोचें, क्या ५० परसेन्ट टैक्स देने के लिये कोई मकान बनायेगा ? इसका मतलब यह है कि आप आवास व्यवस्था को जटिल करना चाहते हैं और इस प्रकार आप नगरपालिकाओं की व्यवस्थाओं को ही खत्म कर देना चाहते हैं । क्योंकि आप कहते हैं कि हाउस टैक्स नहीं लगाओगे तो हम ऐड नहीं देंगे । नगरपालिकाओं का जो मुख्य साधन है, जिसके कारण उन साधनों को लेकर नगरपालिकाएं अपना काम चलाती हैं उनको सरकार बुरी निगाह से तथा लालच भरी निगाह से देख रही है जब कि सरकार को नगरपालिकाओं के स्वायत्त शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । आपके पास और साधन हैं ।

फिर मैं एक बात यह सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि हर नागरिक को मकान मिलना चाहिये ? कांग्रेस का जब अपना चुनाव होता है तो रोटी, कपड़ा और मकान का नया नारा लगाया जाता है । रोटी, कपड़ा और मकान देने का उत्तरदायित्व कांग्रेस अपने ऊपर लेती है, लेकिन आज जब मकान की कमी है, आज जब लोग मकान बनाते नहीं हैं और आप अगर किसी को रुपया दे कर ६ परसेन्ट, १० परसेन्ट इंटरेस्ट लेकर स्माल हाउसिंग स्कीम में मकान बनवाते हैं और जिस दिन वह मकान बनता है उसी दिन दूसरा कर लगा देते हैं और वह रुपया जो आप का रहता है वह अधूरा देता है और नहीं दे पाता है और इस तरह से उसका मकान ही समाप्त हो जाता है। इसी तरह से आप की जो दो चार योजनायें हैं वह एक दूसरे के खिलाफ हैं और इस तरह से योजनायें चलने नहीं दी जातीं । जो रेन्ट कंट्रोल के मकान हैं उन पर कर भार ज्यादा होना चाहिये और आप की यह भी योजना है कि सन् ६० तक के मकान भी रेन्ट कंट्रोल ऐन्ड इविक्शन ऐक्ट में लाये जायं । मतलब यह है कि जो मकान भविष्य में बनें, आगामी सालों में बनें या जो लोग इस जटिल समस्या में सहयोग देकर अपनी निजी पूंजी से मकान बनाकर लोगों को उठा देते हैं वह भी रुक जायेंगे और इस तरह से आप इसको और भी जटिल बनाना चाहते हैं । इस तरह से नये मकान बनने ही बन्द हो जायेंगे।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों की ओर से जो तर्क यहां रखे जाते हैं तो यह हम जानते हैं कि तर्क के उत्तर उधर से नहीं दिये जाते, हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह उत्तर देने का प्रयत्न करें वर्ना अब यह रिवाज हो गया है कि न तो कोई समझता है और न उत्तर देना वह उचित समझते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वोटों के नाम पर ऐक्ट वह पास करा सकते हैं। जनमत की जहां तक बात है उसको तो वह लाठी से दबा सकते हैं और ईश्वर जाने कब तक जनमत को वह लाठी से दबाते रहेंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आखिर जो भी आप बात कहते हैं, जो जनता के सामने आप आश्वासन देते हैं, आप ने कहा था कि हम ५ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ाना चाहते, हम प्रोसीडिंग्स से पढ़कर दिखा सकते हैं, आप ने उस वक्त कहा था कि हम केवल इस वक्त अधिकार ले रहे हैं, लेकिन बढ़ायेंगे नहीं । लेकिन जिस तरह से कि कार्य हो रहा है हमको आशंका है कि आप इस कर को सीमित नहीं रखना चाहते । अब यह एक साधारण

कर बन गया है और यह हमेशा के लिये रहेगा ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है । पिछली बार जब कर लगाया गया था और उस वक्त जो विचार व्यक्त किये गये थे तो ऐसा नहीं कहा गया था कि यह एक साधारण टैक्स हैं आप ने कहा था कि विशेष परिस्थिति में साधनों की कमी है, इसलिये यह समझते हुये भी कि आवास की समस्या जटिल है और प्रतिकूल है, लेकिन हम इस समय इसको लगाने के लिये बाध्य हैं और जब आप पिछला संशोधन लाये और आप ने अधिकार बढ़ाया और कहा कि हम केवल अधिकार बढ़ा रहे हैं, तो क्या आपने इस असेम्बली में बैठकर केवल दिखलाने के लिये अधिकार बढ़ाया हैं ? हम यह बात नहीं मानते, अधिकार तो आप पहले ही से बढ़ाते रहे हैं । आप की ऐसी बातें हैं कि दो दिन की बहस में हमने सुना कि लाठी भी चली, लोगों के चोट भी आई, सिपाहियों ने खदेड़ा भी लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ । अब लाठीचार्ज की कोई नई डेफीनिशन निकालना होगी ।

चौधरी चरण सिंह होते तो शायद कुछ बताते, पुलिस में वह थोड़े ही दिन रहे, रहते तो शायद कुछ सफाई करते । अब लाठीचार्ज भी ऐसा परिभाषित शब्द बनता जाता है । अभी प्रातःकाल माननीय बनारसीदास जी ने कहा कि पी० डब्ल्यू० डी० हाते में कुछ लोगों के चोटें तो जरूर आईं, लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ । लाठी मारी गई, लेकिन पहले मैजिस्ट्रेट ने आर्डर नहीं दिया । अगर यह है तो जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा कि जब चाहें लाठीचार्ज कर दें, मैजिस्ट्रेट की भी जरूरत नहीं । आदमी मारे गये, चोटें आईं, लेकिन लाठीचार्ज नहीं हुआ, यह तो परिभाषा का अधिकार उनका है । लेकिन इस तरह की बातों से जनता में अविश्वास बढ़ रहा है । हम चाहते हैं कि आप अपनी नीतियों पर विचार करें, उन पर निष्ठा रखें और मजबूती के साथ जनता से कहें कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, जनता को धोखा देना अच्छा नहीं । आप दस बातें ठीक कहते हैं, उनको हम जनता के सामने विरोधी दल की ओर से कहना चाहें तो जनता कहती है वह तो मंजूर ही नहीं हुईं । चार बातें अगर हम सही भी कहते हैं तो विरोधी दल के होते हुये वह नहीं मानी जातीं । इस तरह की बात के माने हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और, इस तरह की बात किसी सरकार के लिये शोभा की बात नहीं होती ।

(इस समय ३ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए ।)

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप रमाल हाउसिंग स्कीम इस सदन के सामने रखें तो इतने ऊंचे स्वर में आप सुनाते हैं कि आवास की व्यवस्था कठिन है, जटिल है, लोगों के रहने के लिये स्थान नहीं है, फुटपाथ के ऊपर लोग रहते हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है और सब की मांगों को पूरा करने का प्रयत्न भी करती है और दूसरी तरफ भूमि भवन कर लगाते हुये आप कहते हैं कि हमारे पास साधनों की कमी है । आखिर १५ वर्ष में कुछ सीखा तो आपने । इतना तो आपने अभी बतलाया । आप सारी दुनिया के सामने नंगे खड़े हैं, देश के सामने नंगे खड़े हैं । योजना चलाने के बाद आज आपने कहा कि डिवेल्यूशन की वजह से हमारे बजट में इतनी कमी आ गयी है । १५ वर्ष के बाद जिस तरह से आप आज सारी दुनिया के सामने नंगे खड़े हैं, तो आपके साथ-साथ हमारा भी सर नीचे को झुक जाता है । लेकिन फिर भी आपने कुछ सीखा तो कि मेजारिटी के नाम पर, बहुमत के नाम पर कोई इल्लीगल चीज नहीं होनी चाहिये । जैसा जनता का विचार हो उसी के अनुसार काम होना चाहिये ।

कई लोग ऐसे हैं जिनके रहने के लिये घर नहीं हैं । मैं आपको बतलाऊं कि शहरों में कम से कम सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है । वे दौड़ रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं । आपको मैं बतलाऊं कि जमींदारी खत्म हो गयी, अच्छा कोई घर में कमाने वाला था वह खत्म हो गया, मकान खड़ा है जो १०० रुपये महीने आमदनी का है, आप कहते हैं कि ३०० रुपये पर लगाना चाहिये, यह कम है । एक आदमी जो ४० रु० महीने कमाता है, और १५ रुपये माहवार का मकान लेकर रहता है क्योंकि उसे शहर में नौकरी करनी है और उसे वहां रहना ही है, ऐसी मजबूरी में आप उस कर्मचारी से जो कुछ कहना चाहता है आप कहते हैं कि चुप रहो, अनशासन में रहो, अगर आवाज निकालता है तो मारा जाता है । मैं आप से कहना चाहता हूं कि कौन

[श्री शारदाभक्तसिंह]

विद्रोह की बात पैदा करता है, कोई सरकारी कर्मचारी विद्रोह नहीं करना चाहता । जो स्ट्राइक चल रही है, लोग इसका अन्दाजा नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियों की शादी व्याह का चक्कर सर पर है और आप ऐसा समझते हैं कि वे घर में आग लगाने वाले हैं। आप को चाहिये कि आप लोगों के सामने आदर्श रखें । क्यों नहीं आप कहते कि आपके पास जो टैक्सी है, मोटर है उसे ले लिया जाय ? एक तरफ तो आपके कर्मचारियों से पैसा लिया जाय और दूसरी तरफ आप ऐय्याशी करें, आपके लड़के मोटरों में घूरमें, इधर उधर जायं । आप अपनी कोठी पर टैक्स क्यों नहीं लगवाते, ऐसे वह भी सरकार के पास ही जायगा । इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ी गम्भीरता के साथ कहता हूं, नहीं केवल प्रचार करने के लिये जिससे शहरों में जो वोट हैं वह किसी तरह से प्राप्त हो जायं, ऐसा नहीं है, लोग परेशान हैं जो आपका भूमि-भवन कर है इससे, समझ में नहीं आता कि किस मकान पर किस तरह से यह लगाया जा रहा है ।

आप कहते हैं कि बजट में यह कमी है, पैसा नहीं है, मैं कहता हूं कि अगर आपने २५ प्रतिशत का अधिकार ले लिया तो लोग समझते हैं कि न मालूम आगे क्या होगा, मालूम नहीं सरकार के मन में क्या है । २५ परसेन्ट जो लगाया जा रहा है, इसके लिये आप कहते हैं कि डिवैल्यूएशन की वजह से बजट में कमी हुई है, हमारे पास पैसे के साधन कम हैं मैं आपसे विनम्र कहना चाहता हूं कि जनता इस कर भार से, त्रस्त है । इस मकान व्यवस्था में, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक को रहना है, अपनी स्थिति को समझ कर रहना है, अपनी लड़कियों और बच्चियों का व्याह नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं । इसलिये अगर इतनी भी राहत आप दे सकें तो भी तो कुछ राहत है । इसलिये मैं जानता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से करेंगे तो कठिनाई आयेगी, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि हम जो अनुभव करते हैं वह माननीय चरण सिंह भी अनुभव करें, ईमानदारी से वह इस बात को अनुभव करें और जैसी उनकी आज तक प्रतिष्ठा रही है, वह सरकार के जो प्रलोभन हैं, उनमें इस जनता की जो त्राहि-त्राहि है उसको बढ़ायें नहीं । वहां कोई कमी नहीं है । जो हमारी बात को कहते हैं कि यह तो टैक्स नहीं है, यह तो जनता मर्जी से दे रही, चाहती है देना । हुकुमसिंह जी कहने लगे कि मेरी जनता ने मुझसे कहा, जब मैं वोट मांगने गया कि इन्डायरेक्ट टैक्सेशन में चवन्नी क्या, अठन्नी देने के लिये तैयार हैं । जब एक मंत्री के मुंह से निकले और आपकी सारी मशीनरी कहती है कि वहां की जनता ने मुझसे कहा, तो अगर जनता ने कहा तो इन्डायरेक्टली क्यों चले गये ? डर था कि चवन्नी कहीं हमें न ले कर डूब जाय । सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है । लेकिन अगर मंत्री कहें तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी । अगर माननीय चरण सिंह ईमानदारी के साथ कहें कि जब मैं अपने जिले में जाता हूं तो मुझसे लोग कहते हैं कि २५ परसेन्ट क्या, ५० परसेन्ट देना चाहते हैं मगर सरकार लेती नहीं है । कह दें कोई साहबान को पकड़ नहीं लूंगा । जनता आपकी भी सुनती है, मेरी भी सुनती है । अगर मैं सत्य कहता हूं तो उसका प्रभाव जनता के ऊपर होगा । लेकिन सन् ६७ आ रहा है और मैं आपसे कहता हूं कि चुनावों को भुला कर लोगों की कठिनाई को समझ कर अगर राहत आपके हाथ से हो सके तो मैं समझता हूं कि इस प्रान्त की करोड़ों जनता की आवाज को आप सुनेंगे और उनको आपके द्वारा सुविधाएं प्राप्त होंगी ।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा बोलने का इरादा नहीं था, कुछ तबियत खराब थी, और मैं बोलने के बहुत हक में नहीं था, लेकिन मैंने माननीय शारदाभक्त सिंह जी की जब सब बातें सुनीं तो तबियत आई कि कुछ जरा उनकी बातों की तरफ गौर किया जाय । और जब मैं तैयार हुआ तो मेरे मन में यह बात आई कि यह सीधे इनका पोलिटिकल स्टेन्ट है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदाभक्तसिंह—

यह लोहे से लोहा काटा जा रहा है। हमारी तरफ के आदमी से.....

श्री कल्पनार्थसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, आप देखें आज के एजेन्डे में एक प्रस्ताव जनसंघ का था कि इस सदन का निश्चित मत है कि राजकीय सेवाओं में कार्य करने वाले ऐसे समस्त कर्मचारियों को जो कि अस्थायी पद पर तीन वर्ष की अवधि से अधिक समय से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, स्थायी कर दिया जाय।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

एक प्रस्ताव वह भी तो था चवन्नी वाला।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जब वकालत शुरू हुई तो उस समय सरकारी कर्मचारी स्थायी करने वाली बात वह सब भूल गये। वह प्रस्ताव नहीं पेश हुआ। आज ही के एजेन्डे पर हैं दोनों। दूसरा प्रस्ताव पेश हुआ कि भूमि-भवन कर को सरकार वापस ले। इस सिलसिले में जब मैं सुनने लगा तो वही भाषण हुये जो पूर्व मे दिये जाते रहे हैं। अगर कोई माननीय सदस्य ने ऐसा किया होता और सही दलील दी होती तो मैं यह समझता कि निस्संदेह इस पर विचार करने की गुंजाइश है और शायद मैं मंत्रिपरिषद् के लोगों से प्रार्थना करता कि उनका तर्क बहुत अच्छा आया है। लेकिन आपका कोई सही तर्क नहीं है, शुद्ध पोलिटिकल स्टेंट है और इस से जाहिर होता है कि जनसंघ को मजदूरों के प्रति कितनी श्रद्धा है, और कितना प्रेम है। एक प्रस्ताव जो भूमि-भवन कर का पेश किया गया है जनसंघ की तरफ से उसमें परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि आज प्लानिंग का विरोधी है जनसंघ और मैं समझता हूं कि जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ये दोनों प्लानिंग का विरोध करने वाली हैं। ये नहीं चाहते हैं कि यहां पर सुनियोजित समाजवाद की व्यवस्था स्थापित की जाय। इसलिये ये मार्ग में बराबर बाधा उपस्थित करने की कोशिश करते हैं कि नियोजन के लिये, समाजवाद के लिये कोई कार्य न किया जाय। यह चाहते हैं कि जनता से जो यह टैक्स आने वाला है उसकी तालाबन्दी की जाय।

श्रीमन्, एक भी माननीय सदस्य ने यह दलील नहीं दी कि अगर इस टैक्स को सरकार वापस ले ले तो पैसा कहां से लाये। जनसंघ की तरफ से ऐसा कोई सुझाव नहीं आया। माननीय बिपिन बिहारी तिवारी जी ने अपना भाषण दिया, उसके लिये मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बावजूद इसके कि वे जनसंघ के हैं, उन्होंने कहा कि टैक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। इस बात को उन्होंने कबूल किया। जहां तक मैंने सुना उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि टैक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन जो उनकी पार्टी की नीति है उससे उनको दिक्कत महसूस हुई इसलिये उन्होंने आगे कह दिया, उनकी पार्टी की नीति है, उसका विरोध कैसे करते, लेकिन असलियत ईमानदार आदमी के मुंह से निकल जाती है और उन्होंने इस बात को कबूल किया।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर यह पोलिटिकल स्टन्ट प्लानिंग के साथ, समाज के उस तबके के साथ, समाज के उस वर्ग के साथ, जो वर्ग समाज में नीचे गिरा हुआ है, जो क्षेत्र इस प्रदेश में पिछड़ा हुआ है, उनको बढ़ावा देने के लिये, उनको समाज के अन्य वर्गों के मुकाबले में लाने के लिये या समाज का वह अंग जो पिछड़ा हुआ है, उसको दूसरे अंग के बराबर करने के लिये प्लानिंग के माध्यम से कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे? अगर आपको बुरा लगता है तो दूसरा टैक्स बताते, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। रामसुन्दर जी ने कहा कि राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये था, रामसुन्दर शास्त्री जी ने कहा कि जो बकाया टैक्स है उसको वसूल करना चाहिये। बजट में ध्यान रखा जाता है कि कितनी आमदनी होगी इस कोष में और उसी के मुताबिक सरकार के खर्चे का हिसाब बनता है। बकाये के लिये प्रश्न करते हैं, हाउस में भाषण देते हैं और सदन का ध्यान दिलाते हैं और ऐसा वातावरण बनाते हैं। इसमें

[श्री कल्पनाथसिंह]

कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जब हर मर्ज की दवा एक ही निकाल देंगे, किसी की तनख्वाह बढ़ाने का सवाल हो, बकाया वसूल कर लो, प्लानिंग का काम हो—बकाया वसूल कर लो, ट्यूबवैल लगाने का काम हो—बकाया वसूल कर लो, सड़कों के बनाने का काम हो—बकाया वसूल कर लो तो एक ही बकाया कहां-कहां वसूल होगा, यह मेरी समझ में नहीं आया। अधिष्ठाता महोदय, आखिर वह बकाया कितना है ? अगर वह बकाया बहुत है तो मैं चौधरी साहब से निश्चयपूर्वक, यह प्रार्थना करूंगा कि क्या आप मुझे समझा देंगे कि इस बकाये से इस प्रदेश की बढ़ोत्तरी का कितना काम आप कर डालना चाहते हैं ? अगर इरादा यह है कि उस बकाया में से जितना काम हो जाये, कर दो और बाकी काम को जो धन की कमी के कारण रह जाये उसे बन्द कर दो, तब तो यह बात समझ में आती है वरना कतई नहीं। मैं यह नहीं कहना चाहता। लेकिन जब तक मानव सृष्टि है और सरकार की कल्पना है, समस्यायें रहेंगी और उसकी कल्पना की हमेशा आदमी को आवश्यकता पड़ेगी। अब वह सवाल यह आ सकता है। अब एक थ्योरी यह भी है, एक सिद्धान्त यह भी है, एक समय आ सकता है जब यह थ्योरी सही हो कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना होगी। पहले भी कई कल्पना हुई हैं, उसको आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई स्टेटलेस सोसाइटी बनाने में आप जल्दी आगे चले जायेंगे। लेकिन आज जो कल्पना है, समय है, समय से बनाने के लिये है। आज जिस जनता के वोट पर चुनी हुयी सरकार मौजूद है, जिसमें लोगों को बोलने की स्वतंत्रता मिली हुई है, हर एक को हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। उस हालत में इस सदन का एक विशेष और पवित्र स्थान है। इसकी तहत में यदि आपको आज की प्लानिंग का काम चलाना है तो निश्चयपूर्वक आप को विचार करना पड़ेगा कि इस प्रदेश को कैसे उन्नति के रास्ते पर लाया जाए।

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कमला सिंह ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया। मैं वह बात समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब यह सवाल पैदा होता है कि यह प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में कितना पिछड़ा हुआ प्रदेश है तो यह मानना पड़ेगा कि आज यह प्रदेश समूचे हिन्दुस्तान के प्रदेशों से पिछड़ा है। इसके आंकड़े तथ्य देते हैं, शिक्षा की दृष्टि से हम फलां-फलां स्टेट से इतना पीछे हैं, सिंचाई के मामले में फलां-फलां स्टेट्स से इतना पीछे हैं, कोआपरेटिव सेक्टर में इतना इतना पीछे हैं, इंडस्ट्रियल मामले में फलां-फलां स्टेट से इतना पीछे हैं। या सड़कों के मामले में भी बहुत कह दिया जाता है, अस्पतालों के मामले में भी बहुत कह दिया जाता है। कभी-कभी सर्विसेज यानी तनख्वाहों के सिलसिले में बहुत कुछ कह दिया जाता है। आखिर दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में अपनी स्टेट को ले आना है। मैं स्वयं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश यदि पिछड़ा है, और उसे समूचे हिन्दुस्तान के साथ हमको चलना है, अगर दिल पक्का है, इरादा पक्का है, बुद्धि परिपक्व बनानी है और रास्ता तय कर लेना है, रास्ता तय कर लिया है आगे बढ़ने का, अगर पिछड़े रास्ते नहीं जाना है और हम को दूसरी स्टेट के मुकाबले में स्टेट को ले जाना है, तो हमें अवश्य कुछ तकलीफें बरदास्त करनी पड़ेंगी। यह निर्विवाद सत्य है। बुद्धि को इसके लिये इस्तेमाल किया जाये, इसके लिये बुद्धि से कसरत कराइये। हमारे चलने का जो रास्ता होगा, जो रिसोर्सेज होंगे, जो हमारी तकलीफें होंगी, वे हमको बरदास्त करनी पड़ेंगी। हमको रिसोर्सेज इकट्ठा करना पड़ेगा, हमें इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये यहां जनता के मनोबल को और जनमत को ऊंचा करना पड़ेगा और इस तरह फिर हम अपने प्रदेश को दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ला सकेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, मैं नहीं समझता कि प्लानिंग का विरोध क्यों किया जाता है ? मुझे दुख होता है कि जब संशोपा और कम्युनिस्ट पार्टी यह दोनों समाजवाद में यकीन करने वाली पार्टियां हैं, यह जब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिये, तो मैं पूछता हूं कि क्या होना चाहिये ? इसके लिये कोई ठोस सुझाव, कोई कार्यक्रम, कोई बात आनी चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात निश्चय समझता हूं कि अगर विरोध के लिये विरोध किया जाय महज और कोई

सुझाव न हो तो शायद वह चीज ज्यादा टिकाऊ नहीं होती। प्लानिंग के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज को यह सरकार अनुदान देती है और वह कहते हैं कि ५० फीसदी अनुदान दे रहे हैं। तुम रिसोर्सेज से ५० फीसदी अपनी टाउन एरियाज या म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर काम करो। मैं नहीं समझ पाता कि एक तरफ तो टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज या नोटिफाइड एरिया हमेशा यह मांग किया करती है कि हमको सड़क बनानी है, हमको अनुदान चाहिये। अगर लोकल रिसोर्सेज से इकट्ठा करने के लिये आप पब्लिक मोबिलाइजेशन को करेक्ट दिशा में लाते हैं या कोई टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरिया समिति यह प्रस्ताव पास करती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमें ५० फीसदी अनुदान दे दे यानी फिफ्टी-फिफ्टी, तो मैं नहीं समझ पाता कि इसमें कौनसी ऐसी बात है कि सरकार को दोष इस में दिया जाता है? क्यों ऐसा होता है? इसलिये कि जनता के अन्दर काम करने की मनोवृत्ति को कम करो, जिम्मेदारी की जो भावना है उसका ह्रास हो। मैं निश्चयपूर्वक यह विचार रखता हूं कि अगर जनता के अन्दर इस प्रकार की मनोभावना भरी गयी, अकर्मण्यता और निराशावादिता की तो यह न केवल टाउन एरिया और म्युनिसिपैलिटी के लिये बल्कि समूचे भारत के लिये एक भयावह स्थिति पैदा करने वाला यह विचार है और अधिष्ठाता महोदय, मैं तो निश्चित रूप से इस मत का हूं कि लोकल बाडीज का एक दूसरा स्वरूप भी है ग्राम पंचायत और क्षेत्र समिति। उसमें यह निश्चय हुआ कि आप एक श्रम पालिसी बनायें। उनको रास्ते बनाना है, कुंयें बनाना है, दूसरे काम करने हैं और अगर सरकार यह आंकड़े पेश करती है.... (लाल बत्ती होने पर) अधिष्ठाता महोदय, थोड़ा वक्त मुझे और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

१५ मिनट आपने ले लिया है, २ मिनट और बोलिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

अच्छा साहब, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि चन्द दिनों से लोगों के अन्दर यह भावना भरी जा रही है कि हम अपने परिश्रम करके अपना छोटा मोटा काम खड़ा करें और आवश्यकता होती है तो सरकार उसमें सहयोग देती है उसी प्रकार टाउन एरियाज और म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर भी अगर टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटीज जैसी भी स्थिति हो, वहां के रहने वालों के लिये यह प्रस्ताव पास करके सरकार से अनुदान या कर्ज मांगती हैं तो सरकार देती है तो यह कौन से प्रलोभन की बात है?

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि २० या २५ फीसदी की बात कही गयी है। आप देखें कि शहरों के रहने वालों को एक्सप्लायट किया था। कुछ लोग वह थे जो मुद्दत से चले आ रहे हैं और रेंट कंट्रोल के मुताबिक उनका किराया कम था। सन् ४६ के बाद कम पर किराया तय होकर चला और वह आज भी उसी प्रकार चला आ रहा है, अगर उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश थी, तो भी इसमें अगर सरकार ने उन लोगों को छोड़ दिया और जो लोग अभी किराये के मकानों में आये और जो रेंट कंट्रोल के बाहर के लोग हैं, अगर पहले वाले को देखकर उसमें हम इजाफा कर दें तो मैं नहीं समझता कि यह रुपया किसी दूसरे काम में जायेगा। यह रुपया प्लानिंग को दिये हैं और प्लानिंग के लिये ही इस्तेमाल होगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है भूमि-भवन कर को उठाने के लिये मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, यह बात इधर और उधर सब ने मानी है कि राज्य को अपने कार्य भार चलाने के लिये साधनों की आवश्यकता पड़ती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खेमचन्द]

उन साधनों को एकत्रित करन के लिये राज्य के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह जनता पर कर लगाये। उन करों को लगाने में यह जान लेना जरूरी है कि जिस कर को हम लगाने जा रहे हैं वह निश्चय रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ने वाला है जिस पर हमारा कर लगाने का मंतव्य है। यह कर लगाया गया है भूमि-भवन कर के नाम से। यह उन व्यक्तियों पर ही पड़ना चाहिये जिनके पास भूमि और भवन हैं। उनके ऊपर ही हमारा लगाने का अभिप्राय है, लेकिन इस कर का भार सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जिनके पास न भूमि है और न भवन है। जो लोग किराये पर रहते हैं, जो किराये का भार वहन करते हैं उनके ऊपर ही इसका भार पड़ने जा रहा है। तो फिर जन साधारण पर इस कर को लादने का सरकार का मंशा है क्या, यह देखने और सोचने की बात है। हम यह समझते हैं कि जिन लोगों पर इस कर का भार पड़ने वाला है उन पर कर का भार लादने का हमारी सरकार का इरादा नहीं था और न है। हम जन साधारणपर इस कर के भार को लादने नहीं जा रहे हैं। मैंने स्वयं देहात में जाकर देखा है। जहां लोग ३०, ३५ साल से मामूली झोपड़ियों में रहते हैं उन आदमियों के ऊपर भी इस टैक्स का भार पड़ा है। जिन लोगों के पास रहने का कोई साधन नहीं है, एक एक झोपड़ी में ७, ८ आदमियों का परिवार रहता है, मां, बाप, भाई और बहन सभी रहते हैं उन लोगों के ऊपर भी इसका भार पड़ा है। हमारे पास बहुत लोग आये और उन्होंने बताया कि यह टैक्स उनके ऊपर भी लगने जा रहा है। वह पूछते थे कि यह क्यों हमारे ऊपर लगाया गया है। इसका क्या मतलब है, यह उनकी समझ में नहीं आया। ऐसी दशा में इसका भार जन साधारण पर नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि सरकार की मंशा उनके ऊपर इसको लगाने की नहीं थी....

श्री कल्पनाथसिंह—

जहां तक मेरी जानकारी है जिन लोगों के ऊपर १० रुपये महीना किराया है उन लोगों को इस सम्बन्ध में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कम वालों पर अगर इसका भार पड़ता है तो वह मुझे बतादें मेरी भी जानकारी हो जायेगी।

श्री खेमचन्द—

मैं जिस मुहल्ले में रहता हूं वह पहले आगरा म्युनिसिपैलिटी में नहीं था। वहां पर कोई भी महापालिका का जल कर या हाउस टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब वहां पर उसको भी आगरा म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर ले आया गया है। उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इसी जानकारी के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूं। उनके ऊपर १० रुपये नहीं बल्कि १५ रुपये टैक्स लगाया गया है। अब यह सरकार देखे कि वह किस तरह से उनके ऊपर लगा रही है। सरकार अपने अधिकारियों से मालूम करे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सदन में इस तरह की कोई बात नहीं कहता हूं जिसकी मुझे जानकारी न हो। सत्य बात ही कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को यह देखना चाहिये कि जिस टैक्स को वह लगाने जा रही है उसका औचित्य क्या है। अगर किसी बात का औचित्य है, उसकी सत्य निष्ठा ठीक प्रकार से सिद्ध हो जाती है तो विरोधी आदमी जो हैं वह भी उसकी प्रशंसा करता है। भूमि भवन कर के लिये कोई प्रशंसा की बात नहीं आयी और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाय तो जो सरकार के समर्थक उधर बैठे हैं उनमें से एक भी आदमी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है कि जो इसका औचित्य किसी प्रकार से मानता हो।

मैं पहले ही व्यक्त कर चुका हूं कि इसका जितना भी भार है वह तो टेनेन्ट पर पड़ता है। जो संपत्ति अधिकारी है, जिनकी आमदनी है उस पर वह नहीं पड़ता, बल्कि जो किरायेदार हैं उन पर यह भार पड़ रहा है। जिस प्रकार का भार इस मंहगाई के जमाने में बढ़ा हुआ है और जिसको संभालने में वह अपने को अशक्त महसूस कर रहा है उस हालत में यह मकान मालिक भी अपने किरायेदार से कहता है कि यह भूमि भवन-कर लग गया है और इसको तुम को देना पड़ेगा और जो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं वह भी तुम को देने पड़ेंगे। वाटर टैक्स तुम को देना पड़ेगा,

हाउस टैक्स तुम को देना पड़ेगा, जो म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से लगते हैं और वे सब किरायेदार को देने पड़ते हैं। इसी तरह से जितना भार पड़ रहा है वह एक साधारण व्यक्ति के ऊपर ही पड़ रहा है और हम जानते हैं कि साधारण व्यक्ति के संत्रस्त होने से सरकार की मंशा सिद्ध नहीं हो सकती है।

मान्यवर, अभी यहां पर बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार योजनायें चलाती है और उसे उन योजनाओं को चलाने के लिये संसाधन इकट्ठे करने पड़ते हैं और इसके लिये टैक्स की आवश्यकता होती है। योजनाओं का जहां सवाल आता है, योजनायें होती हैं राष्ट्र की अभिवृद्धि के लिये, राष्ट्र की कमियों को पूरा करने के लिये, जिनको राष्ट्र अनुभव करता है और उन कमियों को पूरा करने की दिशा में, क्या सरकार इस बात से पूर्णतया संतुष्ट है कि उसने जो कार्य किये हैं उनसे जनसाधारण को पूरी संतुष्टी है? चाहे उन योजनाओं के आधार पर जनता से उसने वोट प्राप्त कर लिये हों, लेकिन जिस योजना का नारा लगाया गया है और पिछले १८ वर्षों से जिस योजना को आगे बढ़ाने की निरन्तर कोशिश की जा रही है और जिसका लक्ष्य है कि ऊंचे को समतल पर लाया जाय, नीचे को उठाया जाय, उसमें सरकार को कहां तक सफलता प्राप्त हुई है? कवि नीरज ने दीपावली के अवसर पर एक कविता में कहा था—दिये से मिटेगा न मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। अगर धरा उठेगी नहीं तो गगन भी झुकेगा नहीं। इसी आधार पर हमें योजना चलानी चाहिये। आज योजना के नाम पर ऐसे काम किये जाते हैं कि जिन से कोई विशेष आमदनी नहीं होती और जिनके आधार पर हम नहीं कह सकते कि राष्ट्र का काम चल सकता है। इनके आधार पर हम राज चलाने में सक्षम नहीं हो सकते, लेकिन उनके लिये जनता को परेशान किया जाता है। उनके लिये सरकार को प्रेस नहीं करना चाहिये।

मान्यवर, इसके साथ साथ हमारे भाई कल्पनाथसिंह जी कह रहे थे कि जिस किसी मकान का किराया दस रुपये माहवार है उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा। उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन मान्यवर, दस रुपया माहवार होता क्या है। हमारे जितने भी असेसमेन्ट हैं महापालिका के और नगर महापालिका के, जो उनके द्वारा किये जाते हैं वे सब घरों में बैठ कर किये जाते हैं। दस रुपया किराया मिलता भी नहीं है वहां भी वह लगा दिया जाता है नगरपालिका का टैक्स बढ़ गया और उसके आधार पर सरकार को एक वैज्ञानिक आधार मिल गया और उस आधार पर उसने किरायेदारों पर भूमि-भवन-कर लगा दिया और इस प्रकार से दोहरे टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पर कर उतना लगाना चाहिए जितना कि जनसाधारण उसको संभाल सकें, उनको बरदाश्त कर सकें। अगर टैक्स उनकी बरदाश्त के बाहर हो जायगा तब सिवाय कठिनाइयों के, सिवाय विद्रोह के, सिवाय एक असंतुष्टि के और कुछ चीज नहीं प्राप्त हो सकती है और उस असंतोष और विद्रोह को समाप्त करने के लिए सरकार को औचित्यपूर्ण स्कीमों पर चलना परम आवश्यक है। हमारे सामने कर्मचारियों की समस्या है। सरकार अपने उद्धत भावों से बैठी हुई है, राज्य की मशीनरी काम नहीं कर रही है, राज्य में कोई शासन नहीं चल रहा है। यहां भी न प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, न कार्यक्रम ही मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर क्षेत्र में ह्रास हो रहा है।

फिर भी गरीब आदमियों का जहां तक सवाल आता है, वह अगर दस रुपया माहवार का किराया देता है और वह इस भूमि भवन-कर को नहीं दे पाता है तो उसकी थालियां कटोरी तक ले ली जाती है, लेकिन जो करोड़ों, लाखों रुपये के इन्कम टैक्स की चोरी करता है उसके लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है उस को वह नहीं निभाती है और उन को माफ कर दिया जाता है। २५–२५ हजार के कर्जे माफ किये जाते हैं और १०–१० रुपये माहवार देने वाले को तंग करते हैं, यह कैसी बात है? अभी राजस्व मंत्री कह रहे थे कि किसान लोग बहुत बड़ा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान किसानों की दशा की ओर कभी नहीं गया। सरकार को टैक्स लगाने से मतलब है, उसकी वसूलयाबी में हम गरीबों पर जितनी कठिनाइयां ला सकते हैं वह ला रहे हैं, यही हमारी सफलता है। पूंजीपतियों को कुछ सुविधाएं दे सकें, उन के साथ कुछ रियायत कर सकें यही हमारा लक्ष्य है, उदारता है। यह उदारता और यह निष्ठुरता दोनों साथ साथ देखने में आ रही हैं।

[श्री खेमचन्द]

आज जिन कर्मचारियों के बल पर एलेक्शन की मशीनरी चल रही है वह विरोध में आ रहे हैं और यह विरोध इतना भारी पड़ेगा जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। इस आधार को देखते हुये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव माननीय तिवारी जी ने रखा है वह समयानुकूल है और इस पर सरकार को उदारतापूर्वक विचार कर के इस संकल्प को मानलेना चाहिए, इसी में सरकार की भलाई है, इसी में जनता का भाव परिलक्षित है और जनता के साथ अगर सरकार उदारता के साथ पेश आती है तो जनतंत्र की मर्यादाओं को मान्यता प्राप्त होगी।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो प्रस्ताव है कर को समाप्त करने का, वैसे तो म चाहता था कि इसका मैं विरोध न करूं, लेकिन मजबूरन करना यूं पड़ गया कि जब प्रातःकाल यह सदन प्रारम्भ हुआ और प्रश्नों के पश्चात् जब यह बिल इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत हुआ किसानों से संबंधित, जिनके कि बल पर यह सरकार बनी है और माननीय सदस्य भी यहां पधारे हैं, जब उनके ऊपर, उनकी भूमि पर लगान बढ़ाया जारहा था, तो श्रीमन्, यह सदन से बाहर चले गये। आप क्यों बाहर चले गये?

(व्यवधान)

यदि किसानों के हिमायती होते तो जाते नहीं। उस वक्त लखी सिंह जी आप तो रहते यहां, आप भी बाहर चले गये और किसानों पर लगान लगने दिया। माननीय लखीसिंह जी तो शहर में रहते हैं, मैं भी शहर में रहता हूं, शहरों पर ही सारा पैसा खर्च होता है। जब यह कर लगाया गया था उस समय सारा विरोधी दल बाहर था। उनको चाहिये था कि वे इसका विरोध करते, यहां रहते। श्रीमन्, मैं उन किसानों के शुभचिन्तकों से पूछना चाहता हूं कि उस समय वे क्यों तशरीफ ले गये? जितनी भी टाउन एरिया हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं प्रदेश में सभी को उनकी सफाई के लिये, उनकी शिक्षा के लिये, उनकी दवादारू के लिये, सरकार सहायता देती है, जो भी ऐशोआराम के साधन हैं सभी शहरों में दिये जाते हैं और देहातों में एक पैसा भी नहीं देते हैं। टैक्स तो गांव वालों पर यह सरकार लगाती है, मगर उनके लिये यह सरकार एक पैसा देने के लिये तैयार नहीं है। श्रीमन्, इनकी किसानों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। मैं मथुरा नरेश लखी सिंह जी से पूछना चाहता हूं कि वे भी तो किसानों के प्रतिनिधि थे और जब किसानों पर टैक्स लगने जा रहा था तो वे बाहर चले गये थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं भी शहर में रहता हूं और वे भी शहर में रहते हैं और यह भूमि भवन कर तो शहरों में लगने जा रहा है और जब यह टैक्स लगने जा रहा है शहरों में तो वे विराजमान हैं। जब किसानों पर टैक्स लगने जा रहा था तो सारा विरोधीदल बाहर चला गया था। मैं उन किसानों के शुभचिन्तकों से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी म्युनिसिपैलिटीज शहरों में हैं इस प्रदेश की उनको देखिये।

अब आप इन शहरों में आइये। यह सरकार सारी म्युनिसिपैलिटीज को, टाउन एरियाओं को उनकी सफाई के लिये, शिक्षा के लिये, दवा दारू के लिये हर तरह की सहायता देती है, सड़कों के लिए और बिजली के लिये तथा हर तरह के ऐशोआराम के लिये रुपया देती है। लेकिन क्या देहात के लिये इस तरह कोई रुपया दिया जाता है? देहात को एक पैसा भी नहीं मिलता। जिस तरह से यह सरकार म्युनिसिपैलिटी आदि को रुपया देती है उस तरह से एक गांव को देकर बतायें। यह सरकार किसानों और मजदूरों को सरकार कह जाती है, उन से टैक्स वसूल करती है और सरमायेदारों से टैक्स वसूल नहीं करती और उसका फायदा शहरों को पहुंचाया जाता है। शहरों में बिजली, सड़कें और तरह-तरह के खेल तमाशे लगाये जाते हैं, सिनेमा घर बनाये जाते हैं लेकिन गांवों की तरक्की के लिये यह सरकार एक पैसा भी देने को तैयार नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक माननीय सदस्य, श्री कमला सिंह जी कह रहे थे कि पूर्वी जिलों को कुछ नहीं दिया जाता, सारा रुपया पश्चिमी जिलों में खर्च कर दिया जाता है। लेकिन असलियत यह है कि सारा टैक्स जो पश्चिमी जिलों से वसूल किया जाता है वह सारा का सारा पूर्वी जिलों में खर्च कर दिया जाता है। अगर आप न्याय ही करना चाहते हैं तो सबके ऊपर बराबर-बराबर खर्च कीजिये चाहे वह पूर्वी हो, पश्चिमी हो, उत्तरी हो या दक्षिणी हो। लेकिन आप का तो स्टेडियम भी यहीं बनेगा, यूनिवर्सिटी भी यहीं बनेगी, बड़े-बड़े अस्पताल भी यहीं बनेंगे, पत्थर, सीमेंट और तारकोल की सड़कें भी यहां बनेंगी, लेकिन देहात में कुछ नहीं बनेगा।

श्री अधिष्ठाता—

आपके मेरठ में भी यूनिवर्सिटी होने जा रही है।

श्री हरीसिंह—

यह तो आप शहरों की ही बात कह रहे हैं, मैं देहात की बात कर रहा हूं। टैक्स आप देहातों पर लगाते हैं और शहरों में उसको खर्च करते हैं। यह भूमि-भवन कर का जो टैक्स है वह भी मकान वालों पर नहीं लगेगा, किरायेदारों पर ही लगेगा। यह मकानों में कौन रहता है? सरमायेदर तो रहता नहीं है। अभी आपने गांवों से जमींदारी खत्म की, इस कल्याणकारी सरकार ने खत्म की और उन्होंने मकानों के रूप में शहरों में उस जमींदारी को स्थापित कर लिया और आप ने जो टैक्स लगाया वह किरायेदारों पर लगा दिया।

एक नयी चीज और है। सारे देहातों में कोई भी शौच जाने का प्रबन्ध नहीं है। शहरों में फ्लश लगाने का प्रबन्ध है।

(व्यवधान)

जो माननीय सदस्य यहां पर कह रहे हैं कि भूमि-भवन कर देहात में भी हो, मैं समझता हूं कि उनका देहातों से कोई वास्ता नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शहरों में भूमि-भवन कर क्यों नहीं लगना चाहिए। शहरों में भी होता क्या है? जो किरायेदार होते हैं, उनसे ही टैक्स लिया जाता है। मालिक मकान जो होते हैं उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर यहां पर कोई आदमी देहात में नौकरी करने आ जाता है, या कोई लड़का पढ़ने आता, है उससे ही टैक्स लिया जाता है, वह गांव में भी टैक्स देता रहे और शहरों में भी देता रहे। होना यह चाहिए कि जो भी मालिक मकान हो, उस पर ही ऐसा टैक्स लगना चाहिए। किरायेदारों में इस टैक्स से एक तड़पन रहती है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि बजाय किरायेदार के मालिक मकान से यह टैक्स लेना चाहिए। आप उसे चाहे २५ प्रतिशत के स्थान पर ४० फीसदी कर दें। गरीब तो मालगुजारी पर टैक्स देता है, अपनी झोपड़ी पर टैक्स देता है पर इस कल्याणकारी राज्य में न उनके यहां पर बिजली की व्यवस्था है, न वहां पर देहातों में सड़कें हैं, जब कि वे वहां पर दुनिया भर के टैक्स देते हैं और उनसे वसूला जाता है। अगर हमारे देहात वाले उत्पादन करना बन्द कर दें तो जो शहर में रहने वाले हैं उन्हें एक दिन में पता लग जाये।

(व्यवधान)

हर एक आदमी चाहता है कि शहरों में भूमि-भवन कर न लगे, लेकिन ईमानदारी यह है कि दुगना लगना चाहिए। जो इस प्रकार के प्रस्ताव लाते हैं कि शहरों में नहीं लगना चाहिए उनमें अधिकतर शहरी हैं। उनका मजदूरों और किसानों से कोई वास्ता नहीं है और जिनकी जायदाद है उनसे वसूल हो न कि किरायेदारों से वसूल हो। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको बजाय समाप्त करने के दुगना होना चाहिये क्योंकि जिनको हजारों रुपये महीने इन्कम किराये से होती है उन से यह कर वसूल होना चाहिये और गरीबों को इस टैक्स से बरी करना चाहिए। यदि ऐसा सरकार न कर सके तो जितना टैक्स इस समय लग रहा है उतना रहना चाहिये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

अधिष्ठाता महोदय, जब कोई गुंजायश नहीं रही तब मुझे समय मिला। फिर भी मैं आप का आभारी हूं। श्रीमन्, मैं आज खाना खाने भी नहीं गया और मैं भूमि-भवन कर की सारी कथा सुनता रहा। एक खुशी है मुझे कि इस विभाग के मंत्री जी बहुत ही समझदार पंडित हैं। पंडित के माने हैं बहुत पढ़े-लिखे हैं और उनके अन्दर उदारता भी है। लेकिन एक चीज में देखता रहा कि इस कांग्रेस में, इस सरकार में, अधिष्ठाता जी आप भी नाराज न हो जाना, शायद इस फौज में से आप भी हैं, कुछ वैसे तो चापलूस लोग यहां पहले भी थे, सरकार चापलूस, सरकार के खुशामदी टट्टू बहुत थे, लेकिन जब से माननीय गेंदा सिंह जी की फौज इधर से गयी तो लोग डबल चापलस हो गये.....

श्री अधिष्ठाता--

मैंने सुना है कि आप और माननीय राधेश्याम शर्मा जी दोनों आ रहे हैं।

श्री लखीसिंह--

ठीक है, आप देखते रहें कौन आता है, कौन नहीं आता है। अब मैं सचाई को छिपा नहीं सकता कि हरी सिंह जी ने जो चीजें कहीं हैं उन में अधिकतर अच्छी कहीं, बुनियादी बातें कहीं। अब लड़ाई किस बात की है, मंत्री जी हमारे.....

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई चेयर पर से यह कह सकता है कि आप और माननीय राधेश्याम भी इधर आने वाले हैं। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शास्त्री जी यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप जैसे सदस्य घबरायें नहीं, मैं माननीय चन्द्रजीत यादव का नाम नहीं ले रहा हूं।

श्री लखीसिंह--

जरा मेरे समय को देखते रहिये। श्रीमन्, मैं मंत्री जी को उपदेश नहीं करूंगा। लेकिन सोचिये, माननीय हरीसिंह जी कह रहे थे कि अगर ये किसान के हितैषी होते तो पहले संकल्प को क्यों नहीं लिया। हमने तो नहीं लिया, लेकिन आप ने किसानों के हक में हाथ उठा कर उसे गिरा दिया। निहायत लज्जा की बात है। सवाये लगान को आपने लगाया और आप किसान के दुश्मन बने। जरा सुनिये, मैं पोस्टमार्टम करूंगा।

अधिष्ठाता महोदय, एक खुशी यह है कि इस विधेयक के मिनिस्टर साहब और डिप्टी मिनिस्टर साहब दोनों बैठे हुए हैं और उनको पता है कि चापलूसी में मनुस्मृति को मत खो। मनु भगवान की बात को अगर मानते हो तो या तो किसी सभा में जाओ मत या अगर किसी सभा में जाते हो तो सच को मत छिपाओ। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हम इस टैक्स के विरोधी नहीं हैं। हम इस सरकार की करनी के विरोधी हैं, करनी क्योंकि दूषित है, बहुत खराब है। यही नहीं, हिन्दुस्तान के १४ सूबे इस सरकार पर थूकते हैं इसकी करनी पर। किसी राज्य में सवाया लगान नहीं बढ़ाया गया, जब कि हमला हो रहा था सियालकोट पर, लेकिन इस सरकार ने किसानों पर बढ़ाया, भूमि भवन कर को इस सरकार ने बढ़ाया। किसी भी राज्य में सरकारी कर्मचारियों पर लाठी प्रहार नहीं हुआ है, लेकिन इस सरकार के जमाने में हुआ है, लज्जा की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिये। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं क्योंकि वह पुराने हैं, देशभक्त हैं और एक दिन इस सदन में उन्होंने यह भी कहा था कि इस सदन में किसान या तो मैं हूं या लखी-सिंह हैं। मैं इस भूमि-भवन कर को भूत भयंकर कहता हूं। खून लग जाता है। किसी

भी सरकार का काम बिना पैसे के नहीं चल सकता है, लेकिन मैंने सुना अपने विद्वानों से, जिस वक्त यह कर लगा उस वक्त सरकार ने कहा था कि ५० लाख रुपये से ज्यादा नहीं लगेगा और अब इसको डेढ़ करोड़ रुपये का कर रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय, जरा ध्यान रखना। जब एक शख्स जो मंत्री नहीं, कुछ नहीं है, साधारण-सा एम०एल० ए० माननीय चन्द्रभानु गुप्त हैं उन के जन्म दिवस पर ६५ लाख रुपये की थैली दी जाती है और इस सरकार तथा इस सरकार के चापलूस लोग—इस मंहगाई में उन गरीब लोगों पर इस कर को लगाते हैं, जो छोटे-छोटे मास्टर हैं, जो १०० रु० महीना पाने वाले क्लर्क्स हैं, जो शहरों में छोटे छोटे मकान ले कर गुजर करते हैं, और यही नहीं इस प्रदेश की सैकड़ों टाउन एरियाज, नोटिफाइड एरियाज और नगरपालिकाओं में भी इसको लगा रहे हैं। श्री हरी सिंह जी, आप जरा ध्यान करें। ये टाउन एरियाज गांव ही समझो, ये शहर नहीं हैं, याद रखो, इन झोपड़ियों में टिकट के लालच में मत जाना। टाउन एरियाज और नोटिफाइड एरियाज को इस तरह के शहर नहीं कह सकते, शहर कहते हैं इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, आगरा को। और टाउन एरिया—मेरे क्षेत्र में छाता जैसी टाउन एरिया है। माननीय मन्त्री जी ने तो देखा ही है, माननीया तारा अग्रवाल भी शायद उधर की ही हैं। इसी तरह से हमारे यहां कोसी और फरां टाउन एरिया है। आप क्यों उन पर यह भूमि-भवन कर लगा रहे हैं? मैं समझता हूं कि निहायत गरीबों से आप लेते हैं तो लगावें, न लगानेका क्या मतलब?

डांगे जी ने अपने भाषण में बतलाया था कि देश में ७५ प्रतिशत पूंजीपति ऐसे हैं जिनके पास देश की ५० प्रतिशत दौलत है। डांगे जी ने यह भाषण दिया था ट्रेड यूनियन की सभा में कि ७५ प्रतिशत पूंजीपति ऐसे हैं जिनके पास देश की ५० प्रतिशत सम्पत्ति है। इस सरकार में थोड़ी-सी सांस है, सिसक रही है, तथा वह कब्र की तरफ जा रही है—अगर इसमें दम है तो २५ प्रतिशत के बजाय ८० प्रतिशत उन पूंजीपतियों पर लगावे भूमि-भवन कर और अपने खर्चे की पूर्ति करे। लेकिन उनके पास तो उनके लिये चुनाव कोष खुला है, १०-१० हजार रुपया टिकट के साथ चनाव लड़ने के लिये देंगे और हमारे मुकाबले में खड़े हो जायेंगे और यह कर—गवर्नमेंट का तबलची मैं कहता हूं सब कांग्रेस को.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखीसिंह जी, आप को ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री लखीसिंह—

मैं तो ऐसा कहूंगा, मुझे ऐसा कहना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता—

कोई माननीय सदस्य किसी माननीय सदस्य को इस तरह की बात नहीं कह सकता कि कोई तबलची है या कोई सारंगीवाला है।

यह असंसदीय है। माननीय सदन के किसी सदस्य को आप को इस तरह की संज्ञा नहीं देनी चाहिये।

श्री लखीसिंह—

बढ़िया है। तो मत लिखने दीजिये। माफी नहीं मांगता। कभी जिन्दगी में माफी मैंने मांगी नहीं। अंग्रेज से मांगी नहीं। मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं। श्रीमन्, कहा गया कि दस रुपये माहवार जो किराया देते हैं उन को हमने कर से मुक्त कर दिया है। बड़ी अक्ल है। हे भगवन्! थोड़ी सी अक्ल वाला भी आदमी सोचे कि लखनऊ में, मथुरा में, बनारस में, मेरठ में, उन्नाव में छोटे से छोटा दस रुपये का कितना बड़ा मकान मिल जाता है? पांच आदमी का परिवार। छोटे-छोटे बच्चे ले कर, बीबी और उसका पति दस रुपये महीने के मकान में रह सकते हैं? कहते है कि हमने दस रुपये महीने के किराये के लोग मुक्त कर

[श्री लखीसिंह]

दिये। १२० रुपये सालाना के किराये वाले मकान, भूमि-भवन कर से मुक्त कर दिया। मंत्री महोदय जी, इस पर गौर करना, ठंडे दिल से करना, कोठी पर जा कर करना। टैक्स लगाओ, लेकिन उन लोगों पर लगाओ जिन पर अपने रहने वाले मकान के अलावा ज्यादा मकान हैं। सुनिये छोटा मकान, जिसमें पांच आदमी का परिवार रह सके। वह नहीं जो किवबिव से भरा है। सर्वेक्षण कराइये। इस तरह से लगाइये। ठहर जाइये। कल दक्षिणा मिल चुकी है तुम्हें राजनारायण से। थोड़ी सी शर्म होती तो बोलते नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखी सिंह जी, आप का समय समाप्त हो गया। आप अगर बोलना नहीं चाहते.....

श्री लखीसिंह—

मैं बोल रहा हूं। श्रीमन्, बीच में खड़े हो कर कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय लखी सिंह जी अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री लखीसिंह—

यह सर्वेक्षण कराइये और इस टैक्स को उन मालदारों पर लगाओ, उन बड़े-बड़े भूमि वालों पर लगाओ और छोटे छोटे जो किरायेदार हैं उनको टैक्स से मुक्त करो।

*श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। श्रीमन्, गैरसरकारी दिवस लगभग चार वर्षों से मैं यहां देख रहा हूं कि संकल्प विरोधियों की तरफ से आते रहे हैं। इससे पहले जो गैर सरकारी संकल्प आते थे विरोध पक्ष की तरफ से उन संकल्पों में और आज के संकल्पों में बड़ा अन्तर है।

इस समय तक नीति संबंधी बातें आती थीं। कभी कहते थे कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को खत्म करें, कभी कहते थे कि हायर सेकेन्डरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण हो, ऐसी सब बातें आती थीं। लेकिन आज जो दोनों संकल्प आये हैं उनमें एक तो है किसानों पर लगान की माफी और दूसरा भूमि भवन कर हटाने का प्रस्ताव। जरा इसको सोचिये कि ये प्रस्ताव क्यों आये हैं? इसलिये आये हैं कि चार महीने बाद एलेक्शन आ रहे हैं, इसलिये यह पोलिटिकल स्टंट है। इसीलिये आज यह टैक्स किसानों पर से हटाने के लिये ला रहे हैं, भूमि भवन कर हटाने के लिये लड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले इन्होंने कभी नहीं सोचा कि किसानों पर टैक्स लग रहा है या शहर वालों के ऊपर लग रहा है। यह नई बात है। इसलिये विरोधी इन बातों का दिखावा मात्र कर रहे हैं। कोई गंभीरता नहीं है। अगर ये गंभीर होते तो इससे पहले जब किसानों के ऊपर लेवी लगाने का सवाल आया था तो पूरा विरोधी दल चला गया था। इस वक्त भी यहां पर केवल ५-७ आदमी बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि असली बात क्या है?

अभी विरोधी दल वालों ने कहा कि कोई सरकार बिना टैक्स के नहीं चल सकती है। फिर भी यह टैक्स लगाने का विरोध करते हैं। आखिर क्या बात है? चाहे तबलची कहिये चाहे सारंगी वाला कहिये। इन शब्दों का इस्तेमाल यहां नहीं होगा आप जो चाहे इस्तेमाल करें बृज भूमि में ऐसी बातें नहीं कही जाती हैं। अब यहां आकर यह इस तरह की बातें कहने लगे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, जो कहा जाता है कि यह टैक्स गरीबों के ऊपर लग रहा है, यह ठीक नहीं है। मैं भूमि भवन-कर के बारे में निवेदन करूंगा। ऐसा कहने वालों ने व्यावहारिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया है और उन्होंने इसके व्यावहारिक पहलू को नहीं सोचा है। यह जो टैक्स लिया जाता है, आपके ही कहने के मुताबिक किराये वालों से लिया जाता है। यह किरायेदार दो प्रकार के हैं। एक तो वह हैं जो एपार्टमेन्ट से आते हैं, जिन मकानों का एपार्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर द्वारा होता है। यह मकान १९५० से पहले के हैं। इनके किराए बहुत कम हैं। जो मकान एपार्टमेन्ट का १० रु० महीने का है, उसी एकोमोडेशन का मकान, उतने ही कमरे उतना ही स्थान हो तो ६०–७० पये में मिल रहा है और जो अब इस टैक्स के द्वारा १० रुपये पाने वाले किरायेदार को ज्यादा देना पड़ेगा, उसे १० परसेन्ट के हिसाब से एक रुपया टैक्स का देना पड़ेगा यानी अब १० रुपये के बजाय उसको ११ रुपया किराये के देने पड़ेंगे। जब कि उसी एकोमोडेशन के मकान का किराया ६–७ गुना देना पड़ रहा है। अधिष्ठाता महोदय, अब जरा सोचिये १० रुपये वाले किरायेदार को एक रुपया देना पड़ेगा। तो क्या बढ़ोत्तरी होती है जब कि कहा जाता है कि जहां टैक्स लगना चाहिये, नहीं लगाया जाता है तो कौन सी जगह टैक्स लगाया जाय? दस रुपये वाले से एक पया मांगते हैं तो कितना उससे प्रफिट हो सकता है यह मेरी समझ में नहीं आता है। कोई भी विरोधी नहीं समझा पाया कि यह अनर्गल टैक्स है। यू० पी० में इतने टैक्स हैं कि इनकी कोई हद नहीं। मैं कहता हूं माननीय सदस्यों ने टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को देखा होगा। रिपोर्ट मैंने पढ़ा, उसमें साफ लिखा है कि इंसीडेन्टल टैक्सेस यू० पी० के मुकाबले किसी प्रदेश में कम नहीं हैं। केवल थोड़ी सी मालगुजारी बढ़ी हुई है, तो मालगुजारी भी उस समय की बढ़ हुई है, जब कि २ रुपये मन गेहूं बिकता था और आज तो ३३ रुपये मन गेहूं है। मैं मालगुजारी के विषय में नहीं जाता, यह तो विषय खत्म हो चुका है। लेकिन मैं इन्सीडेन्टल टैक्सेस के बारे में कह रहा हूं। आप कभी कहते हैं कि भूमि भवन-कर खत्म करो, आप कभी कहते हैं कि किसानों पर जो २५ परसेन्ट बढ़ाया है, उसे वापस लो और कभी आप कहते हैं कि तन्ख्वाहें बढ़ा दो। तो कोई व्यावहारिक बात बताइये। यह तो कोई व्यावहारिक बात आप नहीं कर रहे हैं। यह तो बातें आप चीप पापुलेरिटी गेन करने के लिये और अपनी नेतागीरी कायम रखने के लिये कह रहे हैं। यह बातें जंचने वाली नहीं हैं। आज जनता भी जागरूक है और वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है, वह जानती है, कि कौन व्यावहारिक है और कौन नहीं।

लखी सिंह जी ने एक बात कही थी कि मरणासन्न कांग्रेस संस्था है—खत्म हो रही है। मैं कहता हूं कि जरा सोचिये कि कौन खत्म हो रहा है? आप में से ४७ से ३० रहे, और ३० से २० रहे, उसके बाद भी १५ रहे और अब उसमें से भी अभी आने वाले हैं। तो कौन मरणासन्न है और कौन जानेवाला है, इसको तो आप बिना सोचे समझे कह रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि एक टैक्स तो लिया जाता है एपार्टमेन्ट का, जिनके पास मकान हैं यह उनको देना पड़ता है। १० रुपये से ११ रुपये देने वाले को पड़ने वाला है। इसलिये यह उचित है और जंचने वाला है। जो नई इमारतें बन रही हैं, उनके बारे में प्रश्न उठता है, यह किरायेदार को देना है। वह किरायेदार पर भूमि भवन-कर नहीं पड़ता, वह उसी पर पड़ता है। बहुत से किरायेदार टैम्पोरेरी होते हैं २–४ –६ महीने रहते हैं और चले जाते हैं, उनसे वे १००–९० रुपया किराया वसूल लेते हैं जैसा मकान बड़े बड़े लखी सिंह जी जैसे लोगों के पास हैं।

श्री अधिष्ठाता—

क्या लखी सिंह जी के कोठी है?

श्री बान्हैयालाल—

तो अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उधर भी इस टैक्स के लगने का एक औचित्य है, यह आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह---

देखिये २० हजार रुपया सरकार से लेकर मैंने मकान बनाया है और मैंने यह पहले भी कहा कि यह कन्हैया लाल जो कम से कम आधे बाजार के मालिक हैं। मैंने तो अभी ५-४ साल हुए सरकार से कर्ज लेकर मकान बनवाया है और उसे कर्ज की किश्त दे रहा हूं और अगर नहीं दूंगा तो मकान छिन जायगा।

श्री कन्हैयालाल---

मैंने जो कोठी की बात कही वह मैंने कोई इस तरह की बात नहीं कहीं, वह मैंने पूंजीपतियों के संबंध में कोई बात नहीं कहीं। वह कोई पूंजीपति नहीं हैं। और इसमें कौन गलत बात कहता हूं? उसी विषय पर, यह जो नयी इमारतें बनी हैं उनमें यह देखा गया है कि अगर ३० हजार रुपये की लागत से कोई मकान बनाये तो उसको ३०० रुपया रेंट मिलता है। पुराने जमाने में जो मकान बनते थे उसमें मुश्किल से ३ परसेन्ट मिलता था। लेकिन आज मकान बनवाइये, चाहे गवर्नमेन्ट से कर्जा लेकर और चाहे वह उसमें खुद भी रह सकता है और किराया भी ब्याज के रूप में आ जाय। लखी सिंह जी, आप बुरा न मानें।

श्री लखीसिंह---

मैं कब कहता हूं कि आप मुझ पर कर न लगाइये।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल---

तीसरी बात, अधिष्ठाता महोदय, ...

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य से कि आप लखी सिंह जी की कोठी का नाम न लें।

श्री लखीसिंह---

मैंने बैंक करके नहीं बनवाया है, सरकार से कर्जा लिया है और मेरी हड्डियों से निकलेगा २५ साल तक। यह जो माननीय सदस्य हैं इन्होंने कोटा परमिट लिया होगा, किताबों से लिया होगा, २५, ३० हजार रुपया, यहां के मंत्रियों से लाभ कमा रहे हैं। यह नकली कांग्रेसी हैं, इन्होंने कांग्रेस में एक भी काम नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल---

मुझे गलत न समझा जाय। मैं जो बात कह रहा था वह किसी आक्षेप की नीयत से नहीं कह रहा था, किसी व्यक्ति के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा था। केवल उदाहरण के लिये लखी सिंह जी का नाम ले दिया क्योंकि वह मुझसे पहले बोले थे। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अब माननीय लखी सिंह जी का नाम नहीं लूंगा, न किसी चन्दे का, न कर्जे का नाम लूंगा चाहे वह किसी चीज के लिये लिया गया हो। अब मैं कतई नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये।

(व्यवधान)

श्री लखीसिंह—

यह झूठ है, मेरे पास इनकी जन्मपत्री है और अब सब खोला जायगा। यह नकली कांग्रेसी हैं, फसली भी नहीं हैं, असली भी नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप असली विषय पर बोलिये।

श्री कन्हैयालाल—

जो बात कमला सिंह जी ने कही कि भूमि भवन-कर जो लगाया गया है वह इस प्रकार लगा दिया गया है कि उसमें म्युनिसिपलिटीज के लिये आगे टैक्स लगाने की गुंजायश नहीं रही। कई म्युनिसिपलिटी ने प्रस्ताव पास करके भेजे कि यह टैक्स न लगाया जाय। मैं आपसे निवेदन करूं कि म्युनिसिपलिटी टैक्स नहीं लगाती है। गवर्नमेन्ट उनसे बार-बार कहती है टैक्स लगाने के लिये, लेकिन वह नहीं लगाती है। वह लगाने से डरती हैं। हमारी मथुरा म्युनिसिपैलिटी का किस्सा है। वहां पर वाटर वर्क्स वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। जनता को पीने के लिये पानी नहीं मिलता है। नल सूखे पड़े रहते हैं। गर्मी में हाहाकार मचा रहता है। तो वहां पर एक स्कीम वाटर वर्क्स की बनाई गई जिसका एस्टीमेट ३३ लाख का था। ३३ लाख रुपया सरकार से ऋण मांगा गया। सरकार ने कर्जा देना मंजूर कर लिया, लेकिन शर्त यह लगाई कि तुम्हारी पेंइंग कैपेसिटी कम है इसलिये तुम अपने यहां हाउस टैक्स और वाटर टैक्स बढ़ाओ। अगर यह टैक्स तुम बढ़ा दोगे तो हम तुमको ३३ लाख रुपया देंगे। मथुरा म्युनिसिपैलिटी में वाटर वर्क्स का टैक्स ९ परसेन्ट है और हाउस टैक्स ४॥ परसेन्ट है। तो गवर्नमेन्ट के आग्रह करने पर भी हमारे सदस्यगण और चेयरमैन ने वह नहीं बढ़ाया और वह ९ तथा ४॥ हो रहा। इनका नतीजा यह हुआ कि गवर्नमेन्ट से ऋण नहीं मिला और वह वाटर वर्क्स ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरे कहने का आशय यह है कि म्युनिसिपैलिटीज टैक्स नहीं लगाती है और गवर्नमेन्ट जब लगाती है तो उसका म्युनिसिपैलिटी विरोध करती है। वह गवर्नमेन्ट से रुपया मांगती है कि हमको रुपया दीजिये, वाटर वर्क्स दीजिये तो सरकार यह बात कहती है। अब आप सोचिये कि जब गवर्नमेन्ट नहीं देती है और न रिसोर्सेज आप बढ़ाते हैं तो किस तरह से इन्तजाम होगा? इन्तजाम यह होगा कि म्युनिसिपलिटीज गन्दगी पड़ी रखेंगी। उसमें सफाई नहीं होगी। पानी पीने को नहीं होगा। शिक्षा का इन्तजाम नहीं होगा। अगर इस तरह से इन्तजाम होगा तो किस तरह से उनका काम चलेगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि हम टैक्स लगाकर जनता का भला करना चाहते हैं और जनता का स्तर ऊंचा करना चाहते हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, उनके घरों में पानी पहुंचाना चाहते हैं, शिक्षा पहुचाना चाहते हैं इसलिये यह भूमि भवन-कर लगाने की बात है। उस टैक्स को लगाकर हम म्युनिसिपलिटी को जो रुपया देंगे उसमें आपका योगदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और यह टैक्स जरूर लगना चाहिये।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विचार हमारे माननीय सदस्य ने उधर से प्रकट किये हैं उसका मैं विरोध करना चाहता हूं। उधर से जिस प्रकार के विचार हमारे मित्र ने प्रकट किये हैं और जिस तरह से उन्होंने भूमि-भवन कर का समर्थन किया है वह उन्होंने लड़खड़ाती भाषा में किया है। उनकी वाणी बिलकुल लड़खड़ा रही थी। श्रीमन्, आपने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने अपनी बातें सदन के समक्ष रखीं। श्रीमन्, वास्तविकता यह है कि इन लोगों के शब्दों को सुनकर मेरी भावना यह है कि अगर मैं राजा शिवा होता तो इन लोगों के भाषणों पर मैंने उनको मेरठ का जिला दे दिया होता। अगर मैं लार्ड कर्जन होता तो अतिरंजन के दोष में मैंने उनको ६ महीने की सजा कर दी होती। अगर मैं बादशाह औरंगजेब

[श्री लोकपालसिंह]

होता तो तबेले का तोबड़ा चढ़वा दिया होता। श्रीमन्, यह जो टैक्स लगाये जा रहे हैं उनका सबंध किनसे है, वही गरीब जनता से। यदि इनको संबंध मामूली जनता से होता तो संभव है कि मैं इनके विरोध में एक शब्द भी न कहता। श्री चन्द्रभानु गुप्त जी की ६५ वीं बरसी पर यह जो ६५ लाख रुपये का टैक्स लगाया जा रहा है यह ठीक नहीं है....

श्री अधिष्ठाता---

यह तो आप के लिये शोभा की बात नहीं है। इसकी चर्चा आप जैसे लोग करें, यह ठीक नहीं है।

श्री लोकपालसिंह—

यदि ऐसा है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। तो यह इतना बड़ा कर बड़े लोगों से ही नहीं वह तो प्रायः छोटे लोगों पर भी लगेगा। इसका मुझे बड़ा खेद है। मैं यह नहीं कहता कि जितने कर हैं उनका मैं विरोध करता हूं, लेकिन यह विशेष रूप का कर है जिसका असर छोटी जनता पर पड़ता है। मेरा अनुरोध है, देखिये शास्त्र का मत है ---

पुष्पं पुष्पं विचिन्वेत्: मूलच्छेदे न कुर्यात्।

भंवरा फूल को खाता नहीं, वृक्ष के फूल से रस ले लेता है। यह जब कहा कि यह सब खाने पीने का उपचार है---जैसा कि हृदय में है, यह सही ही मालूम होता है---

"फूल उस ढंग से चुन ऐ मेरे बागबां, शाख हिलने न पाये न आवाज हो।
वरना सारा चमन यह उजड़ जायगा। और हर कली का भी दिल दहल जायगा।"

मैंने अभी परसों एक क्लर्क से बात की। उसने मुझ से पूछा कि कल हाउस में क्या चर्चा होगी तो मैंने उसको बात समझाई। उसने कहा कि भूमि भवन-कर भी हमारे सर पर मढ़ा जायगा। इस जीवन से तो मृत्यु ही अच्छी है। हमें जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा, नौकरी से हम अपने घर बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों के लिये कोई व्यवस्था नहीं करती सरकार। हमने कहा कि क्यों परेशान हो, धैर्य धरो। उसने कहा कि आज जो हमारी हालत हो रही है, हम हैन्ड टु माउथ गुजर कर रहे हैं, किस तरह से हमारा जीवन चलेगा? यदि सरकार अपनी जिद पर रहेगी तो हम भी अपनी जिद पर रहेंगे, हम अपने घर को तेल में सराबोर करके आग लगा देंगे। यदि सरकार अपनी जिद पर है तो हम भी अपनी जिद पर हैं। इस भूमि भवन-कर से भी ठेस उन्हीं लोगों की पहुंचेगी। हम देखते हैं कि आखिर क्यों ये लोग अपनी नौकरी को लात मार रहे हैं? उनके सामने समस्याएं हैं, घर की, बच्चों की, खाने पीने की समस्याएं हैं। आदमी जब ज्यादा परेशान हो जाता है तो अपने शरीर में आग लगा लेता है, फांसी पर लटक जाता है। इसी प्रकार यह नौकरशाही इन विविध बातों से संतप्त होकर ऐसा आचरण कर रही है। यह नहीं कि सरकार से उसे कोई घृणा हो। यह तो उनके दुख की बड़ी लम्बी कहानी है---

"तेरे जख्मे जिगर को देख कर जर्राह कहता है,
लगायें किस जगह मरहम भरें हम किस जगह टांके।"

मैंने चरण सिंह जी से पूछा कि आपकी तो बड़ी भारी प्रशंसा है, आपके अन्दर ऐसी भावनायें कैसे आ गयीं। उन्होंने स्वप्न में मुझे एक दृष्टान्त सुनाया कि धृतराष्ट्र की पाडवो के प्रति बड़ी सुन्दर नीति थी, परन्तु जब वे दुर्योधनादि से बात कर लेते थे तो उनकी नीति बदल जाती थी। धातु बुद्धि कृताप्येवं पान्डवं प्रति मे सदा। दुर्योधिनं समासाद्य : पुनर्विपरिवर्तते। इसी तरह से माननीय चरण सिंह जी की नीति तो बड़ी सुन्दर है, मगर जब वे सरकार की तरफ देख लेते हैं, सरकार से बात कर लेते हैं तब उनकी नीति बदल जाती है। वे विवश होकर

टैक्सों को बढ़ाने लगते हैं। आज प्रदेश में करों के कारण एक होली सी जल रही है। करों को जब रावण ने बढ़ाते बढ़ाते ऋषियों तक भी कर लगाये, तब श्री सीता का जन्म हुआ। तत्पश्चात् हनुमान द्वारा लंका दहन हुआ, अब भी डर है कि कहीं सीता का जन्म न हो जाय। इन करों को बढ़ाकर के यह सरकार जघन्य पाप कर रही है।

जब करों, द्वारा विधायक, जन करों को बांध लेता,
और फिर अपने पराये की गगन चढ़ बांग देता।
कर्म का प्रिय पारितोषिक क्षुब्ध मानव जब न पाता,
शांति मय जनता जलधि में तब उसी क्षण ज्वार आता,
डोल उठती है धरा झट व्योम झंझाझोर होता,
क्रान्ति होती देश में चट राज्यविप्लव घोर होता।

इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि वह अपनी नीति को बदले और देश को राज्य विप्लव से बचावें। श्रीमन्, मैं इसके साथ-साथ अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि नागपंचमी का त्योहार आ रहा है इसलिये इस कर को दूर रखना होगा। यद्यपि सर्वदा सांप आदमियों को काटता है और आदमी सांप को मारता है। लेकिन वही नागपंचमी के दिन सांप की, दूध का प्याला लेकर पूजा करता है। उसी तरह से आपका सब तरफ से भर्त्सना तो की जाती है लेकिन गान्धी जी के नाम पर वोटों के समय जब गान्धी जी की स्मरण किया जाता है तो आपको वोट मिल जाते हैं। चुनाव नहीं, यही नाग पंचमी का त्योहार आ रहा है। ऐसे अवसर पर ही गांधी जी को स्मरण किया जाता है। परन्तु याद रखिए इस बार नागपंचमी मनने वाली की नहीं। नाग को कुचलने के लिये इस बार सब तैयार हैं। नौकरशाही का जोर बढ़ रहा है। चारों ओर पच्चीस परसेन्ट लगान वाली बात हो रही है। मैं उसे आज नहीं कहना चाहता लेकिन मैं अपने साथियों को यह बतला देना चाहता हूं कि अभी समय दूर है अभी आप संभलिये और जो आप करने रहे हैं उसे वापिस लीजिये तथा चरण सिंह जी अपने उज्जवल मुख पर स्याही न लगाएं। उनका सम्मान बहुत है और मैं चाहता हूं कि वह दिन ब दिन बढ़ता चला जाय। यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों और जहां तक इनके भाषण हुए हैं उनसे यह प्रतीत होता है उन सभी ने इस संकल्प का समर्थन किया है। माननीय हरीसिंह जी नहीं हैं। वे बोले बहुत, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यह जो कर लगा हुआ है यह गरीबों पर पड़ा है। उन पर माफ कर दिया जाय और यह कर केवल धनी लोगों पर लगाया जाय जिनके मकानात हों। इससे इस संकल्प की ही पुष्टि होती है। माननीय मुकुन्दीलाल जी से शुरू हुआ। वे इस समय यहां नहीं हैं। बैरिस्टर महोदय ने यह कहा कि अगर कर न लगाये जायं तो राज्य के कार्यों का संचालन कैसे हो सकेगा। परन्तु बैरिस्टर होते हुए भी उन्होंने यह नहीं समझा कि १३-१३ करोड़ रुपये बकाया हैं बिक्री-कर का, जिस समय यह विधेयक आया था उस समय यही कहा गया था कि केवल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीनाथ तिवारी एडवोकेट]

पचास लाख रुपये की प्राप्ति होने की संभावना है। अब माननीय कल्पनाथ सिंह भी चले गये। वह भी कहते थे कि कितनी और वसूलियों से काम चल सकता है। इतना कर बढ़ाने के बाद भी जब यह बच गया कि पांच से पच्चीस का अधिकार ले लिया गया। १३ करोड़ अब भी बकाया है सेल्स टैक्स का और आपको पचास लाख ही पाना था। क्या आप उससे पूर्ति नहीं कर सकते हैं? इसी प्रकार शारदा भक्त सिंह जी ने कहा कि आप अपने ऐशोआराम के तो सब काम करते हैं। रात दिन लाखों रुपया आप भत्तों में भी लेते हैं, उनको कम करने के बारे में आप क्यों नहीं सोचते?

एक बात आपने और कही, वह यह कि हमने यह रुपया किरायेदारों से लेने की छूट दे दी है। अब मान लीजिये किसी मकान में ४-४ रुपया देने वाले ३ व्यक्ति रहते हैं। मकानदार इन तीनों से अलग-अलग टैक्स का रुपया वसूल कर लेता है, क्योंकि आपने कानून ही ऐसा बना रखा है कि मकान मालिक किरायेदार से वसूल करे।

आपकी पालिसी को एक्जीक्यूट करते हैं आपके कर्मचारी। वे कर्मचारी इतना आपका टैक्स वसूल नहीं करते जितना कि वह अपने लिये भ्रष्टाचार से रु० वसूल कर लेते हैं। किसी मकान का टैक्स ५० रुपया है। उससे कहते हैं २५ रुपया तुम हमको दे दो तुम्हारे ऊपर १२ रु० टैक्स लगा देंगे। जहां आपका ५० लाख रुपया वह वसूल करते हैं वहां अपने लिये करोड़ों रुपया वसूल कर लेते हैं। इस ओर आपका ध्यान नहीं है। आपकी थोड़ी सी रकम के वसूल करने में जनता को क्या-क्या परेशानी होती है, यह आप जानते नहीं हैं। आपके आफीसरान अपने लिये थोड़ी सी रकम पाने के लिये जनता को त्रस्त करते हैं।

अभी माननीय लखी सिंह जी ने कहा कि शहरों में ऐसा कौन सा मकान होगा जो १० रुपये से कम हो। छोटी सी कोठरी भी १० रुपया महीना किराये से कम नहीं मिलती।

(व्यवधान)

माननीय हरीसिंह जी इस समय नहीं हैं। वे काश्तकारों के बड़े हामी बनते थे। जिन परिस्थितियों में हम लोगों ने वाकआउट किया था, उन परिस्थितियों में माननीय हरीसिंह जी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने यहां बैठकर, क्लोजर मूव करके किसानों के खिलाफ पास कर दिया कि लगान नहीं घटेगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

आपसे किसने कहा था कि आप चले जाइये?

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट—

हम लोग किसी वसूल पर गये थे, लेकिन उसके ये मानी नहीं कि हम प्रोटेस्ट करें और आप निर्लज्जता से बैठे रहें, किसानों के हामी बनें और पास कर दें कि किसानों का लगान घटेगा नहीं। यही सारे कांग्रेसी सदस्य थे जिन्होंने पास कर दिया था कि लगान घटेगा नहीं। हमारे माननीय कन्हैयालाल जी हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है। आपने कहा कि सन् १९६७ का समय आ रहा है, लेकिन लगान वापस लेने के लिए हमने संकल्प दे दिया। संकल्प लाटरी से निकाले जाते हैं। आपने भी ऐसा करके ड्यौढ़ा कर दिया। जब लाटरी से निकाला जाता है तो हम कैसे समझते कि सन् १९६७ का चुनाव है इसलिए हमारा संकल्प ही निकला और आपका संकल्प नहीं निकला? आप भी संकल्प कर सकते थे कि बढ़ाया जाय। आपको इतना भी पता नहीं कि स्थिति क्या है। आपने कहा कि पालिटिकल स्टन्ट है। अगर यह पोलिटिकल स्टन्ट है तो उसका एडवान्टेज आप भी उठा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रत्यक्ष कोई बात न करें।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट--

तो श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता था कि जो परिस्थिति इस प्रदेश की इस समय है अगर आप उस परिस्थिति को हटाना चाहते हैं तो जैसा कि हमारे माननीय लोकपाल सिंह जी ने कहा कि इसका अन्त क्या होगा, इसका अन्त होगा विप्लव। कोई रास्ता नहीं रहता। अन्धकार हो जाता है। तो फिर उस परिस्थिति के लिए आप भागी होंगे, दोषी होंगे। यह परिस्थिति ऐसी है कि हर चीज के दाम बढ़ते जाते हैं, प्राइसेज शूट अप करती जा रही हैं। जितना आप वसूल नहीं करते हैं उससे चौगुना भ्रष्टाचार से वसूल हो जाता है। अतः आप इस बिल को वापस ले लें तभी जनता को राहत होगी।

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

माननीय अध्यक्षता महोदय, माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया है, मैं उसके विरोध में अपने विचार सरकार की ओर से रखना चाहती हूं।

माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने बड़ी गम्भीरता से और एकाग्रता से सुना लेकिन जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किये और जिस प्रकार उन्होंने इस तर्क की आलोचना की, मैं समझती हूं कि यदि माननीय सदस्यों को इस कर का विरोध था तो नये आय के साधनों के लिए कोई सुझाव भी देते तो अधिक अच्छा होता। सदन के माननीय सभी सदस्यों को भलीभांति विदित है कि प्रति वर्ष इस सदन में बजट पेश होता है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यह रुपया किस प्रकार से व्यय होता है, उन पुस्तकों में लिखित होता है, जिसे सभी माननीय सदस्य पढ़ते हैं। साथ ही साथ उनको इस बात का ज्ञान है कि हर पंचवर्षीय योजना में हमें अपनी योजनाओं का विस्तार करना पड़ता है। इन योजनाओं में गरीब और अमीर और जाति या धर्म का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रदेश की जनता उससे लाभ प्राप्त करती है। अगर प्रदेश की जनता के लिए सुनियोजित योजना का कार्य करना है और प्रदेश की इन योजनाओं के लिए कोई योजना बनानी है तो यह भी जरूरी है कि उन योजनाओं को पूरा करने के लिए आय के साधन भी जुटाने हैं। जहां तक अन्य करों की बात है मैं विस्तार में नहीं जाना चाहती, लेकिन भूमि-भवन-कर के सम्बन्ध में वापस लेने का जो प्रस्ताव है, कुछ बातों की ओर, जो माननीय सदस्यों ने कही हैं, कहना चाहती हूं।

माननीय प्रस्तावक महोदय ने जो इस बात को कहा कि यह भूमि-भवन-कर जिस समय लगाया गया था। उस वक्त सरकार की ओर से केवल ५० लाख की आय के सम्बन्ध में कहा गया था। मैं समझती हूं यदि माननीय सदस्य जरा सा कष्ट करें तो लाइब्रेरी में वह पुस्तकें मौजूद हैं जिस समय पहली बार यह कर लगाया गया और उस समय संबंधित मंत्री का जो भाषण हुआ था जो संशोधित कर के लिये संशोधन विधेयक लाया गया वह मैंने ही पेश किया था। उस वक्त भी मैंने इस सदन को बता दिया था कि यह जो कर पहले १० प्रतिशत था, जो सरकार ने अधिकार लिया था वह केवल ५ प्रतिशत समस्त प्रदेश के उन कारोबार वालों के ऊपर और भूमि भवन वालों के ऊपर लगाया गया था, किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया गया था, समस्त कर एक ही दर से उनसे लिया जाता था। किन्तु जब संशोधित कर विधेयक पेश किया गया तो उसमें कुछ वर्ग भेद किया गया और वह इसलिये जरूरी था कि आज हमारे प्रदेश में कुछ मकान ऐसे हैं जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के द्वारा कम किराये पर उठे हुए हैं। किन्तु कुछ मकान सन् १९५० के बाद के जो बने हैं या कारोबार की दूकानें बनी हैं वह इस प्रकार की हैं जो कि रेंट कंट्रोल से बरी हैं और उन पर मनमाने तरीके से मकान मालिक किराया ले रहे हैं। इस तरीके से यह जो कर २५ प्रतिशत की दर से लगाने का अधिकार लिया गया वह इसलिये नहीं कि केवल यह संशोधन ऐक्ट है, मंजूर करने के लिए अधिकार लिया हो, बल्कि यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह विभिन्न दरों से, विभिन्न प्रकार से इसको लगाया जायगा, लेकिन अधिकार २५ प्रतिशत का लिया जाता है और यही हुआ कि जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्तर्गत कारोबार वाले हैं उनमें करीब करीब २० प्रतिशत लगाया गया है, लेकिन जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट से बाहर के कारोबार वाले हैं उनसे लगभग १०

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

प्रतिशत का कर लगाया गया है। लेकिन वह आवास जो रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अन्दर आते हैं जिनका कि किराया किरायेदार बहुत कम दे रहे हैं उन पर करीब साढ़े १२ प्रतिशत कर आरोपित किया गया और अन्य मकानों पर ५ प्रतिशत का है। इस तरीके से विभिन्न दरों से विभिन्न वर्गों पर, व्यवसायी तथा किराये पर रहने वालों पर यह कर लगाया गया है।

जहां तक निर्धनता का प्रश्न है वह सभी जानते हैं कि अगर उधर के पक्ष में बैठने वालों के मन में दर्द है निर्धन व्यक्तियों के लिये तो इधर के पक्ष वालों के अन्दर भी वही दर्द है, क्योंकि मनुष्य का दिल इधर भी रखते हैं और उधर भी रखते हैं। आप सोचते हैं कि निर्धनों के ही ऊपर कर का बोझ डाल कर सरकार अपने आराम के लिये कर रही है, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूं यदि आप इस ओर देखें। जो रेंट कंट्रोल के मकान हैं उनमें आज का ४, ४ कमरे के मकान १०, २० रुपये में आज भी उठे हुए हैं। अगर उनके ऊपर साढ़े १२ प्रतिशत का कर आरोपित हो गया, तो कितना उन पर भार पड़ा? आने पाई में यह कर उनसे लिया जाता है। इसी तरीके से जो मकान सन् १९६२ के बाद के हैं चाहे छोटे हैं, तब आज उनका किराया ५० रु० है इसीलिये कर की दर उनसे कम ली जाती है।

एक-एक दूकानों को आप हजरतगंज में देखें। कितने बड़े-बड़े दरों की दूकानें हैं जिनको कम किराये पर आज दूकानदार लिये हैं और जो रेंट कंट्रोल के अन्तर्गत आती हैं अगर उन पर अधिक कर ले लिया है तो किस लिये लिया है? यह प्रदेश के विकास के लिये, प्रदेश की जनता की भलाई के लिये और उन निर्धनों की आवश्यकता के लिये लिया है। जहां तक टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया का प्रश्न है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं मैं समझती हूं कि गरीब लोग रहते हैं लेकिन उसमें भी वर्ग विभाजन है। एक वह ग्रामीण टाउन एरियाज हैं जिनको अधिक से अधिक शत प्रतिशत अनुदान ही दिया जाता है या ७५ प्रतिशत अनुदान और २५ प्रतिशत लोन लेना पड़ता है या अपना अंशदान करना पड़ता है लेकिन वह टाउन एरियाज जो अरबन एरियाज में हैं जिनको अरबन एरिया कहा गया है उनको उन योजनाओं के लिये भी सरकार से ही रुपया मांगना पड़ता है और सरकार को देने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अगर उन टाउन एरियाओं में रहने वाले किरायेदार निर्धन हैं जिनको १० रुपये मासिक किराया है तो उनको बरी किया गया है। अब अगर उनको बरी करना आप निर्धनता के कारण उचित नहीं समझते हैं और यह समझते हैं कि उन किरायेदारों को जिनका किराया १० रुपया है क्यों बरी किया गया है तो मैं समझती हूं कि इसका कारण यह है कि लखी सिंह जी ने मकान बनाया है वह छोटा टाउन एरिया में बनाया है जो ग्रामीण क्षेत्र में है और शायद उन किरायेदारों से वह कर वसूल नहीं कर पाते हैं इसीलिये शायद उनको बुरा लग रहा है। मैं समझती हूं कि इस तरह की धारणा रखना कि निर्धनों को हमने करों से आरोपित किया है और पूंजीपतियों को करों से बरी किया है, नितान्त असत्य है। जो बंगला एरिया था जिसमें ५, ५ और ४, ४ एकड़ जमीन पड़ी हुई थी, जिन पर कोई कर की वसूलयाबी नहीं थी आज इस संशोधन विधेयक से इस बात का भी प्रतिबन्ध लगाया गया है कि एक एक एकड़ भूमि जिस बंगले के साथ सम्बद्ध होगी उसे एक यूनिट मान कर उस पर कर आरोपित होगा लेकिन जिसमें एक एकड़ से अधिक भूमि होगी तो उस भूमि से अलग लिया जायगा और बंगले से अलग लिया जायगा। तो इस तरह पूंजीपति से अधिक लिया जा रहा है बनिस्बत निर्धन के। यह कहना कि पूंजीपतियों के लिये इसमें उदारता बरती गयी है और निर्धनों पर ही आघात किया गया है उचित नहीं है। १२० रुपये वार्षिक किराये पर हमने करदाता को कर से मुक्त किया है, यह केवल इसी उद्देश्य से किया है ताकि निर्धन किरायेदार इससे बरी रहें।

जहां तक शारदा भक्त सिंह जी का कहना था कि नगरपालिकाओं पर हाउस टैक्स के लिये अधिक से अधिक जोर दिया जाता है कि उनको किसी प्रकार का लोन या अनुदान जब दिया जायगा जब कि वह कर वह लगा देंगी। मैं समझती हूं कि आज यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय अपने स्रोतों से धन एकत्रित करें। अगर स्थानीय निकाय जब कर, हाउस टैक्स न लगायें,

तहबाजारी तथा टोल टैक्स न लगायें तो आखिर उन निकायों में रहने वाले नागरिकों की आवश्यकता किस भांति पूरी हो सकती है? इसलिये जरूरत थी कि उन निकायों से कहा जाय कि वे अपने यहां गृह कर अथवा जल कर लगायें। जो जनसंघ की पार्टी है और मथुरा वृन्दावन आदि निकायों में जिनके चेयरमैन हैं वहां अधिक से अधिक उस पार्टी ने प्रस्ताव पास करा कर इन करों का विरोध करके, सरकार के पास भेजे हैं। मैं समझती हूं कि सरकार के समक्ष किसी पार्टी का निकाय नहीं है। प्रश्न साधनों का है। अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहती हूं कि यह प्रस्ताव स्वीकार न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के नागर क्षेत्र में लगे हुए भूमि भवन-कर को समाप्त करने के लिये सरकार तत्काल कार्यवाही करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार, २५ जुलाई, १९६६ को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २५ जुलाई, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२२ जुलाई, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

वर्ष	अनुदान राशि	व्यय	बचत	बचत का कारण
१९६४–६५	१५,९७,५२४	१६,३२,९२७	..	..
१९६५–६६	२०,५८,७९३	१९,९१,४३०	६७,३६३	१---अध्यापकों के अवकाश वेतन पर कम व्यय। २---साज सज्जा हेतु अनावर्तक अनुदान का उपभोग न होना।

मत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

उत्तर प्रदेश शासन

शिक्षा ग–२—विभाग

ग–२/७७४२—१५—दिनांक २८–१२–६६

उनके पत्रांक १८७ दिनांक २२–११–६५ के प्रसंग में जो कुछ अध्यापकों को दिए गए, विशेष वेतन वृद्धि तथा उच्च वेतन की स्वीकृति के विषय में है, अधो हस्ताक्षरी को प्रिंसिपल, सिद्धान्त हिन्दू कालेज, लखनऊ को यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि खेद है उक्त वेतन वृद्धियों को जो प्रबन्ध समिति ने अनियमित रूप से आठ अध्यापको को दिए हैं, स्वीकृत करना सम्भव नहीं है।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८६ पर)

तहसील मोहमदी, जिला खीरी में १–४–६६ से ८–५–६६ तक आग लगने की २४ घटनाओं में हुई हानि तथा सरकार द्वारा दी गई सहायता का विवरण

घटना नम्बर	कुल हानि (रु० में)	जीवहानि		प्रदत्त सहायता	
		मानव	पशु	अहैतुक	तकावी
				रु०	रु०
१	१,००,०००	..	..	१६५	..
२	२,०००	..	..	१५	..
३	५,०५०	..	१ बैल ५९ मुर्गी	..	..
४	४२,२८२	..	..	..	..
५	५,८३०	..	..	..	..
६	४,५००	..	..	३०	..
७	८,६५२	..	..	..	..
८	५,५४१	..	..	१२०	..
९	२,२५०	..	..	..	..
१०	१७,८५८	..	..	..	..
११	४६,४०५	..	१	..	
१२	२५,८००	..	४ बछिया १ बकरी	३३०	..
१३	१,७१७	..	२ बछिया ४ बकरी	१५	
१४	१,५७३	..	..	३५	..
१५	३८१८	..	२ बकरी	१५	
१६	२,४२०	..	..	२५	..
१७	२,२७४	..	..	..	
१८	११,६५०	..	..	१८०	
१९	१,१४,६१०	..	..	१००	
२०	१६,७६८	..	..	..	
२१	३,००,०००	२	१ बकरी ७ बैल २ भैंस	१००	..
२२	२,४२९	..	..	..	..
२३	१०,४२९	..	..	..	..
२४	१३,०८६	..	५ मुर्गी	५०	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८, को संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

१—यह विधेयक उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ कहलाएगा। — संक्षिप्त नाम

२—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३—कक में शब्द "दो नए पैसे प्रति रुपए से अनधिक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६, की धारा १५ में तत्समय निर्दिष्ट अधिकतम दर से अनधिक" रख दिए जायें। — संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३—कक का संशोधन

३—(१) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है; — निरसन तथा अपवाद

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम ६ जुलाई, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो। — उ० प्र० अध्यादेश संख्या ३, १९६६

उद्देश्य और कारण

सेन्ट्रल सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९५६ की धारा १५ संसद् द्वारा संशोधित की गयी है और ऐसे माल के सम्बन्ध में, जो उसकी धारा १४ के अधीन अन्तर्राज्यिक व्यापार या व्यवसाय में विशेष महत्व के घोषित किए गए हैं; कर की अधिकतम सीमा दिनांक १ जुलाई, १९६६ से दो प्रतिशत से बढ़ा कर तीन प्रतिशत कर दी गई है। उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० १५, १९४८ ई०) की धारा ३—कक में, जिसमें घोषित माल पर कर लगाने की व्यवस्था है, आनुषंगिक संशोधन, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ प्रख्यापित करके किया गया था।

तद्नुसार उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कैलाश प्रकाश,
वित्त मन्त्री।

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ ३१२ पर)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९६६

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ संशोधित करने के लिए

उत्तर प्रदेश पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ को आगे दिए हुए प्रयोजनों के निमित्त

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, १९६६ कहलाएगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७ की धारा १२ का संशोधन

२—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ में वर्तमान उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(२) धारा १२-जी के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक गांव पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा, यदि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस प्रकार घोषणा करे तो आठ वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए होगा जो वह निश्चित करे।"

निरसन तथा अपवाद।

३—(१) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम ४ जुलाई, १९६६ को प्रारम्भ हुआ था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

भारत सरकार द्वारा पंचायती राज निकायों की निर्वाचन प्रणाली के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति ने, जो सामान्यतः सन्थानम कमेटी के नाम से ज्ञात है, और बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि गांव पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के निर्वाचन थोड़ी ही अवधि में पूरे कर लिए जाने चाहिए। यह सिफारिश राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के अगले निर्वाचन क्रमशः मई, १९६७ तथा जून, १९६८ में होने हैं जबकि कई गांव पंचायतों का बढ़ाया गया कार्यकाल ६ जुलाई १९६६ को समाप्त होने को था। इसलिए समस्त पंचायती निकायो के निर्वाचनों के समय को अनुकूल बनाने के लिए यह आवश्यक था कि वर्तमान पंचायतों का कार्यकाल और बढ़ा दिया जाय यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार को गांव पंचायतों का कार्यकाल केवल एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार था। उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए यह आवश्यक था कि उक्त ऐक्ट की धारा १२ की उपधारा (२) में तुरन्त संशोधन करके राज्य सरकार को गांव पंचायतों का कार्यकाल तीन वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था अतः इस प्रयोजन के लिए एक अध्यादेश अर्थात्, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, १९६६, ४ जुलाई, १९६६ को प्रख्यापित किया गया। वर्तमान विधेयक का अभिप्राय उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करना है। तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

राममूर्ति,
विकास मन्त्री।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ११७ एल० ए०--१९६६--८४६।